चतुर्थ माला, खंड VII, अंक 41
Fourth Series, Vol. VII, No. 41

सोमवार, 17 जुलाई 1967/26 आषाढ़, 1889 (शक)
Monday, July 17, 1967/Asadha 26, 1889 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]

Second Session

[खंड VII में अंक 41 से 50 तक हैं]
[Vol. VII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 41 सोमवार, 17 जुलाई, 1967 / 26 आषाढ़, 1889 (शक)

No. 41 Monday, July 17, 1967 / Asadha 26, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1171	चुनींदा व्यक्तियों की अनिवार्य भर्ती	Selective Conscription	5559
1172	भारत द्वारा परमाणु हथियारों के प्रसार रोकने की सन्धि पर हस्ताक्षर	Signing of Nuclear Non-Proliferation Treaty by India	5560–5567
1173	पद्म नदी पर बांध बनाकर विद्युत जनन करने का पाकिस्तान का निर्णय	Pak Decision to Harness Padma River ...	5567
1174	आकाशवाणी के लिए निगम	Corporation for A.I.R.	5567–5569
1175	चीनी राजनयिक की नक्सल बाड़ी की यात्रा	Visit by Chinese Diplomat to Naxalbari ...	5570–5572
1176	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में विमान के ढांचे का निर्माण	Construction of an Air Frame at Hindustan Aeronautics	5572–5574
1179	स्वेज नहर का बन्द किया जाना	Closure of Suez Canal	5574
	नियम 40 के अन्तर्गत प्रश्न	QUESTIONS UNDER RULE–40	
	1. सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट	Report Re : Recommendation of privilege of Public under takings committe	
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:	
1177	प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरणों का किस्म-नियन्त्रण तथा निरीक्षण	Quality Control and Inspection of Defence Equipment	5579–5580

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वस्तुतः पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was agctually asked on the floor of the House by him,

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1180	पश्चिम एशियाई संकट पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन	Special Session of U.N. General Assembly to discuss West Asian Crisis ...	5580
1181	पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये भारतीय जहाज तथा आन्तरिक जल परिवहन की माल ढोने वाली नौकाएं	Indian Vessels and Inland Water Transport Barges captured by Pakistan ...	5580–5581
1182	इसराइली सेनाओं की वापसी के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ सकल्प	Resolution in U. N. O. on Withdrawal of Israeli Forces	5581
1183	फिजों की अमरीका की प्रस्तावित यात्रा	Phizo's Proposed visit to USA	5581–5582
1184	नक्सलबाड़ी के बारे में पेकिंग रेडियो से प्रसारण	Peking Radio Broadcasts about Naxalbari	5582–5583
1185	शार्ट सर्विस कमीशन	Short Service Commissions	5583
1186	समाचार पत्र वित्त-निगम	Newspapers Finance Corporation	5584
1187	टायरों की सप्लाई के बारे में जांच समिति का प्रतिवेदन	Enquiries Committees Report on the Supply of Tyres	5584
1188	भारत को भेजे गये अमरीकी माइलो अनाज के स्वेज नहर में रुके रहने के कारण संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा मुआवजा देने की पेशकश	UAR offer of compensation for the India bound American Milo trapped in the Suez Canal	5584–5585
1189	अमरीका के राष्ट्रपति का प्रधान मन्त्री को पत्र	Letter from President of USA to the Prime Minister	5585

ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS –Contd.		
1190 पूना के निकट मोटर बोट दुर्घटना में सैनिक अधिकारियों की मृत्यु	Death of Army Officers in Motor Boat Accident near Poona	5585–5586
1191 उत्तर अटलांटिक सन्धि सगठन के सदस्य देशों से सैनिक सहायता	Military Aid from NATO COUNTRIES ...	5586–5587
1192 सीमा क्षेत्रों के लिये शक्तिशाली ट्रान्समीटर	High Power Transmitters for Border Areas	5587
1193 विद्रोही नागा नेताओं से बातचीत	Meeting with Naga Rebel Leaders	5587–5588
1194 मिग-21 जेट विमानों का निर्माण	Manufacturing of MIG–21 Jets ..	5588
1195 पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन	Pak's Violation of Tashkent Declaration ...	5588–5589
1196 काठमांडू-कोडारी सड़क	Kathmandu-Kodari Road ...	5589–5590
1197 वाणिज्य सम्बन्धी प्रसारण	Commercial Broadcasting ...	5590
1198 हिन्द महासागर के द्वीपों की स्वतन्त्रता	Independence of Indian Ocean Island ..	5590–5591
1199 राष्ट्रीय सेना छात्र दल का प्रशिक्षण	N. C. C. Training	5591
1200 गोआ	Goa	5592
अतारांकित प्रश्न सं./U.S Q.Nos.		
5817 भूटान–तिब्बत सीमा पर चीनियों द्वारा प्रचार	Chinese Propaganda on Bhutan Border ...	5592
5818 इसराइल तथा पश्चिम एशिया और अफ्रीका के अरब देशों के राष्ट्रजनों को बीजा देना	Issue of Visas to Nationals of Israel and Aran Countries of West Asia and Africa	5593
5819 आकाशवाणी की देहाती गोष्ठियां	Rural Radio Forum	5593–5594
5820 प्रकाशन प्रभाग	Publications Division	5594

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5821	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में निःसंवर्ग पद	Ex-Cadre Posts in the Ministry of I & B	5595
5822	धरंगधरा में छावनी का बनाया जाना	Establishment of a Cantonment at Dhrangadhra	5595
5823	वायु सेना मुख्यालय में कार्य करने का समय	Office Hours in Air Headquarters	5596
5824	वायु सेना मुख्यालय में कार्य का समय	Office Hours in Air Headquarters	5596–5597
5825	वायु सेना मुख्यालय में अफसर तथा वैमानिक	Officers and Airmen in Air Headquarters	5597
5826	दीनापुर छावनी बोर्ड के कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by Dinapore Cantt Board Workers' Union	5597–5598
5827	गुजरात मे टेलीविजन स्टेशन	Television Station in Gujarat	5598–5599
5828	प्रेस परिषद	Press Council	5599
5829	समाचार पत्रों तथा समाचार अभिकरणों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Newspapers and News Agencies	5599
5830	युगोस्लाविया के सैनिक प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा	Visit by Military Mission from Yugoslavia	5600
5831	चुनाव संबंधी समाचार	Election News	5600
5832	जल प्रांगण की सीमा	Limit of Territorial Waters	5601
5833	अमरीका स्थित भारतीय दूतावास तथा लन्दन स्थित उच्च आयोग पर खच	Expenditure on Indian Embassy in USA & High Commission in London	5601
5834	सीमा क्षेत्रों के लिये प्रसारण	Broadcast for Border Areas	5601–5602

5835	केन्द्रीय आयुध डिपों, दिल्ली छावनी में स्टाफ कारें	Staff Cars in C. O. D. Delhi Cantonment ...	5602
5836	भारत में ग्रीस के महा-वाणिज्य दूत	Consul General of Greece in India	5603
5837	बम्बई इंजिनियरिंग ग्रुप एण्ड सैंटर, किर्की, पूना में रसोइयों की नियुक्ति	Employmen n Bombay Engineering Group and Centre, Kirkee, Poona	5603-5604
5838	बम्बई इंजिनियरिंग ग्रुप एण्ड सैंटर,किर्की, पूना के भिश्तियों तथा मेहतरों की छंटनी	Retrenchment of Water Carriers and Sweepers in Bombay Engineering Group and Centre, Kirkee, Poona ..	5604-5605
5839	नया स्वतन्त्र देश बिआफरा	New Independent State Biafra	5605
5840	'रिवेरा' मैरीन ड्राइव, बम्बई	'Reveira' Marine Drive Bombay	5605
5841	सीमा सड़क संगठन	Border Roads Organisation	5606
5842	आकाशवाणी से अरब इसराईल संघर्ष के बारे में उर्दू में प्रसारित 'हालात पर तबसरा (समाचार समीक्षा) में यहूदियों का 'अहले-किताब के रूप में वर्णन	Reference to Jews as 'Ahle-Kitab' in the Urdu News Commentary on Arab-Israeli Conflict Broadcast from A. I. R. ...	5606
5843	राडार	Radar	5607
5844	भारतीय सांख्यिकी संस्था	Indian Statistical Institute	5607-5608
5845	रूसी फिल्में	U. S. S. R. Films	5608
5846	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर	Bharat Electornics Ltd., Bangalore	5608-5609
5847	अमरीका की "नेशनल ज्यों-ग्राफिकल मैगजीन" में भारत का हिन्दू भारत के रूप में वर्णन	Description of India as 'Hindu India' in 'National Geographical Magazine', U. S. A.	5609

5848	कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतनक्रम	Pay Scales of Commissioned Officers	5609–5610
5849	असैनिक प्रतिरक्षा प्रशासन में कमीशन प्राप्त अफसरों के समान पद तथा वेतनमान	Posts and Pay Scales in Civil Defence Administration equivalent to those held by Commissioned Officers	5610–5611
5850	कोटा (राजस्थान) के समाचार पत्रों को अखबारी कागज का कोटा	Newsprint Quota to Papers of Kotah, (Rajasthan)	5612
5851	वेदेशिक कार्य मंत्रालय में चीन सम्बन्धी प्रभाग के निदेशक । प्रमुख प्रधिकारी	Director/Head of China Desk in the E. A. Ministry	5612–5613
5852	रोडेशिया	Rhodesia	5613
5853	पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत	Prime Minister's Talks with W. Bengal Chief Minister ...	5614
5854	भारतीय वायु सेना के लिये एवरो-748 विमान	Avro-748 Indian Air Force	5614
5855	भारतीय प्राद्योगिकीय प्रगति सम्बन्धी सस्था	Society for Indian Technological Advancement ..	5615
5856	वेदेशिक कार्य मंत्रालय का प्रचार विभाग	Publicity Wing of External Affairs Ministry	5615–5616
5857	छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Cantonment Boards Employees	5616–5617
5858	छावनी बोर्डों के अधीन अध्यापक	Teachers under Cantonment Boards.. ..	5617
5859	सिलचर-हाफलोंग सड़क	Silchar-Halflong Road	5617–5618

प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5861	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान की ढुलाई	Transport of Defence Cargo for Andaman and Nicobar Islands	5618–5619
5862	सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Official Work	5619
5863	सेना मुक्त किये गये सैनिक। हवलदार। क्लर्क	Army Havildar/Clerks discharged from Service	5619–5620
5864	करनाल में आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Station, Karnal ...	5620
5865	बहरामपुर (उड़ीसा) में आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Station at Barhampur (Orissa) ...	5620
5866	अध्ययन के लिये लन्दन भेजे गये प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारी	Defence Service Officers sent to London for Studies	5620-5621
5867	दरभगा में आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Darbhanga	5621
5868	विदेशों में भारतीय संस्कृति का स्वरूप	Image of Indian Culture Abroad	5621
5869	सैनिक स्कूलों की स्थापना	Opening of Sainik Schools	5622
5870	खनन परियोजना के लिये सहायता का नेपाल द्वारा अनुरोध	Request from Nepal for Assistance for Mining Project ..	5622–5623
5871	रुद्रप्रयाग के निकट ट्रक दुर्घटना में मारे गये सैनिक कर्मचारी	Military Personnel killed in Truck Accident near Rudraprayag	5623
5872	उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Stations in U. P.	5623–5624
5873	जामनगर के निकट हुई विमान उड़ान दुर्घटना	I. A. F. Pilots killed in Flying Accident near Jamnagar	5624

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd

5874	भारतीय विदेश सेवा के बारे में पिल्ले समिति का प्रतिवेदन	Report of Pilai Committee on I. F. S, ...	5624
5875	अमरीका और ब्रिटेन से चलचित्र	Films from USA and UK	5624–5625
5876	चलचित्रों का वर्गीकरण	Categorisation of Films ...	5625
5877	वाणिज्य सम्बन्धी प्रसारण	Commercial Broadcast	5625–5626
5878	भारत में विदेशी सैनिक प्रशिक्षणार्थी	Foreign Military Trainees in India	5626
5879	भारत श्रीलंका करार (कार्यान्वित) अधिनियम	Indo-Ceylon Agreement (Implementation) Act	5626–5627
5880	हिण्डन हवाई अड्डे के भारतीय वायुसेना के अधिकारियों पर आक्रमण	Attack on Indian Air Force Officers of Hindon Base	5627–5628
5881	परमाणु बिजली	Atomic Power	5628
5882	एक भारतीय प्रकाशक और चीनी दूतावास के बीच करार	Agreement between an India Publisher and Chinese Embassy	5628–5629
5883	अमरीका भारत मैत्री समिति (यू. एस. फ्रैंडज आफ इंडिया कमेटी)	U. S. Friends of India Committee	5629
5884	सैनिक प्रयोजनों के लिये भूमि का लिया जाना	Requisitioning of land for Military Purposes	5629–5630
5885	भारतीय समाचार पत्र	Indian Press	5630
5886	प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन पर प्रतिरक्षा व्यय	Defence Expenditure on Defence Science Organisation	5630–5631
5887	प्रधान मंत्री की श्रीलंका यात्रा	P. M's Visit to Ceylon	5631

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5888 वायुसीमा के उल्लंघन के बारे में पाकिस्तान को विरोध–पत्र	Protest to Pakistan for Air Violations ..	5631
5889 जवानों का परिवार पैंशन और बाल–भत्ता	Family Pension and Children Allowance of Jawans	5632-5633
5890 कोचीन नौसैनिक अड्डे में कर्मचारियों की छंटनी	Rstrenchment of Staff in Cochin Naval Base	5633
5891 इण्डियन रेयर अर्थस	Indian Rare Earths ...	5633-5634
5893 बिना विभाग के मंत्री का उड़ीसा का दौरा	Visit by Minister without Portfolio to Orissa ...	5634
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	5634
आसाम के पुनर्गठन सम्बन्धी वार्ता का असफल होना	Failure of Talks on the Reorganisation of Assam	563[illegible]
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	5634
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan ..	5634
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	5637
योजना आयोग के विषय में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Government decisions of Administrative Reforms Commissions Recommendations relating to Planning Commission	5638
जमा बीमा निगम (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Deposit Insurance Corporation (Amendment) Bill ...	5640
अनुदानों की मांगे	Demands for Grants,	5640
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	Ministry of External Affairs	5640

श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित	Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit... ...	5640
डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	5642
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	5643
श्री जी. भा. कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	5644
श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	5646
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	5647
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	5648
स्थगन प्रस्ताव	Adjournment Motion ...	5650
आसाम और मनीपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों को विद्रोही नागाओं के आक्रमणों से सुरक्षित रखने में सरकार की कथित असफलता	Alleged failure of Government to ensure security from attacks by Naga Hostiles in bor der areas of Assam and Manipur	5650
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	5650
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	5651
श्री मी. रू. मसानी	Shri M. R. Masani	5652
श्री मनुभाई पटेल	Shri Manubhai Patel	5652
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	5653
श्री वेद व्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	5653
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	5654
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	5654
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	5655
श्री जे. के. चौधरी	Shri J. K. Choudhury	5655

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री स. चु. जमीर	Shri S. C. Jamir	... ..	5656
श्री उमानाथ	Shri Umanath	.. ...	5657
श्री स्वेल	Shri Swell	... ...	5658
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	.. ...	5659
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	... –	5659
बन्द कपड़ा मिलों के बारे में निगम के आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re Corporation for Closed Textile Mills	– ...	5661
श्री दामानी	Shri S. R. Damani	– ...	5661–5662

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 17 जुलाई, 1967/ 26 आषाढ़, 1889 (शक)
Monday, July 17, 1967/Asadha 26, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चुनींदा व्यक्तियों की अनिवार्य भर्ती

+

*1171 **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री शारदा नन्द :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **रक्षा** मन्त्री 3 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान तथा चीन के धमकी भरे रवैये को दृष्टि में रखते हुए सशस्त्र सेनाओं के लिये चुनींदा व्यक्तियों की अनिवार्य भर्ती के मामले में और कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) विशेषज्ञों द्वारा इस प्रश्न के निरीक्षण को सामने रखते हुए प्रस्ताव त्याग देने का फैसला किया गया है ।

श्री दी० चं० शर्मा : विशेषज्ञों ने किन कारणों को ध्यान मे रखते हुए इस प्रस्ताव को त्याग दिया ?

श्री स्वर्णसिंह : जैसा सभा को निसंशय ज्ञात है, एक समय यह विचार किया जा रहा था कि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले लगभग 10,000 स्नातकों में से लाटरी से लगभग 2,000 को चुना जाये और फिर उन्हें 6 महीनों तक अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये तथा अस्थायी कमीशन देना चाहिये और 18 महीनों के लिये स्थायी यूनिटों में लगाना चाहिये। यह सोचा गया कि यह योजना व्यवहार्य नहीं होगी और इसकी अपेक्षा अल्प कालिक कमीशन देने की योजना अधिक स्वीकार्य पाई गई और इससे अधिक अच्छे परिणाम निकलने की संभावना है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या चुनींदा व्यक्तियों की अनिवार्य भर्ती को त्यागते समय माननीय प्रतिरक्षा मन्त्री ने किसी अन्य योजना पर विचार किया है ताकि पाकिस्तान और चीन की सांठगांठ तथा इन दोनों देशों की सम्मिलित सैन्य शक्ति का सामना किया जा सके ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा मैं कह चुका हूं, अल्प कालिक कमीन देने से स्थिति का अधिक अच्छी तरह सामना किया जा सकने की आशा है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या पाकिस्तान और चीन की चुनौती का सामना करने के लिये उनकी कोई दीर्घकालीन योजना है ?

श्री स्वर्ण सिंह : वह तो दीर्घकालीन योजना है।

श्री मं० रं० कृष्ण : यह कहा जाता है कि इजराइल जैसा एक छोटा देश 24 घण्टों में ऐसे लोगों को हथियार उठाने और सेना में काम करने के लिये बुला सका, जो सैनिक नहीं थे परन्तु वे प्रशिक्षण प्राप्त हैं। क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय अथवा भारत सरकार इस योजना का अध्ययन करने तथा उससे लाभ उठाने की इच्छुक है कि इजराइल ने किस प्रकार 24 घण्टों ही में सारी सेना जमा कर ली तथा क्या यह उनकी अपनी योजना थी अथवा अमरीका या किसी अन्य देश ने उन्हें उस प्रकार प्रशिक्षण दिया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह तो कार्यवाही करने का सुझाव है, हम अवश्य ही इस पर तथा किसी अन्य योजना पर भी विचार करेंगे।

भारत द्वारा परमाणु हथियारों के प्रसार रोकने की सन्धि पर हस्ताक्षर

\+

*1172. **श्री मधु लिमये** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री राम मनोहर लोहिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिये अमरीका और रूस द्वारा भारत तथा अन्य देशों पर राजनयिक दबाव डाला जा रहा है;

(ख) क्या परमाणु हथियारों की समाप्ति तथा निरस्त्रीकरण के बारे में पक्का समझौता हुए बिना परमाणु हथियारों से रहित देशों पर इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए डाले जा रहे इस दबाव का विरोध करने के लिये सम्बन्धित देशों का एक सम्मेलन बुलाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो परमाणु हथियारों से रहित देशों के अधिकारों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति में, जिसका भारत सदस्य है, 14 गैर-एटमी देशों का प्रतिनिधित्व है । वह एटमी हथियारों का उत्पादन न करने की सन्धि के मसौदे पर कार्रवाई कर रही है । इस समिति में तथा महासभा में गैर-एटमी देशों के विचार मुक्त रूप से और पूरे तौर पर व्यक्त किये जाते हैं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir may I know whether the Moscow Treaty on banning atomic explosions and the present nuclear non-proliferation treaty are based on the idea of freezing the international situation and whether it is not the duty of Government that since it will establish the monopoly of five big powers on the entire world, a firm policy should be adopted after reconsidering the Moscow Treaty, which Government have already signed, and the new treaty ?

श्री मु० क० चागला : हम नहीं चाहते कि वर्तमान परमाणु स्थिति जम जाये । मैंने इस सभा में तथा दूसरी सभा में भी प्राय: यह कहा है कि भारत को इस सन्धि पर, अन्तिम रूप से तैयार होने पर, हस्ताक्षर करने चाहिये अथवा नहीं । यह कहना ठीक नहीं है कि हमने निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर करने का निश्चय कर लिया है । सन्धि में जो दोष हैं, वे हमें मालूम हैं तथा हम आशा कर रहे हैं कि 18 राष्ट्रों की समिति में चर्चा के बाद, हमारी आपत्ति के कारण सुने जायेंगे और इनका यह ऐसे रूप में बन जायेंगी कि हमारे लिये हस्ताक्षर करना सम्भव होगा ।

Shri Madhu Limaye : Will Government reconsider the Moscow Treaty ?

Shri M. C. Chagla : Mocow Treaty is a different matter. It is about atomic explosions and we have already signed it. As regards the present treaty, it is altogether a different thing.

यह तो परमाणु शस्त्रास्त्र वाले देशों को परमाणु अनुसन्धान का भी एकाधिकार देती है और परमाणु शस्त्र रहित देशों को अत्यन्त अलाभकर स्थिति में डाल देती है ।

Shri Madhu Limaye : I had asked whether Government would call a conference of non-nuclear countries to organise international support for their viewpoint. The hon. Minister stated in his reply that a conference of 18 nations, 14 of them are non-nuclear countries, is being held in Geneva. My question is different. Only five countries out of 115 or 120 countries of the world possess nuclear weapons. I want to know whether

Government will draw a plan to bring all these countries on one form and for the furtherance of their policy or will continue to work for the interests of other countries only ?

श्री मु० क० चागला : वास्तव में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमाणु शस्त्र रहित देशों का एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। हमने इस कारण से उसका विरोध किया कि हम परमाणु शस्त्र रहित देशों की अनुपस्थिति में एक परमाणु करार नहीं कर सकते हैं। हमने उस संकल्प के तैयार करने का भी विरोध किया था। लेकिन वह संकल्प महा सभा में पारित हो गया है। इसलिये, जब संकल्प को क्रियान्वित किया जायेगा, तो परमाणु शस्त्र रहित देशों का एक सम्मेलन होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि इस सभा के सभी सदस्य, इस ओर के तथा दूसरी ओर के भी, इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने से पहले इस सभा में चर्चा होगी तथा इस सभा को विश्वास में लिया जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : अवश्य ही हम इस सभा को यथासम्भव जानकारी देते रहेंगे। हम सभा और देश का समर्थन चाहते हैं। सामान्यतः सरकार द्वारा एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये जाते हैं और फिर उसे सभा-पटल पर रखा जाता है। यह सरकार का कार्यकारी कृत्य है। लेकिन सभा द्वारा व्यक्त किये गये मन्तव्य को ध्यान में रखते हुए, निश्चय ही हम विचार करेंगे कि क्या हम हस्ताक्षर करने से पहले सन्धि का प्रारूप सभा के सामने रख सकते हैं।

Shri George Fernandes : The hon. Minister just now stated that Government know the defects in the treaty. Will he kindly state the objections raised by Government ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां; मैं उनकी एक सूची दे सकता हूं। पहले तो सन्धि का प्रारूप महा सभा द्वारा पारित संकल्प को क्रियान्वित नहीं करता है, जिसके अनुसरण में यह समिति स्थापित की गई थी। संकल्प यह था कि यह करार सामान्य निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने के लिये होना चाहिये। सन्धि का प्रारूप ऐसा कुछ नहीं करता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में अपेक्षा की गई है कि परमाणु शस्त्र रहित देशों के बीच परस्पर एक दूसरे के प्रति दायित्व होना चाहिए। सन्धि का प्रारूप परमाणु शस्त्र रहित देशों पर तो एक दायित्व डालता है जबकि परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्र बिल्कुल भी कोई उत्तरदायित्व अथवा दायित्व स्वीकार नहीं करते। और यह मत भूलिये कि इस सन्धि की परिभाषा के अनुसार चीन एक परमाणु राष्ट्र होगा क्योंकि निर्धारण की तिथि 1 जनवरी, 1967 है। कोई भी देश जिसने जनवरी 1967 से पहले किसी बम का विस्फोट किया है, एक परमाणु देश की विशिष्ट स्थिति में होगा। हमें इस विशिष्ट तथा गैर-विशिष्ट राष्ट्रों के बीच अन्तर पर आपत्ति है। अन्त में, और जो बात हमारे दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह सन्धि परमाणु अनुसन्धान के बारे में भी परमाणु शस्त्र वाले देशों का एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करती है। परमाणु राष्ट्रों का परमाणु अस्त्रों में एकाधिकार है, वही काफी बुरी बात है। लेकिन वे ओर आगे जाना चाहते हैं और परमाणु अनुसन्धान में एकाधिकार चाहते हैं। परमाणु शस्त्र रहित अधिकांश देशों में इस बारे में उत्तेजना है जैसे स्वीडन, ब्राजील आये, जो

अपने देश में परमाणु अनुसंधान करना चाहते हैं तथा विशेष रूप से भारत के लिए, जो परमाणु अनुसन्धान में बहुत आगे है, यह एक अत्यन्त गभीर बात है और विशेष रूप से जबकि भारत को पड़ौसी चीन से खतरा है, जो एक उद्जन बम का विस्फोट कर चुका है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, has it been the experience so far of the hon. Minister that Nuclear Non-proliferation Treaty is a club of poor men, who leave it immediately on becoming rich; if so, will he kindly state the progress made in the field of nuclear explosions for peaceful purposes, such as blosting of tunnels without any radio active fall out, which is called "Project Plough Share" or "Project Known" ?

श्री मु० क० चागला : अभी तक हमने परमाणु शक्ति से आइसोटोपों का निर्माण किया है, जो हम न केवल अपने देश में प्रयोग कर रहे बल्कि निर्यात भी कर रहे हैं। हमने और भी अनुसन्धान किये हैं, जो स्पष्ट है कि मैं सभा को नहीं बता सकता। लेकिन हमारा अनुसन्धान कार्य जारी है। अभी हाल ही में बम्बई में परमाणु अनुसन्धान निदेशक डा० सेथना ने कहा था कि संभवतः हम ऐसी शक्ति पैदा कर सकें जो बिजली से सस्ती होगी। सुरंगे तोड़ने के बारे में हम क्या कर सकते हैं. जैसा कि मेरे माननीय सदस्य ने बताया. इसके अतिरिक्त भविष्य में अनेक अन्य कार्यों में परमाणु शक्ति का प्रयोग होने लगेगा और परमाणु अनुसन्धान के मार्ग में किसी देश पर कोई पाबन्दी लगाना एक अत्यन्त गंभीर बात है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I wanted the information and not the opinion of the the hon. Minister. "Project Plough Share" or "Project Known" is being worked out by Government of India for a number of years, I wanted to know the progress made thereon and if say it is not in the interest of the country, I will say, it is incorrect. Let me make it clear that this "Project Plough Share" is absolutely about peaceful uses of atomic energy. There is an explosion similar to that a bomb but the radio active fall out is almost negligible.

श्री मु०क० चागला : मुझे खेद है कि मैं इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। इसका सम्बन्ध परमाणु शक्ति विभाग से है। यदि मेरे माननीय मित्र सम्बन्धित मन्त्रालय से एक पृथक प्रश्न पूछे, तो इसका उत्तर मिल जायेगा।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : परमाणु शस्त्र रहित देशों द्वारा इस बात के लिये कोई प्रयास क्यों नहीं किये जा रहे हैं कि परमाणु शस्त्र वाले देश अपने परमाणु शस्त्रों की संख्या अथवा गुण प्रकार को न बढ़ाये तथा अपने वर्तमान परमाणु शस्त्रों की संख्या को कम करें।

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र ने बात को ठीक समझा है यह सन्धि उदग्र फैलाव पर कोई रोक लगाये बिना क्षैतिज फैलाव पर रोक लगाना चाहती है। इस संधि के प्रारूप में परमाणु शस्त्रों वाले देशों से परमाणु शस्त्रों की संख्या को कम करने की बात तो क्या, उसे नहीं बढ़ाने तक के लिये नहीं कहा गया है। संन्धि के प्रारूप पर यह भी हमें एक आपत्ति है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस दिशा में ठोस कदम क्यों नहीं उठाते ?

श्री मु० क० चागला : हम इसे यह रूप दिये जाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

श्री मती लक्ष्मीकान्तम्मा : जब चीन परमाणु अस्त्रों का निर्माण कर रहा है, तो ये केवल दिखाने अथवा डराने के लिये नहीं है परन्तु भारत जैसे परमाणु शस्त्र रहित देश के विरूद्ध उन्हें प्रयोग करने का इरादा है। क्या सरकार आश्वासन देगी कि भारत ऐसी किसी सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जो देश के हितों के विरूद्ध हो ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय महिला सदस्य को यह अश्वासन दे सकता हूं। भारत सरकार ऐसी किसी सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेगी, जो राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध हो ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने तथा अन्ततोगत्वा परमाणु निरस्त्रीकरण के हमारे प्रयास का चाहे कुछ परिणाम हो, क्या इस बीच सरकार जहां तक विश्व के हमारे भाग में परमाणु मुक्त क्षेत्र (न्यूक्लीयर फ्री जोन) का सम्बन्ध है, पोलैण्ड के विदेश मंत्री द्वारा विश्व के अपने भाग के बारे में दिये गये सुझाव के समकक्ष कोई कदम उठायेगी ?

श्री मु० क० चागला : जी हां इस विषय पर भी विचार किया जा रहा है।

Shri K. N. Tiwary : China is not a member of the United Nations and therefore, she is not bound by the decisions of the U. N. and as such has exploded to its second hydrogen bomb. Apart from it she is in collusion with Pakistan. Has Government taken into account all those factors posing a serious threat to India ?

श्री मु० क० चागला : जी हां। मुझे मालूम है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता था कि यदि चीन इस सन्धि पर हस्ताक्षर करता हैं जिसकी आशा नहीं है, तो वह एक परमाणु अस्त्र वाले देश के रूप में हस्ताक्षर करेगा जिसमें उस पर परमाणु अस्त्रों की संख्या के बारे में कम करने अथवा बढ़ाने के बारे में कोई दायित्व नहीं होगा।

Shri S. C. Jha : Is any pressure being brought on India to sign this non-proliferation treaty and are you going to call a neutral summit conference of non-aligned countries such as Yugoslavia ? Will he discuss this matter with Marshal Tito during his forthcoming visit to Yugoslavia ?

श्री मु० क० चागला : सम्मेलन बुलाने के बारे में मैं श्री मधु लिमये को उत्तर दे चुका हूं। प्रश्न के पहले भाग के बारे में, संधि पर हस्ताक्षर करने अथवा नहीं करने के लिये हम पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। किसी भी हालत में हमारी विदेश नीति अन्य देशों के दबाव पर आधारित नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हम यहां पर कनाडा के सहयोग से परमाणु शक्ति का विकास कर रहे हैं और कनाडा का दृष्टिकोण यह है कि परमाणु शक्ति हो या न हो इस बारे में कुछ भी मतभेद हो, परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने की संधि पर हस्ताक्षर करने ही हैं, क्या इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये भारत पर कनाडा द्वारा कोई दबाव डाला जा रहा है कि अन्यथा कनाडा परमाणु शक्ति विकास के लिये कोई सहायता नहीं देगा ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक मुझे मालूम है, कनाडा संधि पर हस्ताक्षर करने के पक्ष में है परन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। परमाणु अनुसंधान के बारे में इस देश में एक या दो परियोजनाओं मे कनाडा के साथ हमारे सहयोग के कारण कनाडा द्वारा हम पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है।

श्री हेम बरुआ : चूंकि चीन ने परमाणु क्लब में पूरी तरह राजनैतिक और सैनिक शान से प्रवेश किया है और इससे विश्व का परमाणु सन्तुलन बिगड़ गया है, क्या सरकार नहीं समझती कि इन नई घटना को देखते हुए परमाणु सन्धि निरर्थक है, और यदि समझती है कि यह परमाणु सन्धि निरर्थक है, तो उसने यह बात बड़ी शक्तियों के ध्यान में क्यों नहीं लाई गई है, जो अन्य देशों के साथ भारत पर इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने पर जोर देती रही हैं ?

श्री मु० क० चागला : हमारा प्रयास यह है कि माननीय सदस्य जिसे निरर्थक सन्धि कहते हैं, उसे सार्थक सन्धि बनाया जाये। अवश्य ही हमने बड़े राष्ट्रों का ध्यान इस ओर दिलाया है, कि चीन के परमाणु राष्ट्र बन जाने के सारे अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ही बदल गया है।

श्री बलराज मधोक : समाचार-पत्रों में समाचार आये हैं कि भारत सरकार को सुझाव दिया गया है कि चूंकि चीन ने उद्जन बम का विस्फोट किया है और भारत निकट भविष्य में उस स्थिति में नहीं हो सकेगा, हम इस कार्यक्रम को बन्द क्यों न कर दें और परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने की सन्धि में शामिल हो जाये और हस्ताक्षर कर दे। ऐसे दबाव के ऐसे क्या सुझाव आये हैं ? दूसरे, यह समाचार पर मिले हैं कि पाकिस्तान चीन से परमाणु अस्त्र प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। क्या यह सच है और यदि हां, तो भारत सरकार यथा-शीघ्र अपने परमाणु अस्त्र बनाने के लिए जापान जैसे देश के साथ, जो भी इस क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, सहयोग करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं कह चुका हूँ कि कोई दबाव का प्रश्न नहीं है। स्वाभाविक है कि सन्धि के गुण-दोषों के बारे में विभिन्न देशों ने हमें अभ्यावेदन भेजे हैं। हम विभिन्न देशों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। अन्य प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। हम स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं और यदि चीन पाकिस्तान को परमाणु अस्त्र देता है,—मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करेगा—तो हम आवश्यक कदम उठायेंगे।

जापान के साथ सहयोग के बारे में तो सुझाव है और हम इसे ध्यान में रखेंगे।

श्री बाकर अली मिर्जा : मन्त्रीजी ने कहा है कि परमाणु अस्त्र वाले राष्ट्र परमाणु अस्त्रों को कम कर देने अथवा वर्तमान स्तर पर रहने देने के लिए भी तैयार नहीं है। किस आधार पर इस सन्धि पर विचार किया जा रहा है और जो बहुत समय से चल रही है, उसमें विलम्ब करने का क्या प्रयोजन है ? ये भी समाचार है कि दो बड़ी शक्तियों, रूस और अमरीका, के बीच किसी प्रकार का सहयोग अथवा समझौता हो गया है। क्या यह सच है ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह समिति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निरस्त्रीकरण के विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रादेश के

अन्तर्गत जेनेवा में इसकी बैठक हो रही है और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रतिवेदन देना होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रतिवेदन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले अधिवेशन में चर्चा होगी।

दो बड़ी शक्तियों के रवैये के बारे में यह मालुम हुआ है कि अमरीका ओर रूस दोनों ही इच्छुक हैं कि जिस संधि का प्रारूप तैयार हो रहा है, वैसी ही किसी सन्धि पर सब देश हस्ताक्षर करें।

Shri Jagannath Rao Joshi : May I know whether in view of our past experience, particularly during the conflicts with China and Pakistan, that no power comes forward to our help andi since there is no ban on underground explosions, will Government reconsider their policy to gain a lead in this field ?

श्री मु० क० चागला : संधि के प्रारूप की यह भी एक आपत्तिजनक बात है। इसमें शान्तिपूर्ण भूमिगत विस्फोटों पर भी प्रतिबन्ध लगाने की बात कही गई है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने कहा है कि यदि परमाणु अनुसंधान को उन्नति के लिये शान्तिपूर्ण विस्फोट आवश्यक हैं, तो परमाणु अस्त्र रहित देशों को इनकी अनुमति होनी चाहिये। यह मामला अभी विचाराधीन है।

Shri Sheo Narain : May I know the names of the countries opposing this treaty and those supporting our countrys stand ?

श्री मु० क० चागला : ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल सदस्य संख्या 122 है।

श्री नाथ पाई : श्री जार्ज फरनेन्डीज़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए उनके द्वारा उल्लिखित आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना जाहता हूँ कि इस संधि के प्ररूप को सामान्य संधि कहना कहां तक उचित है जबकि इसमें रुस की यह धमकी मिली हुई है कि वह हमें सैनिक सहायता देना बन्द कर देगा और अमरीका की यह छिपी धमकी है कि वह भारत को आर्थिक सहायता देना बन्द कर देगा। यह तो एक षड़यन्त्र है जो बड़े देशों ने वीरों से प्राप्त अपने वर्तमान राजनैतिक प्रभुता को सैनिक शक्ति के क्षेत्र में इस कीटो के द्वारा सुदृढ़ करने का पड़यन्त्र रचा है।

श्री मु० क० चागला : जिस बात की ओर मैं साधारण भाषा में संकेत करना चाहता था, उसी को मेरे माननीय मित्र ने कठोर भाषा में व्यक्त किया है, लेकिन तथ्य यह है कि संधि का कोई प्रारूप नहीं रखा गया है। प्रारूप के बारे में अमरीका और रूस के बीच भी सहमति नहीं हो सकी है। दो बड़े परमाणु राष्ट्रों के बीच सहमति हो जाने पर ही 18 राष्ट्रों की समिति के सामने प्रारूप रखा जायेगा।

श्री नाथ पाई : क्या मेरा यह कहना गलत है--मैं इस बात को पहले भी उठा चुका हुँ--कि सरकार को विचारार्थ अमरीका और रूस, दोनों से मिलते-जुलते प्रारूप प्राप्त हुए हैं और इसलिये यह कहना उचित नहीं होगा कि कोई प्रारूप ही नहीं है ? यदि मन्त्री महोदय नहीं कहते हैं, तो मैं उसे यहां रख दूंगा।

श्री मु० क० चागला : प्रारूप से मेरा अभिप्राय यह था कि 18 राष्ट्रों की समिति के सामने कोई प्रारूप नहीं रखा गया है। प्रारूपों पर विचार होता रहा। हमें वे प्राप्त हुए हैं।

Pak Decision to Harness Padma River

\+

*1173. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Pakistan has decided to harness the Padma river by constructing a dam on it; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार को पद्मा पर बांध बनाने के पाकिस्तान के किसी फैसले की जानकारी नहीं हैं। दिसम्बर 1961 में भारत और पाकिस्तान के जल संसाधन विशेषज्ञों की मीटिंग में पद्मा पर बहाव की तरफ हार्डिग पुल के लगभग 4 मील (6½ किलोमीटर) के फासले पर बांध का उल्लेख किया गया था। भारत सरकार के पास इस विषय पर कोई और जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बलराज मधोक : क्या पाकिस्तान ने भारत पर फरक्का बांध नहीं बनाने के लिये देबाब डालने के हेतु पद्मा नदी पर बांध बनाने का फिर से विचार किया है ? क्या यह सच है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : इतना सच है कि पाकिस्तान फरक्का बांध का विरोध करता रहा है। उसने फरक्का बांध के विरोध का एक कारण यह भी बताया है कि भारत द्वारा इसके द्वारा इसके पूरा किये जाने पर उसकी इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पद्मा बांध योजना तो अभी तैयार भी नहीं हुई है। इस पर उन्होंने अभी कोई कार्य नहीं किया है। हम निरन्तर उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं और जब भी वे इसे आरम्भ करेगा, हम पुनः इस बात को उठायेंगे।

आकाशवाणी के लिए निगम

\+

*1174. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 22 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के लिये एक निगम स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग) आकाशवाणी के लिए एक निगम स्थापित करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विलम्ब के कई कारण हैं। सबसे बड़ी कठिनाई उस हल को ढूंढने में आ रही है जिससे कि चन्दा समिति की दी गई दलीलों और उनसे जो फल प्राप्त करना है उनमें समानता लाई जाए। चन्दा समिति ने जिस आर्थिक ढांचे का सुझाव दिया है उसको तथा सरकार और निगम का आपस में क्या संबंध हो जिस पर संसद भी अपनी पूरी नजर रख सकें, उसको अच्छी तरह अध्ययन करना होगा। बी० बी० सी० जिन परिस्थितियों में काम करता है इनको न केवल अच्छी तरह अध्ययन करने की जरूरत है वरन् इनको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा ताकि चन्दा समिति जो कुछ चाहती है उसका पूरा उत्तर मिल सके।

श्री क० प्र० सिंह देव : क्या यह सच है कि अखिल भारतीय समाचारपत्र प्रकाशक सम्मेलन ने सरकार को अभ्यावेदन दिया था कि आकाशवाणी से विज्ञापनों के प्रसारण की योजना को क्रियान्वित न किया जाये क्योंकि यह उनके हितों के विरूद्ध होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं।

यह सच है कि एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि अखिल भारतीय समाचारपत्र प्रकाशकों ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है कि फिलहाल आकाशवाणी से विज्ञापन नहीं किये जायें, लेकिन यह प्रश्न भिन्न है।

श्री दी० चं० शर्मा : मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय आकाशवाणी के लिये निगम बनाने से इन्कार क्यों नहीं कर देते। उप मंत्री महोदया ने बताया कि वित्तीय कारण हैं, निगम और सरकार के आपसी सम्बन्धों की ओर उसपर संसद के नियंत्रण आदि की परिभाषा नहीं की जा सकती। इसके विरूद्ध ये तीन बातें हैं। मन्त्री महोदय निषेधात्मक उत्तर देने के स्थान पर स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं देते।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस बात को मानेंगे कि जब एक समिति नियुक्त की जाती है, तो उसकी सिफारिशों पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए और पक्ष तथा विरोध में तर्कों को सभा के समक्ष रखना होगा। यह बिना पूर्ण रूप से विचार किये नहीं किया जा सकता। मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा।

Shri Rabi Ray : How long will it take to complete the detailed examination and when a final decision will be taken ?

श्री के० के० शाह : हम दो महिनों से अधिक नहीं लेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को मालूम है कि देश में एक आम भावना है कि आकाशवाणी सत्तारूढ़ दल के विचार व्यक्त करता है और यही कारण था कि मांग की गई थी कि एक निगम स्थापित किया जाना चाहिए, देश में इस भावना की जानकारी होने पर, जो वास्तव में सही है, क्या सरकार ने कम से कम सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि एक निगम बनाया जायेगा ?

श्री के० के० शाह : इसके विपरीत यदि माननीय मित्र चंदा समिति का प्रतिवेदन पढ़े तो वे पायेंगे कि इसे यह शिकायत है कि हम पंच वर्षीय योजना तथा अन्य बातों के उद्देश्यों आदि को लोगों को इतनी अच्छी तरह नहीं समझा सकेंगे, जितना कि चाहिए था।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे मालूम है कि वे पंच वर्षीय योजना का प्रचार नहीं किया गया, मैं जानता हूं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरा प्रश्न था कि क्या उन्होंने आकाश-वाणी को सत्तारूढ़ दल के हितों के लिये प्रयोग किया है और चूंकि देश में ऐसी सामान्य भावना है, तो क्या सरकार इसे एक निगम को सौंपने का निर्णय करेगी ?

श्री के० के० शाह : मुझे विश्वास है कि जब इसके पत्र तथा विरोध में तर्क सभा के सामने रखे जायेंगे मेरे माननीय मित्र अपनी राय बदल देंगे।

Shri D. N. Tiwary : I am surprised to know that they are not aware of the working of B. B. C. When this question was raised during the Third Lok Sabha, same reply was given. After all what is the difficulty and why this study could not be completed so far.

श्री के० के० शाह : मुझे बहुत दुख है। मेरे माननीय मित्र को उत्तर सुनना चाहिए था। बी० बी० सी० जिन परिस्थितियों में काम करता है, इनको न केवल अच्छी तरह अध्ययन करने की आवश्यकता है वरन् इनको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि चंदा समिति जो कुछ चाहती है, वह पूरा होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें यह पता नहीं है कि बी० बी० सी० किस प्रकार काम कर रहा है।

पीलु मोदी : अभी यह कहा गया कि आकाशवाणी पंच वर्षीय योजनाओं और पिछले अनेक वर्षों में सरकार के कार्यकलाप का सही निरूपण नहीं कर रहा था। अब चौथी योजना है ही नहीं, तो आकाशवाणी के दोष नहीं दे सकते। तथापि, यदि कोई संसद् में आने वाला दर्शक उसी शाम आकाशवाणी से संसद् की कार्यवाही सम्बन्धी प्रसारण सुने, तो दोनों को भिन्न पायेगा। इसलिये सभी स्वायत्तशासी निगम बनाये जाने के लिये जोर दे रहे हैं। क्या मंत्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि आकाशवाणी के लिये निगम बनाया जायेगा ?

श्री के० के० शाह : मैं माननीय मित्र के कथन से सहमत नहीं हूं।

श्री रा० की० अमीन : जहां उन्होंने यह कहा कि वे आकाशवाणी के लिये एक स्वा-यत्तशासी स्तर के पक्ष में नहीं हैं, क्या वे यह मानते हैं कि वर्तमान ढांचे के पुनर्गठन की आवश्यकता है ?

श्री के० के० शाह : इस पर विचार किया जा रहा है।

चीनी राजनयिक की नक्सलबाड़ी की यात्रा

+

*1175. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :
श्री म० माझी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलबाड़ी में गड़बड़ शुरु होने से पहले चीनी राजनयिक ने उस क्षेत्र का दौरा किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि नक्सलबाड़ी की यात्रा के दौरान चीनी राजनयिक के के साथ एक भारतीय भी गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री क० प्र० सिंह देव : जब गृह-कार्य मंत्री अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा उठाये गये कुछ विशिष्ट प्रश्नों पर चीनीं दूतावास के प्रथम तथा तृतीय सचिवों की कार्यवाहियों के बारे में, जिन्होंने नक्सलबाड़ी में गड़बड़ी से पूर्व कलकत्ता का दौरा किया था, स्पष्ट रूप से, उल्लेख किया था और उन्होंने रामपन्थी साम्यवादी दल का भी कुछ उल्लेख किया था. परन्तु वैदेशिक कार्य मंत्री के उत्तर में कहा गया है कि वह कुछ नहीं जानते। क्या यह गृह–कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के परस्पर विरोधी नहीं है ?

श्री मु० क० चागला : मैंने यह नहीं कहा कि मैं नहीं जानता। प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि चीनी राजनयिक ने नवसलबाड़ी का दौरा किया। उत्तर है "नहीं"

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether the Third or the First Secretary of the Chinese Embassy had visited Calcutta brfore the Naxalbrai trouble, if so, the name of the person whom be met and his activities ? Is it also a fact that he went to witness a dramas show where sleogans of "Long Live Mao" were shouted, if so, what action has been taken against the Indians accompanying him ?

श्री मु० क० चागला : जानकारी यह है कि 23 मई को स्थानीय साम्यवादी दल के सांस्कृतिक कक्ष ने. वियतनाम पर एक बंगाली नाटक "अजय वियतनाम" प्रदर्शित किया था। यह नाटक एक उग्रवादी उत्पल दत्त द्वारा लिखा गया था जिसे पहले भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत विरुद्ध किया गया था। वियतनाम में अमरीकी सेना पर अत्याचारों का आरोप लगाने के अतिरिक्त इस नाटक में प्रधान--मन्त्री और भारत सरकार की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। चीनी अधिकारी इस नाटक में विशेष अतिथियों के रूप में उपस्थित थे।

Shri Kameshwar Singh : The whole nation knows that some personnel of the Chinese Embassy did go to Naxalbari and they distributed Chinese literature and pictures of Mao Tase tung there. In view of this how the hon. Minister can say that he does not know ? Will he make an enquiry into it ?

श्री मु० क० चागला : हमने अग्रेत्तर जांच की है और हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वे नक्सल बाड़ी नहीं गये । वे कलकत्ता गये थे । कलकत्ता में उन्होंने जो कुछ किया उसे सभा जानती है ।

श्री कार्तिक ओराओं : चूंकि भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है क्या सामान्य तौर पर चीनी राजनयिक द्वारा अपनी भाषा में वैदेशिक–कार्य मंत्रालय को सूचना देना आवश्यक था या क्या वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कार्य में चीनी राजनयिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखना शामिल है ?

श्री मु० क० चागला : हमारे दूतावास में हाल की घटनाओं के होने तक राजनयिक जानकारी देने के लिये बाध्य नहीं था, परन्तु हम अलबत्ता राजनयिकों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं । परन्तु नवीनतम अनुदेशों के अन्तर्गत वर्तमान स्थिति यह है कि चीनी राजनयिकों को यह बता दिया गया है कि वे भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली या नई दिल्ली की सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते थे ।

Shri Sita Ram Kesri : May I know whether the hon. Minister had the prior knowledge of the Chinese former Third Secretarys, intended visit to Naxalbari to help the rebel elements in their nefarious activities against the persent Government ? if so, the preve tive steps taken by the Government ?

श्री मु० क० चागला : हो सकता है उन्होंने कलकत्ता से सहायता दी हो, परन्तु वे निश्चय ही कलकत्ता नहीं गये । यह हमारी जानकारी है ।

श्री हेम बरुआ : चूंकि चीन में हमारे राजनयिकों पर पेकिंग नगर की सीमा से बाहर जाने पर पिछले पांच वर्षों से पाबन्दी लगाई हुई है, आप चीनी राजनयिकों को यहां और देश भर में क्यों घूमने देते हैं सरकार के विरुद्ध प्रचार क्यों करने देते हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूँ कि इस प्रतिबन्ध के लागू करने से पहले भी उन्हें हमें यह बताना पड़ता था कि वे कहां जा रहे हैं । परन्तु अब वे बिना अनुमति के नहीं जा सकते हैं । (**व्यवधान**)

श्री हेम बरुआ ; काफी समय पहले इस सभा में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया था कि पीकिंग में हमारे राजनयिकों का पीकिंग नगर की सीमाओं से बाहर जाना वर्जित है और सरकारी वक्ता ने हमें बताया था कि हम भी जवाबी कार्यवाही करेंगे । परन्तु अब हम देखते हैं कि वे सारे देश में घूमते फिरते हैं ।

श्री मु० क० चागला : स्थिति यह है । पेकिंग में इन खेदपूर्ण घटनाओं से पूर्व चीनी राजनयिकों को हमें सूचित करना पड़ता था कि वे कहां पर और कितने समय के लिये

जा रहे हैं। इसके पश्चात हमने प्रतिबन्धों को मजबूत कर दिया है; आज वे हमारी स्पष्ट अनुमति के बिना नई दिल्ली की सीमाओं को नहीं छोड़ सकते हैं।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में विमान के ढांचे का निर्माण

+

*1176. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स (बेंगलौर) ने विमान का एक ढांचा बनाया था और उस ढांचे के लिये इंजन प्राप्त करने में उसने आठ वर्षों में 236.76 लाख रुपये व्यय किये;

(ख) इस ढांचे पर कितनी लागत आई थी तथा इसमें अनुमानतः कब तक इंजन लग जायेगा;

(ग) इस मामले की, जिससे देश को इतना भारी नुक्सान हुआ है, जांच करने तथा इसके लिये किसी को उत्तरदायी ठहराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है ताकि भविष्य में ऐसा फालतू खर्च न हो ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) प्रश्न एच० एफ० 24 विमानों के लिये इंजन के निर्माण के लिए प्रायोजना से सम्बन्धित है। एच० एफ० मेक 1 विमान 703 आफिर्यस इंजनों द्वारा चलाया जाता है। 1962 में एक नया इंजन एच० एफ० 24 विमानों के संशोधित संस्करण के लिए चुना गया था। शुरु 1964, में जब पता चला कि इंजन मेक 2 संस्करण के एच० एफ० विमानों की आवश्यकताएं न जुटा पाएगा, इस इंजन प्रायोजना को त्याग दिया गया। इस प्रायोजना पर 237.76 लाख रुपये खर्च हुए थे।

(ख) इससे पहले कि नए इंजन के लिए फ्रेम निर्माण शुरु किया जाता, जैसे ऊपर (क) में कहा गया है प्रायोजना त्याग दी गई थी।

(ग) तथा (घ) यह पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी द्वारा खासे निरीक्षण का विषय बना रहा था, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की (1966-67) 70वें रिपोर्ट द्वारा आवृत है। पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी की यह रिपोर्ट निरीक्षणाधीन हैं।

श्री बाबू राव पटेल : क्या यह सच है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, जब ब्रिटिश सरकार ने सैनिक सामान की सप्लाई बन्द कर दी थी तो ब्रिटिश सप्लाई पर निर्भरता के कारण हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स कारखाने में उत्पादन बिल्कुल बन्द करना पड़ा था ?

श्री ब० रा० भगत : कुछ कार्यक्रम ब्रिटिश सामग्री पर निर्भर करते थे और उन्हें कुछ समय के लिये बन्द कर दिया गया था, परन्तु हमने खुले विदेशी के लिये या अन्य किसी तरीके से प्रबन्ध कर लिया था। (व्यवधान)

श्री बाबू राव पटेल : क्या यह सच है कि कुछ देशों को हमारे एवरो विमान बेचने की बातचीत इसलिये विफल रही कि एवरो के परीक्षण संतोषजनक नहीं रहे और अब इन विमानों को इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को उसके अधिकारियों के इच्छा के विरुद्ध जबर दस्ती दिया जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : एवरो एक प्रथम प्रश्न है। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में एवरो के प्रति कोई विरोध नहीं है। उन्होंने उसे स्वीकार किया है और हम इसे दे रहे हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या संयुक्त अरब गणराज्य हिन्दुस्तान एरो नॉटिम्स लिमिटेड में निर्मित एयर फ्रेम के लिये इंजिन देने की स्थिति में है जो वहां पर एक जर्मन फर्म के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है या भारत सरकार इंजिन प्राप्त करने के लिये जर्मनी से सीधा करार करना चाहती है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि एच० एफ० 24 एयर फ्रेम का ई० 300 यू० एस० आर० इंजिन के साथ परीक्षण किया जा रहा है। परन्तु अन्तिम परिणामों के पता लगने में कुछ समय लगेगा।

श्री मं० रं० कृष्ण : इस सभा में यह बताया गया था कि परीक्षण किया गया था और इसे उपयुक्त पाया गया था। उसके बाद मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संयुक्त अरब गणराज्य से इंजिन प्राप्त करना चाहती है या हाल की लड़ाई के कारण वह इस इंजिन को नहीं दे सकता है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि परीक्षण आरम्भ हो गये हैं। परन्तु माननीय सदस्य जानते हैं कि अन्तिम परिणाम स्थापित करने से पूर्व सैंकड़ों घंटों के परीक्षण की आवश्यकता होती है।

श्री गिरिराज शरण सिंह : क्या जर्मन विमान के डिजाइनर प्रो० टैंक का हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड से अब भी सम्बन्ध है ? वह वहां पर 1952 से है, और मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई और डिजाइन तैयार किया हो।

श्री ब० रा० भगत : वह हमें छोड़ गये हैं। परन्तु यह सच नहीं है कि उन्होंने कोई डिजाइन तैयार नहीं किया है। हमारे एयर फ्रेम का डिजाइन उन्होंने ही तैयार किया था।

Shri Madhu Limaye : Just now the hon. Minister stated that the discussion in this regard is contained in the 17th Report of the P. A. C. How much time does the Government take to consider the report after it is submitted to them ? I am understand that the Government is required to give its reaction within 6 months of the receipt thereof. In this case 8 months have elapsed and still the hon. Minister says that the matter is under consideration. Will the hon. Minister please clarify it ?

Shri B. R. Bhagat : As the hon. Member knows the Committee makes various recommendations, we consider them and pass on our views to the Committee. The Committee may agree in part on those views. Then we again consider them. That consideration is going on.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether America had given any prior intimation when it witheld the supply of components during Indo-Pak conflict and the reasons therefor ? Did the Government try to enquire into it ? By what time Government will be able to take a final decision on the Report ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि सर्वविदित है सप्लाई अचानक बन्द कर दी गई थी ।

Closure of Suez Canal

+

*1179. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Mahant Digvijay Nath :
Shri Raguvir Singh Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India and other countries have been adversely affected by the closure of the Suez Canal; and

(b) if so, Government's reaction in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) Yes, Sir. A statement was made by my colleague, the Defence Minister, on the 30th June that the closure of the Suez Canal is a matter of great concern to India and other countries affected as well as to the UAR. In this connection UAR Government have stated that they are unable to reopen the Canal so long as Israel forces continue to occupy the east bank of the Canal and other Arab territories occupied by them.

Shri Y. S. Kushwah : Hon. Dinesh Singh went to Egypt to see Col. Nasser. I want to know whether he had a talk with him regarding Suez Canal and whether he had come to a decission to take out our foodgrains which have been blocked due to closure of Suez Canal.

Shri Surendra Pal Singh : Shri Dinesh Singh had a talk with President Nasser, but I could not say whether they had discussed Suez Canal also. I think they must have discussed Suez Canal. But the U. A. R. of the view that they cannot open it due to some reasons.

Shri Y. S. Kushwah : I want to know the steps you are going to take so that the indian foodgrain reach here as early as possible,

Shri Surendra Pal Singh : It has been replied by the Food Minister several times. Our ships who are bringing the foodgrains are reaching via cape. There is only one ship which has been blocked in that Canal. It is not expected to reach here early, but we are trying that something could be done in this respect.

Shri Prakash Vir Shastri : The Indian Government mention herself that due to not reaching of sevral ships from Suez Canal we would have to bear the burden of about

17 crore rupees every year. The condition of other countries would almost be the same. Taking this situation into consideration, whethe the Government on realising herold mistakes would decide to raise the question in United Nations that the Suez Canal should be an international Canal so that no body may suffer the difficulties like this in future ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : राष्ट्रसंघ में हमने यह प्रश्न उठाया है। हमने यह प्रश्न उठाया था कि इससे पहले कि इस सम्बन्ध में कुछ विचार विमर्श हो जो इसराइली सेना अरब क्षेत्र में है वापिस चले जानी चाहिये, क्योंकि हमारे विचार में यह था कि जब तक इसराइली सेना नहर के पूर्वी भाग में रहेगी, तब तक नहर को खोले जाना सम्भव नहीं होगा। जैसा कि मेरे माननीय मित्र को विदित ही है कि कल तक भी स्वेज नहर क्षेत्र में गोली जल रही थी। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रेक्षकों की नियुक्ति शीघ्र की जानी है लेकिन जब तक हम स्वेज नहर से सेना की वापसी के प्रश्न को हल नहीं कर देते तब तक स्वेज नहर के खुलने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः हमारे प्रतिनिधि और दूसरे देशों के प्रतिनिधि इस बात पर जमे हुए है कि कोई और कार्य करने से पहले इसराइली सेना को वहां से हटा लेना चाहिये और यदि वह वहां से हट जाती है तो और कदम उठाये जा सकेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : The result of its converting into international ways of traffic would not only beneficial to India but to the world at large. Indian Government believe in world peace. On withdrawal of the Israeli troops or on establishing peace there, whether the Indian Government would introduce in the United Nations, a proposal to declare Suez Canal as an International passage. My question is very clear and I want clear answer for it.

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय मंत्री के इस विचार से पूर्ण रुप से सहमत हूँ कि स्वेज नहर का फिर से खोला जाना न केवल भारत के हित में है बल्कि बहुत से अन्य देशों के हित में भी है। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमने कौनसी गलती कि है जिसके लिये हमे प्रायश्चित करना चाहिये क्योंकि जो भी हमने राष्ट्रसंघ में किया है वह मुख्यतः स्वेज नहर की सफाई और उसको फिर से खोले जाने के उद्देश्य से किया है।

Shri Prakash Vir Shastri : What is the policy of the Government regarding admitting the Suez Canal as an international passage rather than there might be the right of only one nation on it. He is not replying to my question.

श्री मु० क० चागला : ऐसा प्रश्न नहीं उठता है। यदि ऐसा प्रश्न उठता है तो भारत सरकार इस प्रश्न से निकलने वाले तात्पर्य पर ध्यान पूर्वक विचार करेंगी। इस समय प्रश्न यह है कि क्या स्वेज नहर खुलनी चाहिये। हम स्वेज नहर के खुलने से सम्बन्धित है।

Shri Digvijaya Nath : It is known from the newspapers that there has been agreement between West Asia due to the efforts of United Nations. May I know whether we would be benefited and a result of this agreement and whether we would get the facility to bring ourgoods here which have been stopped at the Suez Canal.

Shri Surendra Pal Singh : According to the agreement mentioned by the hon. Member, the only thing that has happened is that the U. N. Observers have reached the Suez Canal territory. There reaching does not effect the problem because the first condition of U. A. R. that the Israeli troops should be withdrawn first, has not been fulfilled.

The Israeli troops are still there. Therefore, the question of receiving any benefit to us does not arise.

नियम 40 के अन्तर्गत
Under Rule 40

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट

+

*1. **श्री मधु लिमये :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी लोक सभा में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी कितनी रिपोर्ट सरकार से उन्हें प्राप्त हुई हैं;

(ख) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अब तक ऐसी कितनी रिपोर्टों पर विचार कर लिया है ;

(ग) क्या इन विचारार्थ रिपोर्टों में असहमति के कुछ मामलों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो इस असहमति की संक्षिप्त रुप रेखा/सारांश क्या है ;

(ङ) क्या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट पेश करने के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की हुई है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सभापति, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (पंडित द्वारका नाथ तिवारी) : (क) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के कुल 31 मूल प्रतिवेदनों में से अब निम्नलिखित चार प्रतिवेदनों के बारे में सरकार से पूरे उत्तर प्राप्त हुए हैं :—

(एक) हिन्दुस्तान स्टील लि० के बारे में इस्पात के बारे में ग्यारवां प्रतिवेदन ।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेकिटसाइड्स लि० के बारे में दूसरा प्रतिवेदन ।

(तीन) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया के बारे में छठा प्रतिवेदन ।

(चार) सरकारी उपक्रमों की टाउनशिप तथा कारखाना इमारतों के बारे में आठवां प्रतिवेदन ।

अब तक सरकार से निम्नलिखित पांच प्रतिवेदनों के बारे में आंशिक उत्तर प्राप्त हुए ।

(एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के बारे में पहला प्रतिवेदन ।

(दो) जीवन बीमा निगम के बारे में चौथा प्रतिवेदन ।

(तीन) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में पांचवा प्रतिवेदन ।

(चार) हिन्दुस्तान स्टील लि० के मुख्य कार्यालय के बारे में 28वां प्रतिवेदन ।

(पांच) हिन्दुस्तान स्टील लि० की मिश्रित इस्पात परियोजना के बारे में 31वां प्रतिवेदन ।

(ख) चार कार्यवाही प्रतिवेदनों में से एक प्रतिवेदन के बारे में कार्य पूरा हो चुका है और वह लोक सभा में पेश किया जा चुका है । शेष तीन प्रतिवेदनों पर समिति विचार कर रही है ।

(ग) और (घ) ऐसे विषयों के बारे में जिन पर सरकार तथा समिति के बीच सहमति । असहमति होती है, जानकारी सभा में पेश किये गये प्रत्येक की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में दी जाती है । हिन्दुस्तान स्टील लि० के राडरकेला इस्पात संयंत्र के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धित समिति के 33वें प्रतिवेदन में असहमति के विषय अध्याय 4 में निर्दिष्ट है । सरकार तथा समिति के बीच लगभग 15 प्रतिशत मामलों में असहमति है । समिति ने अपनी 54 सिफारिशों में से 8 सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों को स्वीकार नहीं किया ।

(ङ) और (च) समिति के प्रतिवेदनों के बारे में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए छः महीने की अवधि निर्धारित की गई है ।

2. (एक) शेष 22 प्रतिवेदनों मैं से छः प्रतिवेदन 3 जुलाई, 1967 को अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किये गये थे । क्योंकि प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने के बाद से उनके बारे में सरकार को छः महीने की अवधि के भीतर उत्तर देना होता है । इसलिए उनके उत्तर आने का समय अभी नहीं हुआ है ।

(दो) शेष 16 प्रतिवेदनों में से 3 प्रतिवेदन केरल के उपक्रमों के बारे में हैं जिनकी छानबीन उस समय की गई थी जब कि उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू था ।

केरल में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो गई है और इन प्रतिवेदनों के उत्तर के लिये वहां के विधान मंडल द्वारा कार्यवाही की जानी है ।

(तीन) निम्नलिखित प्रतिवेदनों के बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(1) तीसरा प्रतिवेदन (शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया)

(2) 13वां प्रतिवेदन (सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध तथा प्रशासन)

(3) 21वां प्रतिवेदन (एयर इण्डिया)

(4) 22वां प्रतिवेदन (इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्युटिकल्स लि०)

(5) 23वां प्रतिवेदन (इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन)

(6) 24वां प्रतिवेदन (नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन)

(7) 29वां प्रतिवेदन (हिन्दुस्तान स्टील लि० का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र)

(8) 30वां प्रतिवेदन (हिन्दुस्तान स्टील लि० का भिलाई इस्पात संयंत्र)

Shri Madhu Limaye : The Chairman of the Committee has told that six months have been fixed for knowing the reply of the Government with regard to the report of the Committee. I want to know whether action taken reports received by the Government had come within six months and whether the Committee have not got the right to call for the reply of those eight reports, the reply of which have not been received from the Government and whether they want to get more rights from the Parliament ?

Shri D. N. Tiwari : None of the report has been received within six months. It atleast takes nine months to one year to get a report. Out of the remaining eight reports, some of them have been pending for fifteen months, some for one and a half year and some for two years. Committee issues the reminder regularly and as soon as the Government's reply is received, the Committee examines it.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, whether you would do something regarding giving some more rights to the Committee or imposing some restrictions on the Government ? It has passed more than two years since the Committee has given its report. If I had not asked this question, no body would have even known about all these things. As it has been told by the Chairman that the reply of some reports have not been received for more than two years. It is the contempt of the House.

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस सम्बन्ध में लिख सकते हैं ।

Shri George Fernandes : The Government have not taken action under direction number 102 by the Speaker accordingly it ought to have taken action on the report of the Committee. It has been mentioned in it that the Government should immediately send an action taken report as soon as it received the report from the Committee. The Chairman has told that several action taken reports have not been received even after two years. I want to know whether some order may be issued by you or through the House to present all those reports immediately.

अध्यक्ष महोदय : लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष सरकार से इसको पूरा करने के लिये कहेंगे । लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष सरकार से इस सम्बन्ध में पूछ सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : You are the protector of our rights. This is a case of contempt of your directions.

Shri George Fernandes : The Government have contempted your directions. They have not be honoured and the rules have been violated. If we stand in the House, you rebuke us. In this case when the Government have violated the rules, will you take action against it ?

अध्यक्ष महोदय : लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष सबसे पहले यह कदम उठायेंगे कि वह सरकार को यह लिखेंगे कि उसने इस सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं की और इस सम्बन्ध में सरकार ने किस सीमा तक कार्यवाही की है इत्यादि। यदि वह सदन को यह सूचना देते हैं कि वे सरकार से यह सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहे तो इस सम्बन्ध में सदन ऐसे कदम उठायेगा जिससे कि उसे सरकार से इसका उत्तर प्राप्त हो सके। हम अवश्य ही ये कदम उठायेंगे।

Dr. Ram Manohar Lohia : The Chairman has just told you that he has several times written to the Government and the Ministers in this connection, but has no effect. These Ministers are not taking any action on the report of the Committee. The Chairman has taken the action you indicated.

अध्यक्ष महोदय : शायद वह ऐसा कर चुके हों। उन्हें मुझे लिख देने दें, फिर मैं उनसे विचार विमर्श करूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Public Undertaking Committee, Estimate Committee and Public Accounts Committee are the parts or the House and these Committees have only been formulated so that the time of the House may not be wasted.

The Government have the same responsibility of giving the information to these Committees as it has towards this House. But generally it has become the practice that the Government is neglecting to reply these Committees or to take action on these reports. If no strict action will be taken in this connection then these Parliamentary Committees would not have dignity before this House. I want to request you that in future you should follow such practice that the Government may act according to the decisions of those committees or may not be neglegent in submitting information.

अध्यक्ष महोदय : यह स्वीकृत है। यदि सरकार उन्हें सूचना नहीं देती तो अध्यक्ष महोदय मुझे लिख सकते हैं और हम इस सम्बन्ध में अवश्य ही विचार विमर्श करेंगे। सदन को इस पर चर्चा करने का अधिकार है। यदि सरकार उन्हें कोई सूचना नहीं देती तो हम देखेंगे कि इस सम्बन्ध में हम क्या कदम उठा सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरणों का किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण

*1177. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरणों तथा माल का किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण करने के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा संस्थानों से भिन्न संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या और कैसी व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में नेशनल टैस्ट हाउस कलकत्ता ने अच्छा काम किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) रक्षा मदों की कई किस्मों की हालत में, जिनके परीक्षण की सुविधाएं रक्षा प्रयोगशालाओं में प्राप्य नहीं हैं, नेशनल टेस्ट हाऊस, सैन्ट्रल ग्लास एण्ड सीरामिक्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट और अन्य असैनिक प्रयोगशालाओं में प्राप्य सुविधाओं का खर्च पर उपयोग किया जाता है। इण्डियन स्टेटिस्टीकल इन्स्टीच्यूट की क्वांटिटी कन्ट्रोल यूनिट की सेवाओं का नेवल डाकयार्ड बम्बई में क्वांटिटी कन्ट्रोल तकनीकी को प्रयोग करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। साधारण प्रयोगशाला की कई मदें जैसे कम्बल इत्यादि रक्षा के लिए डी० जी० एस० एण्ड डी० के इन्स्पेक्टोरेट द्वारा परीक्षित की जाती हैं।

(क) जी हां।

पश्चिम एशियाई संकट पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन

*1180. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल में हुए अधिवेशन में उन्होंने पश्चिम एशिया संकट के बारे में भारत के विचार व्यक्त किये थे; और

(ख) यदि हां, तो इन विचारों की मुख्य बातें क्या है तथा यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों से कोई समर्थन मिला है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री के वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1066/67]** भारत ने गुटों से अलग 17 अन्य देशों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया था कि इसराईली सेनाएं उन ठिकानों को लौट जाएं जहां वे 5 जून 1967 को थीं। इस प्रस्ताव के पक्ष में 53 और विरोध में 46 वोट आए। 20 ने मतदान में भाग नहीं लिया।

Indian Vessels and Inland Water Transport Barges Captured by Pakistan

1181. **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Bhogendra Jha :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri Jageshwar Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kameshwar Singh :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several Indian vessels and Inland Water Transport barges captured by Pakistan during the Indo-Pak conflict in 1965 have not been returned to India;

(b) whether the Government of India approached Pakistan to return the said vessels;

(c) if so, the nature of the reply received from them; and

(d) Government's reaction thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) During the Indo-Pak conflict in 1965, Pakistan had captured three Indian Ocean-going vessels and 190 Inland Water Transport vessels, barges and other craft. Two out of the three ships have since been exchanged with two Pakistani ships which were held in India. The exchange of the third Indian vessel with a Pakistani vessel detained in India is under negotiation None of the Inland Water Transport vessels have been returned by Pakistan so far.

(b) to (d) The Government of India have made several requests to the Pakistan Government to return these Inland Water Transport vessels, but without result. The Government of India have also lodged protests with Pakistan authorities against the illegal use and sale of these vessels. Pakistan Government have been told that they must bear full responsibility for their arbitrary action, which is against international practice and constitutes a violation of the Tashkent Declaration. The Government of Pakistan have been further told that the Government of India would not recognise any title, that the Pakistan Government or any third party, may claim to these vessels pursuant to the illegal measures of the Pakistan authorities, and that the Government of India reserve the right to claim full compensation for any loss or damage to the seized Indian vessels. No reply has so far been received from the Government of Pakistan.

इसराइली सेनाओं की वापसी के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ संकल्प

***1182. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, यूगोस्लाविया तथा 13 अन्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन सत्र में रखे गये संकल्प के बारे में कोई सफलता मिली है जिसमें इसराईल को अरब क्षेत्रों से अपनी सेनाएं 1948 की सीमा रेखा से पीछे ले जाने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और 17 अन्य देशों ने जो प्रस्ताव का मसौदा रखा था, उसके पक्ष में 53 वोट आए, 46 वोट विरोध में पड़े और 20 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इसलिए प्रस्ताव के मसौदे पर आवश्यक दो-तिहाई मत नहीं मिल सके।

पिजो की अमरीका की प्रस्तावित यात्रा

***1183. श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह : **श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागा नेता मि० पीजो नागालैण्ड की स्वतन्त्र राज्य बनाने के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए पुनः अमरीका जाने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीकी सरकार से कहा है कि उनको वीसा न दे क्योंकि उनके पास कोई वैध भारतीय पारपत्र नहीं है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार को श्री पिजो के दौबारा संयुक्त राज्य अमरीका जाने की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नक्सलबाड़ी के बारे में पेकिंग रेडियो से प्रसारण

*1184. **श्री समर गुह :**
श्री हेम बरुआ :
श्री नाथ पाई :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री मरंडी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेकिंग रेडियो द्वारा नक्सलबाड़ी की स्थिति के बारे में हाल ही में कई प्रसारण किये गये हैं जिनमें यह कहा गया है कि (1) कि भारतीय साम्यवादी दल ने 80,000 की जनसंख्या वाले 435 किलोमीटर वाले क्षेत्र में जिसमें नक्सलबाड़ी, खारीबाड़ी और पाशीदावा के देहाती क्षेत्र सम्मिलित हैं, भारत सरकार के विरुद्ध किसानों के सशस्त्र संघर्ष के लिये एक केन्द्र बना लिया है; और

(2) भारतीय साम्यवादियों ने भारत की प्रतिक्रियावादी सरकार के विरुद्ध अपनी राजनैतिक सत्ता कायम कर ली है तथा सशस्त्र संघर्ष के द्वारा किसानों की संस्थाओं का संगठन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका अर्थ यह है कि चीन द्वारा भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसके साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध हैं; और

(ग) चीन के इस भारत विरोधी प्रयत्न का खण्डन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जी हां। प्रसारण में "भारत कम्यूनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी" कहा गया है।

(ग) भारत सरकार ने अपने अन्दरूनी मामलों में इस तरह के हस्तक्षेप को बड़ी गम्भीरता से देखा और दिल्ली में चीनी कार्यनायक के पास जुलाई 1967 को बहुत ही कड़ा विरोध-पत्र भेजा। विदेश-स्थित भारतीय मिशनों को इसके बारे में बता दिया गया है और उन्हें यह निदेश दिए गए हैं कि वे जिन जिन देशों में नियुक्त करके भेजे गए हैं, वहां इसका पर्दापाश करें।

'शार्ट सर्विस कमीशन'

***1185. श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "शार्ट सर्विस कमीशनों" द्वारा प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भर्ती करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों की सेवा में न लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) आपाती कमीशन देना जो आपाती स्थिति की घोषणा के पश्चात् पुरःस्थापित की गई थीं, 1965 में बन्द करदी गई थी, और 1965 से 5 वर्षों की सेवा की अवधि और तदनु 10 वर्षों के लिए रिज़र्व देयता सहित अल्पकालीन कमीशनें दी जा रही हैं।

(ख) और (ग) आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को, जो स्वीकार करें और अर्ह हों और जिन्हें सेवाओं के चयन बोर्डों द्वारा स्थायी कमीशन के लिए ग्रेड किया जाता है, अपनी संख्या की एक तिहाई के बराबर स्थायी कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर रख लिया जाएगा, और शेष को 1967-70 के दौरान एक प्रावस्थित कार्यक्रम के अनुसार सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा। सरकार एक तिहाई से अधिक स्थायी कमीशनों के कोटा को बढ़ाने के लिए आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों के सेवाओं का चयन बोर्डो द्वारा चयन के वास्तविक परिणामों के आधार पर विचार करेगी। आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को अल्पकालीन कमीशन देने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न दलों में सेवा से विमुक्ति पाने वाले आपाती कमीशन प्राप्त अफसर 4-6 वर्षों तक सेवा कर चुके होंगे, और वह सेवा अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर 5 वर्षों की सेवावधि के विरुद्ध गिनी जाएगी। उन्हें आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर भी अनिश्चित समय तक के लिए नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से अफसर काडर में आयु और सेवा के ढांचे में असमानता पैदा हो जाएगी जिससे नियुक्ति, प्रोन्नति और आगे भर्ती के सम्बन्ध में कई प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, साथ ही ऐसा करना सेना को जवान बनाए रखने का उद्देश्य प्राप्त कर पाने को विफल भी बनाएगा।

समाचारपत्र वित्त निगम

*1186. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्र वित्त निगम बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त निगम के मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(ग) यह निगम भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों का कैसे विशेष ध्यान रखेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

टायरों की सप्लाई के बारे में जांच समिति का प्रतिवेदन

*1187. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री मधु लिमये :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायरों की सप्लाई के बारे में लोक लेखा समिति के 64 वें प्रतिवेदन के संदर्भ में सरकार द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) और बातों सहित रिपोर्ट विभिन्न अनुशासनिक पहलुओं से सम्बन्धित है, जिन पर सम्बन्धित मंत्रालयों को कार्यवाही को अन्तिम रूप देना है । इसके अतिरिक्त 22 जुलाई, 1967 को होने वाली अपनी बैठक में पब्लिक अकाऊन्ट्स कमेटी ने समस्त मामले पर विचार भी करना है । वर्तमान परिस्थितियों में रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना लोकहित में न होगा ।

भारत को भेजे गये अमरीकी माइलो अनाज के स्वेज नहर में रुके रहने के कारण संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा मुआवजा देने की पेशकश

*1188. **श्री प्र० के० देव :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री अ० दीपा : **श्री बलराज मधोक :**
श्री म० माझी : **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री सूरज भानू :**

श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री क० नि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य ने, अरब–इसराईल युद्ध के दौरान अमरीकी माइलो से भरे हुए जहाजों के स्वेज नहर में रुक जाने के कारण भारत को उसका मूल्य अथवा उसके बदले में मिस्र का गेहूं देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उस पेशकश को स्वीकार कर लिया है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) ; (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अमरीका के राष्ट्रपति का प्रधान मंत्री को पत्र

***1189. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति के विशेष दूत मिस्टर रैमंड हेयर ने 28 जून, 1967 को प्रधान मंत्री को कोई पत्र दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका के राष्ट्रपति ने इस पत्र में अरब–इसराईल संघर्ष तथा भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना की सहायता के लिए दी जाने वाली अमरीकी सहायता की धनराशि के बारे में अपनी राय प्रकट की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) राज्याध्यक्षों के बीच इस तरह के पत्रों में लिखी बातों को बताने का फायदा नहीं है क्योंकि वे गोपनीय हैं । बहरहाल, पत्रों में योजना के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता का हवाला नहीं दिया गया था ।

Death of Army Officers in Motor Boat Accident Near Poona

***1190, Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Nath Pai :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of a motor boat capsizing in river MULA at Poona on the 30th June, 1967 six Army Officers died and two others were injured and the condition of the injured is precarious;

(b) if so, the cause of the mishap; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir. Six Army Officers died but no others were injured. One Officer took in water but soon revived after first aid was given.

(b) and (c) A court of Inquiry has been constituted to find out the circumstances under which the six officers were drowned. Any remedial or other action which may be called for will be considered when the findings of the Court of Inquiry become available.

उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन के सदस्य देशों से सैनिक सहायता

*1191. **श्री मधु लिमये :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन के सदस्य देशों द्वारा पुराने करार/नये करार के अन्तर्गत सैनिक सहायता फिर से सैनिक सामान की सप्लाई के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) रूस और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों द्वारा दिये जाने वाले ऐसे सामान तथा सहायता की स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सितम्बर 1965 में यू. एस. ए. और यू. के. सरकारों द्वारा सैनिक सहायता बन्द कर दी गई थी, और उन द्वारा अब तक पुनः जारी नहीं की गई है ।

जहां तक नकद/उधार पर सैनिक सप्लाईयों के पुनः जारी करने का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार है :—

यू० एस० ए० :

यू. एस. ए. ने मद दर मद नकद पर यू. एस. निर्माण के घातक हथियार के स्पेयर पुनः हमें बेचने का फैसला किया है । उन्होंने अघातक सैनिक सामान हमें मद दर मद के आधार पर पुनः नकद/ऋण पर भी देना जारी कर दिए हैं ।

यू० के०, फ्रांस, बेल्जियम, डेन्मार्क, हालैण्ड :

इन देशों से अब रक्षा साजसामान की सप्लाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

कनाडा :

कनाडा से अघातक मदों की सप्लाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

पश्चिमी जर्मनी :

पश्चिमी जर्मनी से रक्षा साजसामान की कई श्रेणियों के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इनमें शामिल हैं मीजाईला, टैंक, युद्धपोत, लड़ाकू/वाम्बर विमान रक्षा साजसामान की कई अन्य श्रेणियों के आयात प्रत्येक स्थिति में गुणरूप के अनुसार लाइसेंस के अधीन हैं । इनमें शामिल 90 एम० एम० कैलिवर के टैंक भेदी हथियार, हथगोले ओर स्फोटक, कबीचत गाड़ियां इत्यादि ।

(ख) यू० एस० एस० आर० अथवा मध्य योरोप देशों से सैनिक सहायता का कोई कार्यक्रम नहीं है, जो नकद/ऋण पर उनसे हुए करारों के विरुद्ध सप्लाइयां करते हैं ।

High-Power Transmitters for Border Areas

***1192. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total number of high-powerd transmitters installed in the border areas so far;

(b) the amount spent on their import from abroad;

(c) the number of transmitters working at present and those which are lying unutilised;

(d) whether it is also a fact that a large number of old high-powered transmitters have been purchased from a foreign company and in this deal a huge amount has been misappropriated; and

(e) whether any investigation has been conducted by Government in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) Out of a total of six high power transmitters imported from abroad for installation in border areas at a total cost of Rs. 63 lakhs approximately, three Nos. have already been commissioned at Calcutta, Jullundur and Gauhati. Installation work on two more transmitters is in an advanced stage while that on the sixth transmitter has been taken in hand.

(d) No, Sir.

(e) Does not araise

विद्रोही नागा नेताओं से बातचीत

***1193. श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री म० मांझी :**
श्री प्र० के० देव : **श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन दो सदस्यीय नागा प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने का है- जो श्री विजो तथा विद्रोही नागा नेताओं से बातचीत करने लन्दन गया था; और

(ख) यदि हां, तो यह बातचीत कब होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) छिपे नागाओं के जो दो प्रतिनिधि श्री फिजो से सलाह करने के लिए लंदन गए थे, वे अब नागालैंड वापस आ गए हैं। उनके साथ मिलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय संघ के ढांचे में रह कर शांतिपूर्ण हल खोजने की हमारी नीति के अनुसार, भारत सरकार छिपे नागाओं के साथ बातचीत जारी रखने को तत्पर होगी। लेकिन छिपे नागाओं के साथ मीटिंग करने की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई है।

मिग–21 जेट-विमानों का निर्माण

*1194. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एच० ए० एल० के विमान डिजाइनर, जर्मनी के डा० कुर्ट टैंक की इस राय तथा उनके इस परामर्श से अवगत है कि जब तक भारतीय कारखाने मिग–21 जेट-विमान बनाना आरम्भ करेंगे तब तक वे विमान पुराने हो जायेंगे अत: भारत को आजकल बाजार में उपलब्ध उत्तम किस्म के जेट-विमान खरीदने चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) डा० कुर्ट टैंक द्वारा अकस्मात त्यागपत्र दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) डा० कुर्ट टैंक को प्रति वर्ष कितना वेतन तथा अन्य भत्ते दिये जाते थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम्पनी से अपने करार की अवधि की समाप्ति पर, डाक्टर टैंक ने 30–4–1967 को एच. ए. एल. छोड़ा।

(घ) डाक्टर टैंक को निम्न नेट वेतन दिया जाता था :--

1–5–1956 से 30–4–1961 तक 6,000 रुपये मासिक

1–5–1961 से 30–4–1964 तक 6,500 रुपये मासिक

1–5–1964 से 30-4–1967 तक 7,000 रुपये मासिक

पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन

*1195. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने फाजिल्का से लगने वाली पश्चिमी पंजाब सीमा पर अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करके ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा के इस उल्लंघन के बारे में सरकार ने भिन्न देशों को सूचित कर दिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान की फौजी तैयारी, जो जाहिरा तौर पर भारत के खिलाफ है, ताशकंद घोषणा के अनुरूप नहीं है । तमाम देशों के ध्यान में यह बात लाई गई है कि पाकिस्तान ने बार-बार ताशकंद घोषणा का उल्लंघन किया है और इस सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण की आम तौर से सराहना की गई है ।

(ग) अपनी सुरक्षा करने और प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं ।

काठमांडू-कोडारी सड़क

*1196. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री नेपाल सरकार द्वारा काठमांडू-कोडारी सड़क के बंद कर दी जाने के बारे में 26 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 736 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल सरकार को इस सड़क को बंद करने के उपरोक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो उस देश ने क्या उत्तर दिया है; और

(ग) इस सड़क को बंद होने से नेपाल के साथ भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) काठमांडू-कोडारी सड़क यातायात के लिए बंद नहीं की गई है । नेपाल के महामहिम की सरकार के वर्तमान विनियमों के अन्तर्गत भारतीयों सहित सभी विदेशियों को विदेश परमिट लेना जरूरी हैं बशर्ते कि वे बैराबिस से परे जाना चाहते हों; यह स्थान काठमांडू से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है । नेपाल के महामहिम की सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपने उस फैसले पर फिर विचार करे जिसके अन्तर्गत विशेष परमिट जारी करने पर ही नेपाल के निषिद्ध क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रिकों को प्रवेश करने दिया जाता है । नेपाल के महामहिम की सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि समूचे भारत में नेपाली राष्ट्रिकों को भारत के निषिद्ध और सुरक्षित क्षेत्रों में मुक्त रूप से प्रवेश करने की अनुमति देने और आने-जाने के लिए विशेष छूट दी गई है ।

(ख) यह मामला नेपाल के महामहिम की सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) चूंकि यह सड़क काठमांडू को नेपाल तिब्बत सीमा से मिलाती है, इसलिए इसके आखिरी 25 किलोमीटर में हिस्से में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का भारत-नेपाल व्यापार से कोई ताल्लुक नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिबंध लोगों के आने-जाने पर है, वस्तुओं के आने-जाने पर नहीं।

वाणिज्य सम्बन्धी प्रसारण

*1197. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 और 2 जुलाई, 1967 को नई दिल्ली में हुए दो दिवसीय अखिल भारतीय समाचारपत्र प्रकाशक सम्मेलन में सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह आकाशवाणी से प्रसारित किये जाने वाले वाणिज्य सम्बन्धी विज्ञापनों के बारे में किये गये अपने निर्णय को फिलहाल कार्यान्वित न करे;

(ख) क्या सम्मेलन में यह भी अनुरोध किया गया है कि सरकार को भविष्य में ऐसे मामलों पर निर्णय करने से पहले समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों को बातचीत करने के लिये बुलाना चाहिये और समाचार-पत्रों के हितों की रक्षा करने के लिये उपाय ढूंढ़ने चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आकाशवाणी द्वारा वाणिज्य सम्बन्धी प्रसारण पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सरकार ने उसके तमाम पहलुओं पर विचार किया था। यह प्रसारण पायलट प्राजेक्ट के रूप में 15 अगस्त, 1967 से आरम्भ किये जायेंगे। सम्मेलन के प्रस्ताव में सरकार से प्रार्थना की गई थी कि भविष्य में ऐसी बातों पर उनसे सलाह ली जाए। इसके लिए सम्मेलन के प्रतिनिधि 22 जुलाई, 1967 को सूचना और प्रसारण मंत्री से मिल रहे हैं।

हिन्द महासागर के द्वीपों की स्वतन्त्रता

*1198. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर के मौरिशस जैसे द्वीपों ने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने की दिशा में कितनी प्रगति की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत ने क्या सहायता दी है अथवा देने का विचार किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) मौरिशस में आम चुनाव अब 7 अगस्त, 1967 को होने हैं और मौरिशस उसके 6 महीने बाद पूर्ण आजादी की ओर अग्रसर हो जायगा।

हिन्द महासागर में अन्य अ-स्वशासित द्वीप सीचेलोस द्वीप समूह (ब्रिटिश) और रियूनियन द्वारा (फ्रांसीसी) हैं। इनमें से किसी के लिए भी स्वशासन या स्वाधीनता प्राप्त करने की तारीख तय नहीं की गई है।

(ख) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव नं० 1514 (XV) दिनांक 14-12-1960 के अनुसार मारिशस तथा सभी अन्य औपनिवेशिक प्रदेशों में हमेशा से बहुसंख्यक शासन आरम्भ करने का समर्थन किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र तथा 24 राष्ट्रों की समिति में औपनिवेशिक प्रदेशों की पूर्ण स्वाधीनता के लिए दबाव डालता रहेगा; यह समिति औपनिवेशिक प्रदेशों को स्वाधीनता दिलाने का विशेष रूप से कार्य करती है। हम विश्व के तमाम अन्य मंचों पर भी इन मसलों का बराबर समर्थन करते रहेंगे।

N. C. C. Training

***1199. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 139 on the 29th May, 1967 and state :

(a) whether action has been taken on ths recommendation made by Education Commission and Kothari Committee in respect of making N. C. C. training voluntary;

(b) if so, the broad details thereof;

(c) if not, the further time likely to be taken in the matter; and

(d) the number of persons who would receive training in the country annually ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) The Kothari Committee which was set up to suggest how to implement the Education Commission's recommendation on National Service has proposed that the National Service Corps programme should be an alternative to compulsory N. C. C., that is to say, that the student should be free to choose one of the two. Government have accepted this in principle and are working out details of the National Service Corps.

(d) The number of boys and girls trained in N. C. C. in Schools and Colleges during 1966-67 was 15.92 lakhs. When the alternative programme of National Service Corps is introduced, the number is expected to come down substantially. The actual numbers annually will depend on the options exercised by the students.

गोआ

*1200. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हेम बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाल सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से कहा है कि वह भारत सरकार पर जोर डाले कि गोआ को पुर्तगाल को लौटा दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। 24 जून, 1967 को पुर्तगाल के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पांचवें आपाती विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष के पास एक पत्र भेजा जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया था कि पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश के 'वापस करने के लिए भारत को वाध्य किया जाय।' पुर्तगाली विदेश मंत्री ने महासभा के अध्यक्ष से कहा था कि वह उनके पत्र को महासभा के अधिकृत प्रलेख के रूप में भेज दे लेकिन यह नहीं किया गया है।

(ख) सरकार इस बात के विरुद्ध है कि पुर्तगाल के पत्र को महासभा के पांचवें आपाती विशेष अधिवेशन के अधिकृत प्रलेख के रूप में भेजा जाए क्योंकि इसका उस अधिवेशन की कार्यसूची से किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। पुर्तगाली पत्र का उत्तर महासभा के अध्यक्ष के नाम भेजने के सवाल पर विचार किया जा रहा है।

भूटान–तिब्बत सीमा पर चीनियों द्वारा प्रचार

5817. श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी लोग भूटान-तिब्बत सीमा पर भारत के विरुद्ध दूषित प्रचार कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीमा पर विमानों द्वारा पुस्तिकाएं गिराई गई हैं और इस बात की सूचना भूटान स्थित भारत के पोलिटिकल अधिकारी ने दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इसके बारे में रिपोर्ट देख ली हैं।

(ग) सरकार स्थिति पर निगाह रखे हुए है।

इसराईल तथा पश्चिम एशिया और अफ्रीका के अरब देशों के राष्ट्रजनों को वीजा देना

5818. **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री पीलू मोडी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री वि० नरसिन्हा राव :
श्री म० अमरसे :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 तथा 1967 में कितने इसराइली राष्ट्रजनों तथा संयुक्त अरब गण-राज्य, सऊदी अरब, जोर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान तथा अल्जीरिया के राष्ट्रजनों में से प्रत्येक देश के कितने-कितने राष्ट्रजनों ने भारत आने के लिए वीजा की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र दिये थे;

(ख) कितने वीजा दिये गये;

(ग) कितने व्यक्तियों को वीजा नहीं दिये गये;

(घ) वीजा प्राप्ति के कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ङ) इसराइली राष्ट्रजनों को वीजा देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है तथा उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित पश्चिम एशिया के अन्य देशों के लोगों को वीजा देने की नीति की तुलना में यह नीति कैसी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) वास्तविक इसराईली पर्यटकों को भी वैसे ही वीजा दिया जाता है जैसे पश्चिम एशियाई देशों के अन्य राष्ट्रिकों को ; जहां तक इसराइल के अधिकारियों का सवाल है, भारत सरकार को पहले बताना आवश्यक होता है। तेल-अवीव में, जहां हमारा मिशन नहीं है, ब्रिटिश राजदूतावास हमारी ओर से वीजा जारी करने से पूर्व सारे प्रार्थना-पत्र हमें दिल्ली भेजता है।

आकाशवाणी की देहाती गोष्ठियां

5819. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की देहाती गोष्ठियां के काम का मूल्यांकन किया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) सारे रेडियो ग्राम गोष्ठियों के काम का व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है। तो भी अप्रेल, 1963 में पंचवर्षीय योजना प्रचार पर नियुक्त एक अध्ययन दल ने देश की रेडियो ग्राम गोष्ठियों का अध्ययन किया और कुछ सिफारिशें की।

(ख) रेडियो ग्राम गोष्ठियों का काम आकाशवाणी और राज्य सरकारें मिलजुल कर करती हैं। जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है वह गोष्ठियों के कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करता है और अपने केन्द्रों से प्रसारित करता है, राज्य सरकारों को ऐसे मण्डलियों का आयोजन करना होता है जिनमें यह कार्यक्रम सुने जाते हों और फिर उन पर चर्चा की जाती है। इन सेटों की, जिसके आसपास इस प्रकार की गोष्ठियां संगठित की जाती है, देखभाल भी राज्य सरकारों के जिम्मे है। अध्ययन दल की सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों को बता दिया गया है और बार-बार उनका ध्यान इस ओर खींचा गया है कि इन सिफारिशों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाए।

प्रकाशन प्रभाग

5820. श्री राम चरण : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग की सिब्बन्दी पर गत दस वर्षों में (31 मार्च, 1967 तक) कुल कितना धन खर्च हुआ है;

(ख) प्रकाशन प्रभाग ने गत दस वर्षों में (31 मार्च, 1967 तक) संयंत्रों तथा औजारों आदि पर (विविध आकस्मिक व्यय समेत) कुल कितना धन खर्च किया है;

(ग) गत दस वर्षों में (31 मार्च, 1667 तक) प्रकाशन प्रभाग ने प्रकाशनों की छपाई पर (गैर-सरकारी अधिकरणों से छपाये गये प्रकाशनों समेत) कुल कितना धन व्यय किया है; और

(घ) प्रकाशन प्रभाग को गत दस वर्षों में (31 मार्च, 1967 तक) प्रकाशनों की बिक्री से कुल कितनी आय हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 1,90,03,573 रुपये।

(ख) विभाग द्वारा कोई भी संयंत्र और औजार नहीं खरीदे गए। अन्य मदों पर लागत, लेखों रायल्टी आदि, और वितरण पर खर्चा 60,70,526 रुपये हुआ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और जल्दी ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) प्रकाशनों की बिक्री से आय : 1,97,23,448 रुपये

विज्ञापनों से आय : 14,67,367 रुपये

कुल : 2,11,90,815 रुपये

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में निःसंवर्ग पद

5821. श्री राम चरण : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में (31 मार्च, 1967 तक) उनके मंत्रालय, उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी एक, दो और तीन के कितने निःसंवर्ग पद मंजूर किये गये तथा कितने पदों पर नियुक्तियां की गई;

(ख) इनमें से कितने-कितने पद पृथक-पृथक, सीधी भर्ती द्वारा, विभागीय पदोन्नति द्वारा तथा अन्य विभागों से अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके भरे गये; और

(ग) इन पदों में से कुल कितने पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति नियुक्त किये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) आकाशवाणी और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के विभागों को छोड़ कर शेष विभागों की सूचना का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1067/67]** आकाशवाणी और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

धरंगधरा में छावनी का बनाया जाना

5822. श्री श्रीराज मेघराज : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर गुजरात तथा कच्छ की सुरक्षा के लिये धरंगधरा के 'सामरिक तथा सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण' होने के बारे में जनरल महाराज राजेन्द्र सिंह जी द्वारा 3 दिसम्बर, 1963 को लिखी गई राय पर तथा धरंगधरा में छावनी बनाने के सम्बन्ध में बहुत समय से लम्बित पड़े प्रस्ताव पर विचार कर लिया है;

(ख) सैनिक केन्द्र के विस्तार पर चालू वर्ष में तथा अगले चार वर्षों में कितना धन व्यय करने का विचार है; और

(ग) प्रस्तावित विस्तार की ले-आउट प्लानों का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) धरंगधरा में छावनी स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जैसा कहा गया है 3 दिसम्बर, 1963 को जनरल महाराज राजेन्द्र सिंह जी द्वारा रिकार्ड की गई कही गई राय सरकार को हस्तगत नहीं हो सकी।

(ख) सरकार की प्रशासनिक अनुमति के लिए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वायु सेना मुख्यालय में कार्य करने का समय

5823. श्री रा० रा० सिंह देव : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेना के मुख्यालय में कार्य करने के समय को 1 मई, 1967 से 31 जुलाई, 1967 तक के लिये बदल कर 7.30 म० पू०–2.00 म० प० कर दिया गया है, जबकि सेना के अन्य दो भागों (नौसेना तथा स्थल सेना) में कार्य करने का समय 9.00 म० पू० से 5.00 म० प० तक है;

(ख) यदि हां, तो तीनों सेनाओं के मुख्यालयों तथा अन्तर्सेना संगठन कार्यालयों में कार्य करने का समय एक ही न रखने के क्या कारण हैं जबकि इनमें से अधिकांश कार्यालयों के कार्य का परस्पर सम्बन्ध है; और

(ग) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों को, जो काक करने के लिये शाहदरा, मेहरोली, दिल्ली छावनी और मालवीय नगर आदि दूरस्थ स्थानों से आते हैं, होने वाली कठिनाइयों और असुविधाओं के बारे में ध्यान दिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मई, जून और जुलाई के महीनों में वायु सेना के मुख्यालयों के, सेवा के सेविवर्ग के लिए कार्यालय का समय 7.30 प्रातः से 1.30 तक मध्यान्ह उपरान्त (सप्ताह में 6 दिन) है, जबकि असैनिक कर्मचारियों के लिए 7.30 से 2 बजे तक मध्यान्ह उपरान्त (सप्ताह में 6 दिन) ।

(ख) और (ग) गर्मियों में वायु सेना मुख्यालयों में कार्य के लिए प्रातः के काम के समय का बाहर की वायु सेना यूनिटों के काम के समय के अनुसार पालन किया जाता है । यह परम्परा 1948 से जारी है, सिवाए 1963 की गर्मियों के । यह समय निर्धारित करते समय सरकार ने सभी तथ्यों का ध्यान किया है ।

वायु सेना मुख्यालय में कार्य का समय

5824. श्री रा० रा० सिंह देव : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेना मुख्यालय में सैनिक कर्मचारियों के लिये कार्य करने का समय 1.30 म० प० पर समाप्त होता है जबकि असैनिक कर्मचारियों का कार्य करने का समय दो बजे म० प० तक है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के बीच इस प्रकार का भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) मई, जून और जुलाई के महीनों में वायु सेना मुख्यालयों में सेवा के सेविका के लिए कार्यालय का समय साढ़े सात प्रातः से डेढ़ बजे मध्यान्ह उपरान्त तक होता है (सप्ताह में 6 दिन) और असैनिक सेविवर्ग के लिए साढ़े सात प्रातः से 2 बजे मध्यान्ह उपरान्त तक (सप्ताह में 6 दिन) ।

(ख) वायु सेना के मुख्यालयों सहित सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों में, असैनिक सेविवर्ग के लिए (जो आवर्टाईम के अधिकारी हैं) काम का समय प्रायः भारत सरकार द्वारा असैनिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित काम के घण्टों की प्रमात्रा के अनुरूप होता है ।

सेवाओं के सेविवर्ग के लिए निर्धारित काम के घण्टों की प्रमात्रा कुछ कम होती है क्योंकि सेवाओं के सेविवर्ग को काफी समय शारीरिक व्यायाम, प्रशिक्षण इत्यादि के लिए देना पड़ता है, कि वह लड़ाकू सेवाओं के सदस्यों के तौर पर अपनी क्षमता बनाए रखें । सेवाओं के सेविवर्ग ओवर्टाईम के अधिकारी नहीं हैं ।

वायु सेना मुख्यालय में अफसर तथा वैमानिक

5825. श्री रा० रा० सिंह देव : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेना मुख्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में वायु सेना अधिकारी तथा वैमानिक 20 प्रतिशत हैं और शेष 80 प्रतिशत कर्मचारी असैनिक हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि एयर हैड क्वार्टर्स में काम करने वाले वायु सेना अधिकारियों तथा वैमानिकों को सरकारी मोटरगाड़ी की मुफ्त सुविधा प्राप्त है, जबकि यह सुविधा असैनिक कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार असैनिक कर्मचारियों को भी यह सुविधा देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) क्लर्की काडर में केवल 20 प्रतिशत स्थान वायु सेना के सैनिकों के लिए और शेष 80 प्रतिशत असैनिकों के लिए नियत हैं । स्थानों की अन्य श्रेणियों के सम्बन्ध में ऐसा कोई अनुपात, नियत नहीं किया गया, जो 'यथा आवश्यक' आधार पर स्वीकृत किए जाते है ।

(ख) केवल वायु सेना शिविर में रहने वाले वायु सेना सैनिकों के लिए निःशुल्क सरकारी परिवहन उपलब्ध किया जाता है, और यह सुविधा उन्हें उनके वास्य स्थान और ड्यूटी के स्थान तक के लिए केवल देय है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । सेवा की शर्तों और स्थितियों के अनुसार असैनिक निःशुल्क सरकारी परिवहन के अधिकारी नहीं हैं ।

दीनापुर छावनी बोर्ड के कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

5826. श्री चित्तरंजन राय : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीनापुर छावनी बोर्ड के कर्मचारी संघ ने हड़ताल का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस हड़ताल को रुकवाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 15 मई, 1967 से हड़ताल करने के उद्देश्य की सूचना देने वाला एक नोटिस दिया गया था। तदपि हड़ताल हुई नहीं।

(ख) मांगें यह थीं :—

1. 1–4–1964 की पिछली तिथि से 7.50 रुपये का वर्धित मंहगाई भत्ता दिया जाना।

2. 1–1–1967 की पिछली तिथि से 10 रुपये का वर्धित मंहगाई भत्ता दिया जाना।

(ग) उपरोक्त (क) को सामने रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तदपि, राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए गए आदेशों की तुलना के तौर पर सरकार ने उपलब्धियों में निम्न वृद्धिएं देने का फैसला किया है :—

1. 102.50 रुपये तक उपान्तस्थ समंजन सहित 1–4–1964 से 7.50 रुपये मासिक दर से नया जीवन खर्च भत्ता और 305.00 रुपये तक उपान्तस्थ समंजन समेत 102.50 से अधिक पाने वालों के लिए जिनका वेतन 300 से अधिक न हो, 5 रुपये। साथ-साथ ही 1–4–1962 से दी गई व्यापक वृद्धि 1–4–1964 से वापस ले ली गई है।

2. 1–1–1967 से 600 रुपये तक पाने वालों के लिए 10 रुपये मासिक व्यापक दर पर जीवन खर्च भत्ते से तदर्थ वृद्धि, और 600 रुपये और 609 रुपये के बीच पाने वालों की हालत में उपान्तस्थ समंजन।

गुजरात में टेलीविजन स्टेशन

5827. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में गुजरात राज्य में एक टेलीविजन स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यह स्टेशन कब स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) देश में टेलीविजन के विस्तार का प्रश्न जिसमें गुजरात में भी एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, विचाराधीन है।

Press Council

5828. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Press Council has started functioning;

(b) if so, the details of the work done by it so far; and

(c) if not, the reasons for the delay in starting its work ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) The names of the members of the Press Council of India were notified in the Gazette of India on November 16, 1966 and the Council started functioning from the date of its first meeting held on December 12, 1966. The Council has held three quarterly and one emergency meeting. The Council has inter alia.

(i) examined the necessity and feasibility of framing a code of journalistic ethics and decided to build up its case law in the process of examining the complaints;

(ii) taken up the study of the question of Parliamentary privileges vis-a-vis the Press; the existing facilities for training in journalism and of the developments tending towards monopoly or concentration of ownership of newspapers; and

(iii) prepared draft regulations for receiving and disposing of complaints against newspapers and journalists believed to have offended against the standard of journalistic ethics.

The Council will be presenting their annual Report to Government shortly.

समाचार-पत्रों तथा समाचार अभिकरणों का राष्ट्रीयकरण

5829. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार-पत्रों तथा समाचार अभिकरणों का राष्ट्रीयकरण किया जाने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Visit by Millitary Mission from Yugoslavia

5830. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 43 on the 27th March, 1967 and state :

(a) the expcnditure incurred by the Government of India on the visit of the Military Mission from Yugoslavia; and

(b) how far this Mission proved helpful to India ?

The Minister in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) **Rs. 20,407.51.**

(b) The visit of the Mission provided a useful opportunity for an exchange of ideas on matters of general military importance and strenghtening the bonds of friendship and mutual understanding between the two countries in general and defence forces in particular.

Election News

5831. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 60 on the 27th March, 1967 and state :

(a) whether it is a fact that in an Election Bulletin broadcast from All India Radio it was announced that a neck-to-neck fight was going on between Shri Atal Bihari Vajpayee and Shrimati Subhadra Joshi in Balrampur constituency, whereas the fact was that Shri Atal Bihari Vajpayee was leading by five thousand votes at that time; and

(b) if so, the action taken by Government against the Officers concerned ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) In its 0800 hours English bulletin on February 23, A. I. R. reported that 'Mr, A. B. Vajpayee and Mrs. Subhadra Joshi are having a close contest'. This was based on a news agency message which said that the two contestants are running neck and neck with a margin of 600 votes'. A. I. R. had no other information. On the strength of the same Agency the 'Statesman' also reported on 23rd February as under :—

> 'Mr, Atal Bihari Vajpayee (JS) and Mrs. Subhadra Joshi are running neck and neck with a margin of 600 votes in the Balrampore Parliamentary Constituency'.

(b) Does not arise, as the agency had not till the time of braoadcast reported later figures.

जल प्रांगण की सीमा

5832: **श्री ना० स्व० शर्मा :** **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री शारदा नन्द : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने अपने जल प्रांगण की सीमा 12 समुद्री मील तक बढ़ा ली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार भी अपनी जल प्रांगण सीमा को बढ़ाने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 28 दिसम्बर, 1966 को घोषणा जारी की कि पाकिस्तान के प्रादेशिक जल-क्षेत्र को 3 से 12 समुद्री मील तक बढ़ा दिया गया है ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है और आशा है कि भारत सरकार इसे जल्दी ही अन्तिम रूप देगी ।

Expenditure on Indian Embassy in U. S. A. and High Commission in London

5833. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on our Embassy/High Commission in U. S. A. and U. K., respectively, during the last three years; and

(b) the expenditure incurred on salaries and other items separately, item-wise ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. L. T. 1068/67]**

Broadcast for Border Areas

5834. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. M. Madhukaram :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any plan for regular broadcast in the border areas; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) The programmes for border areas are broadcast daily from all Stations of All India Radio on the borders of India with China and Pakistan viz. Gauhati, Imphal, Kurseong, Kohima, Calcutta. Patna, Lucknow, Jullundur Simla, Bhuj, Rajkot, Ahmedabad–Baroda, Srinagar and Jammu. These programmes are broadcast in the regional language/dialect of the people concerned and aim at imparting both information and entertainment. The programmes consist of News, news commentaries, music (both folk and regional), "Pradeshik Sangeet", plays, features, women's and children's programmes, talks and discussions on agriculture, food, Five Year Plan Publicity and other topical items. Effective propaganda programmes are put out to counter Pakistani and Chinese anti-India propaganda, particularly of distorted and false news items of happenings in India, and to expose happenings in Pakistan and China. Kurseong Station does such programmes in Nepali,Tibetan, Sikkimese and Bhutanese. An effort is also made in the programmes for

people in the border areas to project to them a true image of India by explaining her plans for economic and social progress, her democratic way of life and her policy of peaceful co-existence. Our Defence preparedness is also projected in these programmes. Development projects in the region as also in the rest of the country are invariable stressed.

In addition, Srinagar, Jammu, Jullundur, Delhi, Gauhati, Imphal, Siliguri, Rajkot, Ahmedabad-Baroda, Bhuj, and Lucknow Stations broadcast special programmes for troops every day. In addition, Vividh Bharati broadcasts programmes for troops thrice a day in its "Jayamala" programme. Messages from troops in forward areas for their relations, are also recorded and broadcast subsequently.

केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली छावनी में स्टाफ कारें

5835. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में दिल्ली छावनी में स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो की 12 स्टाफ कारें बेकार घोषित कर दी गई थी और साल्वेज डिपो के माध्यम से नीलाम कर दी गई थी;

(ख) क्या ये कारें वास्तव में प्रथम श्रेणी की कारें थी और सातवीं श्रेणी की कारें घोषित कर दी गई थी;

(ग) क्या ये कारें केवल 19,000 रुपये में बेच दी गई थीं;

(घ) क्या चार अथवा पांच कारें सैनिक अधिकारियों द्वारा खरीद ली गई थीं;

(ङ) क्या इस नीलामी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई थी; और

(च) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सी० ओ० डी० दिल्ली छावनी के प्रभार में पूर्व 1945 की सेवा के आयोग्य 12 स्टाफ कारें 25 अप्रेल, 1966 को डी० जी० एस० एंड डी० द्वारा नीलाम की गई थी ।

(ख) जी नहीं । यह कारें श्रेणी 6 दशा में थीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं । यह सर्व श्री रघुवीर सिंह अनूप सिंह, मोतिया खान, दिल्ली द्वारा खरीदी गई थी ।

(ङ) इस मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में ग्रीस के महावाणिज्य दूत

5836. **श्री राममूर्ति :**
श्री चक्रपाणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नायनार :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ग्रीस के महावाणिज्य दूत मैसर्स रेलीज इंडिया लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक भी है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि राजनयिक हैसियत का उपयोग कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं किया जाता ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) वियना कोंसली सम्बन्ध अभिसमय 1963 के अनुच्छेदों के अन्तर्गत वृत्तिक और अवैतनिक कोंसली अधिकारियों का नामांकन भेजने वाला राज्य करता है। वृत्तिक कोंसली अधिकारियों के लिए उस राज्य की पूर्वानुमति लेने की जरूरत नहीं होती जहां उन्हें भेजा जाता है लेकिन अवैतनिक कोंसली अधिकारियों के मामले में उस राज्य की पहले अनुमति लेनी पड़ती है जहां उसे भेजा जाए। सामान्यत: इस तरह की अनुमति दे दी जाती है जब तक कि भेजने वाले राज्य के नामजद अधिकारी के खिलाफ कोई बात न हो। भेजने वाला राज्य आम तौर से अपने राज्य के राष्ट्रिक को लेना पसंद करता है क्योंकि कोंसली अधिकारी को अपने देश के राष्ट्रिकों के हितों की देखभाल करनी पड़ती है।

(ग) अवैतनिक प्रधान कोंसल को राजनयिक दर्जा अथवा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते और इसलिए उन पर स्थानीय कानून लागू होते हैं। इसलिए अपने कार्यकर्त्ताओं पर राजनयिक दबाव डालने का प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई इन्जीनियरिंग ग्रूप एण्ड सेंटर, किर्की, पूना में रसोइयों की नियुक्ति

5837. **श्री राममूर्ति :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नायनार :
श्री भगवान दास :
श्री चक्रपाणि :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई इंजीनियरिंग ग्रूप एण्ड सेंटर किर्की, पूना-3 के अधीन विभागों में कर्मचारियों की संख्या के अनुसार रसोइयों (कुक) के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को, जिन्हें नौकरी से निकालने के नोटिस दिये गये हैं, इन रिक्त पदों पर न लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप एण्ड सैंटर किर्की, पूना के अधिकारियों ने इन कर्मचारियों को एक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये बुलाया था, जिसमें उनसे कर्मचारी संघ के सदस्य बने रहने अथवा उसकी सदस्यता छोड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करने को कहा गया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन सभी कर्मचारियों ने, जिन्हें नौकरी छोड़ने के नोटिस दिये गये हैं, अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि वे कर्मचारी संघ के सदस्य बने रहना चाहते हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन आरोपों की जांच करने का है कि बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप एण्ड सैंटर किर्की, पूना के अधिकारी इन कर्मचारियों को उनकी कर्मचारी संघ सम्बन्धी गतिविधियों के कारण नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से उनकी छंटनी करने की कार्यवाही कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं । इस समय ऐसी कोई वेकेंसी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बम्बई इंजीनियरी ग्रुप तथा केन्द्र किर्की के असैनिक सेविवर्ग, जो एक प्रशिक्षण संस्था है किसी प्रकार के उद्योग संघ बनाने या उसमें शामिल होने के अधिकारी नहीं हैं । चूंकि कमाडेंट बम्बई इंजीनियरी ग्रुप तथा केन्द्र को अपने आपको बम्बई इंजीनियरी ग्रुप तथा केन्द्र कार्मिक संघ कहलाने वाले एक संघ से पत्र आ रहे थे, केन्द्र के सभी असैनिक कर्मचारियों को पूछा गया था कि आया वह किसी ऐसे अमान्य और अनधिकृत संघ के सदस्य थे ।

(ब) जी नहीं ।

(ङ) और (च) जी नहीं । छंटनी भिश्तियों और मेहतरों के अधिकृत स्केल की समाप्ति के कारण की गई है ।

बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप एण्ड सैंटर किर्की, पूना के भिश्तियों तथा महतरों की छंटनी

5838. **श्री राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नायनार::
श्री भगवान दास :
श्री चक्रपाणि :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई इन्जीनियरिंग ग्रुप एण्ड सैंटर किर्की, पूना–3 के अधिकारियों ने भिश्तियों तथा महतरों को सेवा से निकालने के लिये एक महीने के नोटिस दिये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को यह नोटिस दिये गये हैं;

(ग) कुछ वरिष्ट कर्मचारियों को सेवा से निकालने के नोटिस दिये गये थे, जबकि कनिष्ट कर्मचारियों को दूसरी नौकरियां दे दी गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) 22 वहिश्तियों और 14 मेहतरों को 1 मई, 1967 से एक मास का डिस्चार्ज नोटिस दिया गया था ।

(ग) और (घ) 36 नोटिस दिए गए व्यक्तियों में 4 सीनियर फालतू कर्मचारी शामिल थे, क्योंकि वह किसी वैकल्पिक व्यवसाय स्थान पर रखे जाने के लिए उपयुक्त न थे । 4 फालतू कर्मचारियों को जो कम सीनियर थे, उनकी उपयुक्तता के आधार पर कमांडेंट बम्बई इन्जीनियरी ग्रुप तथा केन्द्र किर्की द्वारा वैकल्पिक स्थान दिए गए थे ।

नया स्वतन्त्र देश 'बिआफरा'

5839. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1967 के अन्तिम सप्ताह में नाइजीरिया में से 'बिआकरा' नाम का एक पृथक स्वतन्त्र देश बनाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस नये देश को मान्यता प्रदान की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । नाइजीरिया के पूर्वी क्षेत्र ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी और 30 मई, 1967 को अपने आपको व्याप्त गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया ।

(ख) जी नहीं ।

"Reveira" Marine Drive, Bombay

5840. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the flats in Reveira, situated on Netaji Subhas Road, Marine Drive, Bombay, which reserved for Naval Officers only, were made available to the Congress Party for election purposes; and

(b) if so, for how long and under what terms and conditions ?

The Minister in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) None of the flats in 'Riveira' Netaji Subhas Road, Marine Drive, Bombay, on hire for use of Officers of the Defence Services was made available to the Congress Party of any other political party for election purposes.

(b) Does not arise.

Border Roads Organisation

5841. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of overseers and engineers who have resigned from the Border Road Organisation so far;

(b) whether any inquiry into the movable and immovable property of these persons was made before accepting their resignations;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) the grounds on which they resigned; and

(e) whether they accumulated wealth and property through irregular means and whether the investigations would be made even after their resignations ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Two engineer (gazetted) officers and 64 subordinates, including overseers.

(b) No, Sir.

(c) No allegations or complaints requesting an inquiry were made against them.

(d) The resignation of the two gazetted officers was on account of injuries/ill-health.

As regards subordinates, the information is not readily available.

(e) No case of accumulation of wealth or property in respect of the above persons has come to the notice of Government. The question of conducting any investigation has not, therefore, arisen.

Reference to Jews as "Ahle-Kitab" in the Urdu News Commentary on Arab-Israeli Conflict Broadcast From A. I. R.

5842. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during Arab-Isreal hostilities, it was broadcast from the Delhi Station of A. I. R. at 9 P. M. in the Urdu news commentary that the Arabs are not the enemies of Jews, as the Jews are 'Ahle-Kitab'; and

(b) if so, whether the broadcast of such commentaries from the A. I. R. is in consonance with India's policy of secularism ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) The Urdu news commentary broadcast on 8th June, 1967 at 9.25 p. m. explained that the Arab approach to the recent West Asian conflict was not religious but only political, because the Arab leaders had repeatedly stressed in their pronouncements that they had no enemity towards Jewish religion as such. The commentary quoted the 'Koran' which accorded the status of "Ahle-Kitab" to the Jews meaning thereby a special regard for Jewish religion as part and parcel of the Islamic Religions tradition. The Arab approach gives support to secular policies propounded by India and therefore, the commentary which aimed at dispelling the misunderstanding that the recent West Asian conflict was between Muslims and Non-Muslims, is in consonance with India's policy of secularism.

राडार

5843. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० कृ० नायर :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि हमला करने वाले विमानों की उड़ान नीची होती है तो राडार यंत्र काम नहीं करता;

(ख) क्या मिग विमान तथा इसी प्रकार के अन्य लड़ाकू विमान कम ऊंचाई पर शत्रु के विमानों से नहीं लड़ सकते; और

(ग) यदि हां, तो क्या नैट विमान तथा एच० एफ० 24 विमान शत्रु के विमानों से लड़ सकते हैं तथा कम ऊंचाई पर उड़ कर हमला करने वाले विमानों के आक्रमण से रक्षा करने के लिये और क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) राडार का सिद्धान्त दृश्यता रेखा पर आधारित है, अधिकतम राडार सेटों का निष्पादन ऐसा है कि ऊंचाईयों पर उड़ान कर रहे विमानों के देखे जाने की रेंज की तुलना में निचाईयों पर उड़ रहे विमानों के देखे जाने की रेंज कम होती है।

(ख) और (ग) लड़ाकू विमान और विमान भेदी तोपें, निचाइयों पर उड़ रहे विमानों के साथ निपटने के लिए सक्षम होती हैं।

भारतीय सांख्यिकी संस्था

5844 **श्री नम्बियार :**
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री चक्रपाणि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति ने भारतीय सांख्यिकी संस्था के वर्तमान अवैतनिक सचिव की संस्था का ठीक तरह से प्रबन्ध न कर सकने के कारण आलोचना की है;

(ख) क्या इस संस्था के वर्तमान सचिव और उनके सहयोगी पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये नियुक्त की गई समिति के सदस्य भी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सचिव के बारे में समिति द्वारा की गई आलोचना समिति की रिपोर्ट के अध्याय IX में दी गई है जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) समीक्षा समिति की सिफारिशों के बारे में परिषद् को सलाह देने के लिए संस्थान की परिषद् ने एक समिति का गठन किया है जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ संस्थान के सचिव तथा दो अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं।

(ग) सरकार संस्थान की सलाह से समीक्षा समिति की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

रूसी फिल्में

5845. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रवि राय :
श्री मधु लिमये :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत में ऐसी कितनी फिल्में बनाई गई, जिनको रूस में दिखाया गया;

(ख) रूस में उनके प्रदर्शन से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ग) इसी अवधि में रूस की कितनी फिल्में भारत में दिखाई गई; और

(घ) उनके प्रदर्शन से रूस ने कुल कितना धन कमाया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) दस।

(ख) 7,50,000 रुपये।

(ग) आठ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर

5846 श्री कृष्णन :
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर में स्थानीय लोगों की अपेक्षा बाह्य लोगों को रोजगार दिया जा रहा है ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम में कितने प्रतिशत स्थानीय कर्मचारी हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रायल में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। भारत वैद्युती लि० में विभिन्न स्थानों पर नियुक्तियां उनके लिए अपने आप को प्रस्तुत करने वाले प्रत्याशियों की योग्यता और उपयुक्तताका पूरा पूरा ध्यान रखते हुए की जाती है। उपक्रम द्वारा पालन की गई भर्ती की प्रक्रिया मैसूर राज्य के लोगों को पर्याप्त अवसर देना सुनिश्चित करती है।

(ख) लगभग 52 प्रतिशत।

अमरीका की 'नेशनल ज्योग्राफिकल मैगजीन' में भारत का हिन्दू भारत के रूप में वर्णन

5847. श्री समर गुह :
श्री हुकम चन्द कछवाहा :
श्री निहाल सिंह :
श्री शिवपूजन शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका की 'नेशनल ज्योग्राफीकल मैंगजीन' के अधिकारियों को सही स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिये जाने के बाद कि 'धर्मनिर्पेक्ष भारत' का 'हिन्दू भारत' के रूप में वर्णन करना हमारे देश के राष्ट्रीय उद्देश्य के विरुद्ध है, क्या इस पत्रिका ने भारत का 'हिन्दू भारत' के रूप में वर्णन करना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार हमारे देश में इस पत्रिका के आने पर प्रतिबन्ध लगाने तथा विश्व की सभी भौगोलिक संस्थाओं को यह स्पष्ट करने वाले पत्र भेजने का है कि हमारे देश के लिये 'हिन्दू भारत' नाम गलत गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस वर्ष मार्च में जब अमरीका की नेशनल ज्योग्राफीकल मैगजीन का ध्यान 'हिन्दू इण्डिया' शब्दों के प्रयोग की ओर दिलाया गया था, तब से उसका प्रयोग होता नहीं देखा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतनक्रम

5848. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतनक्रमों का इस केडर की स्थापना के बाद पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार ;

(ग) इस केडर की स्थापना के समय वेतनक्रम क्या थे तथा प्रत्येक पुनरीक्षण के बाद ये वेतनक्रम क्या होते गए ;

(घ) क्या भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पद, शस्त्र अथवा अन्य भत्ते मिलते थे और यदि हां, तो ये क्या-क्या थे और इस सम्बन्ध में प्रतिमास कितनी राशि का भुगतान किया जाता था ;

(ङ) उक्त भत्ते अथवा उनमें से कुछ भत्ते किसी तिथि से समाप्त कर दिये गये हैं; और

(च) इस समय क्या-क्या भत्ते दिये जाते हैं और प्रत्येक को कितनी राशि मिल सकती है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सेना और वायु सेना के अफसरों के सम्बन्ध में 5 बार ओर नौसेना के अफसरों के सम्बन्ध में 4 बार ।

(ग) सेना, नौसेना और वायुसेना के सम्बन्ध में सूचना क्रमशः संलग्न 'ए' 'बी' तथा 'सी' विवरणों में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी हां । सूचना का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी०1069/67]**

(च) (सेना के सम्बन्ध में) सूचना रक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 130 से 132 पर दी गई है, (नौसेना के सम्बन्ध में) पृष्ठ 151 से 153 पर, और (वायु सेना अफसरों के सम्बन्ध में) पृष्ठ 166 से 168 पर । किट की संभाल का भत्ता तब से 1-5-67 से 30 रुपये मासिक से बढ़ा कर 40 रुपये मासिक कर दिया गया है ।

असैनिक प्रतिरक्षा प्रशासन में कमीशन प्राप्त अफसरों के समान पद तथा वेतनमान

5849. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या प्रति-रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेकिंग कमीशन प्राप्त भारतीय अफसर जिन पदों पर काम कर रहे थे उन पदों के समान असैनिक प्रतिरक्षा प्रशासन में विभिन्न पदों के नाम तथा वेतनमान क्या हैं ;

(ख) जिन पदों पर भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारी काम कर रहे थे असैनिक प्रतिरक्षा प्रशासन में उन पदों के समान पदों के नाम तथा वेतनमान क्या हैं; और

(ग) यदि कोई विभेद है तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीय सेना में इस समय केवल एक के० सी० आई ओ० हैं अर्थात् सेनाअध्यक्ष जो 4500 रुपये मासिक तथा 6000 वार्षिक मनोरंजन उपदान के अधिकारी हैं। रक्षा मंत्रालय में असैनिक काडर में सी० ओ० ए० सी० के समतुल्य कोई स्थान नहीं है।

(ख) भारतीय सेना में कमीशन धारण करने वाले विभिन्न अफसरों को रक्षा मंत्रालय के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन में दिए वेतनक्रम देय है (पृष्ठ 129-141)। रक्षा संघटन में विभिन्न असैनिक काडर (प्रथम श्रेणी) को देय विशिष्ट वेतनक्रम भी उसी प्रतिवेदन में दिए गए हैं (पृष्ठ 184-185)।

सेवाओं के तथा असैनिक काडरों, दोनों को स्थान दर स्थान बराबर रखना संभव नहीं है। तदपि कई विशिष्ट दशाओं में परस्पर तबदीली योग्य वेतनक्रम नीचे दिए गए हैं :—

ए० जी० ई० (केप्टेन)	630–990 रुपये
(असैनिक)	400–950 रुपये
जी ० ई० (मेजर)	920–1300 रुपये
(असैनिक)	700–1250 रुपये
सी० डब्ल्यु० ई० (ले० केल्नल/कल्नल)	1100-1500/1500-1730 रुपये
(असैनिक)	1300-1800 रुपये
डिप्टी चीफ इन्जीनियर (कल्नल)	1550-1730 रुपये
(असैनिक)	1600-1800 रुपये

मूल वेतन के अतिरिक्त सेवाओं के अफसरों की अतिरिक्त वेतन भत्तों के अधिकारी होते हैं जैसे अर्हता, वेतन, किटमेंटेनेंस भत्ता, स्पेशल डिस्टर्वेस भत्ता इत्यादि, जिनके विस्तार रक्षा मंत्रालय के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन में दिए हैं।

(ग) रक्षा संगठन में असैनिक कर्मचारियों को देय वेतन क्रम (1957-59 की) केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर 1 जुलाई 1959 से नियत किए गए हैं, और कुछ स्थानों के वेतनक्रम पुनः संशोधित किए गए हैं, तथा कई नए निर्मित स्थानों के लिए नए वेतन क्रम नियत किए गए हैं जो असैनिक ग्रेड के समतुल्य स्थानों को देय वेतनक्रम पर आधारित हैं तथा स्थान धारण करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यता पर। सेवाओं के अफसरों को देय वेतन क्रमों का संशोधन भी हुआ है, और वर्तमान वेतनक्रम सभी तथ्यों का ध्यान करते हुए विभिन्न श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। पुनरीक्षणों तथा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति आज उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5848 के उत्तर में दी गई है।

Newsprint Quota to Papers of Kotah (Rajasthan)

5850. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain small newspapers of Kotah, (Rajasthan), are getting newsprint quota by showing inflated figures of circulation and they are selling newsprint in black-market ;

(b) if so, the quota of newsprint sanctioned to different newspaper of Kotah (Rajasthan) ; and

(c) the circulation of each of the said newspapers ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah) : (a) The officials of the Registrar of Newspapers for India checked, in September, 1966, the circulation claims of 4 newspaper published from Kotah. They came across two cases in which the circulation figures had been exaggerated. There has been no complaint that these neswspapers have been selling newsprint in the black-market ;

(b) and (c) The requisite informaiion is given below :—

Name of paper	Circulation for 1965		Quantity of newsprint sanctioned during 1966-67 after verification.
	Claimed	Accepted	
			(in metric tonnes)
1. Janwani, Hindi Weekly, Kotah	7,000	3,000	2.14
2. Socialist Samachar, Hindi Weekly Kotah	1,900	1,900	1.97 No variation.
3. Kishan Sandesh, Hindi Weekly Kotah	1,720	1,720	2.00 No variation.
4. Lok Nirman, Hindi Weekly, Kotah.	7,800	2,200	Did not apply for newsprint during 1964-65 and 1965-66. No newsprint was allotted during 1966-67 as the Publisher did not submit a Chartered Accountant Certificate.

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में चीन सम्बन्धी प्रभाग के निदेशक/प्रमुख अधिकारी

5851. **श्री मधु लिमये :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य विभाग में चीन सम्बन्धी प्रभाग के निदेशक/प्रमुख अधिकारी का कोई पद है ;

(ख) इस पद पर कौन व्यक्ति काम कर रहा है;

(ग) क्या यह पद भारत चीन के राजनयिक सम्बन्धों में आए नए मोड़ के दौरान कुछ महीनों के लिये खाली रहा था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) एक वरिष्ठ उप सचिव, श्री ए० के० दामोदरन, भारतीय विदेश सेवा, 1953, कार्यकारी निदेशक के रूप में इस डेस्क के कार्यभारी है और तब तक इसी रूप में कार्य करते रहेंगे जबतक कि निकट भविष्य में उनकी पदोन्नति नहीं हो जाती । श्री दामोदरन पीकिंग में रहकर आये थे और अपनी योग्यता तथा चीन के अनुभव के कारण उन्हें खासतौर से चुना गया था ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

रोडेशिया

5852. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के हाल के इस वक्तव्य की जानकारी है कि वह राष्ट्रमण्डलीय देशों से रोडेशिया के सम्बन्ध में 'बहुसंख्यक शासन से पहले स्वतन्त्रता न देने' के निर्णय को त्यागने के लिये कहेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) ब्रिटिश सरकार ने लार्ड अलपोर्ट को रोडेशिया भेजने का हाल ही में फैसला किया है कि वह जाकर यह पता लगाए कि क्या वे खबरें ठीक हैं कि श्री स्मिथ बातचीत फिर शुरू करना चाहते हैं और क्या यह भी सच है कि श्री स्मिथ रोडेशिया की समस्या का समाधान करने के लिए अर्थपूर्ण बातचीत करने को तैयार हैं । 14 जून, 1967 को पार्लियामेंट में इस विषय पर प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था कि 'बहुसंख्यक शासन के होने से पहले कोई स्वाधीनता नहीं' की स्थिति अपरिवर्तनीय है और लार्ड अलपोर्ट को उस फैसले को बदलने का कोई अधिकार नहीं है । ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हुआ तो ब्रिटिश सरकार अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के साथ स्थिति पर बातचीत करने को तैयार रहेगी ।

(ख) भारत सरकार इस मामले पर तभी विचार करेगी जब इस तरह का कोई प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार की ओर से प्राप्त होगा ।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत

5853. श्री मरंडी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री यसवन्त सिंह कुशवाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को महत्वपूर्ण बातचीत के लिये आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ; और

(ग) क्या निर्णय किये गये ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य का प्रश्न प्रधान मंत्री से मुख्य मंत्रियों की 24 जून को हुई बैठक के संदर्भ में है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों की प्रधान मंत्री से हुई यह बातचीत एक आवधिक विचारों के आदान प्रदान के रूप हुई थी। इस बैठक में मुख्यत : पश्चिमी बंगाल में खाद्य, कानून और व्यवस्था के विषय पर चर्चा की गई। इस बैठक में कोई विशेष निर्णय नहीं लिये गये थे।

भारतीय वायु सेना के लिये एवरो-748 विमान

5854. **श्री आत्म दास : क्या प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिये पांच और एवरो-748 विमान खरीदे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार भविष्य में विदेशों से ऐसे विमान खरीदेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे विमान बनाने के लिये भारत में कुछ कारखाने स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ये कारखाने कहां कहां पर स्थापित किये जायेंगे तथा वे कब तक निर्माण आरम्भ कर देंगे ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) एवरो 748 विमानों के निर्माण के लिए एक कारखाना पहले से कानपुर में स्थापित किया जा चुका है। चूंकि यह कारखाना वायुसेना और आई० ए० सी० की इस किस्म के विमानों की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, अत: एवरो 748 विमानों के निर्माण के लिए देश में कोई अन्य कारखाने स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

भारतीय प्राद्योगिकीय प्रगति संबन्धी संस्था

5855. **श्री नम्बियार :** **श्री नायनार :**
श्री उमानाथ : **श्री अनिरूद्यन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री गणेश घोष :**

क्या **वैदिशक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में भारतीय औद्योगिक प्रगति सम्बन्धी संस्था बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के उद्देश्य तथा प्रयोजन क्या हैं ;

(ग) क्या इस संस्था को अमरीका की स्वयं सेवी संस्थाओं से कोई अनुदान मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना धन मिला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) 'द सोसाइटी फार इण्डियन टेकनोलौजीकल ऐडवांमेंट' लाभ न कमाने वाला, गैर-राजनीतिक संगठन है जिसके सदस्य अधिकांश ऐसे व्यावसायिक भारतीय व्यक्ति हैं जो संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं । बताया जाता है कि इस सोसाइटी का उद्देश्य ऐसी किसी प्राइवेट कम्पनी अथवा संगठन को तकनीकी सलाह देता है जो भारत में औद्योगिक अथवा तकनीकी विकास के कार्य में सक्रिय है ।

(ग) और (घ) इस सोसाइटी की वित्त-व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का प्रचार विभाग

5856. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रचार को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) 31 मार्च, 1967 को विदेशों में ऐसे कितने प्रचार केन्द्र थे ;

(ग) इन प्रचार केन्द्रों पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ;

(घ) सूचना अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा के अन्तर्गत न लाकर ठेके के आधार पर उनको भर्ती करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस समय कुल कितने कर्मचारी विदेशों में प्रचार-कार्य कर रहे हैं तथा उनके वार्षिक वेतन आदि क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क०चागला) : (क) हाल ही में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, वे हैं विदेश-स्थित अधिक भारतीय मिशनों में टेलीप्रिंटर प्रणाली के विस्तार,

रंगीन डाकुमेंट्री और टेलीविजन फिल्म उत्पादन की वृद्धि और भारतीय सूचना सेवा के अतिरिक्त एकांशों की स्थापना। भारतीय विदेश सेवा की समिति की रिपोर्ट में और लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों की रोशनी में विदेश प्रचार कार्य को समुन्नत करने के लिये अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) 61 प्रचार एकांश हैं।

(ग) 134 लाख रुपये।

(घ) 1959 के बाद से सूचना अधिकारियों की भर्ती नहीं हुई है। संविदा-आधार पर 1959 से पहले भर्ती किए गए भारतीय सूचना सेवा के सारे अधिकारी अब नियमित सरकारी नौकर हैं, सिवाय दो के, जिन्होंने संविदा के आधार पर नौकरी में रहने की इच्छा व्यक्त की थी। भारतीय विदेश सेवा समिति की सिफारिशों के अनुसार मा० सू० से० के अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा में खपाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ङ) 61 प्रचार एकांशों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 497 है। उनके वेतन और भत्तों पर वार्षिक खर्च 67 लाख रुपये बैठता है।

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिये मजदूरी बोर्ड

5857. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्डों के कर्मचारियों ने एक मजूरी बोर्ड बनाये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति-रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) 2 अप्रैल, 1963 से 1960 राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिबुनल के फैसले की समाप्ति के पश्चात् छावनी बोर्ड कर्मचारी किसी उजरत बोर्ड या राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिबुनल की स्थापना की मांग करते रहे हैं।

विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने हाल में ही, राज्य सरकारों के कर्मचारियों तथा साथ लगती नगरपालिकाओं में इस समय देय वेतनक्रमों और अन्य भत्तों के सम्बन्ध में समस्त संगत डाटा इकट्ठा करने के लिये 6 स्पेशल डयूटी अफसर नियुक्त किये थे।

अब तक संगत डाटा सरकार को प्राप्त हो चुका है, और छावनी बोर्ड कर्मचारियों की उपलब्धियों में संशोधन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

छावनी बोर्डों के अधीन अध्यापक

5858. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या प्रति-रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की सिफारिशों के अनुसार छावनी बोर्डों के अधीन काम करने वाले अध्यापकों को वही वेतनक्रम भत्ते तथा अन्य सुविधायें पाने के अधिकारी हैं जो राज्य सरकार के अध्यापकों को मिलती हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस सिफारिश को छावनी बोर्डों के अध्यापकों पर लागू न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उसे लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रति-रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 2 फरवरी, 1960 के राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिबुनल के फैसले के अनुसार अध्यापक स्टाफ उन्हीं वेतन और भत्तों की दरों के अधिकारी हैं, जो उस राज्य के अन्तर्गत सेवा कर रहे समतुल्य आस्पद के कर्मचारियों की समान श्रेणियों पर समय पर लागू होते हैं, कि जिस राज्य से वह छावनी हो, इस शर्त के साथ कि वह राज्य द्वारा निर्धारित आवश्यक अर्हताएं रखते हों।

(ख) फैसला सभी छावनी बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किया गया था। तदपि, कई हालतों में तदनु वेतनक्रम राज्य सरकारों द्वारा संशोधित किए गए हैं, अधिकतम छावनियों में छावनी बोर्ड अध्यापकों को उसी प्रकार के संशोधन के लाभ दिए गए हैं, जबकि शेष छावनियों के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) शेष छावनियों के सम्बन्ध में संशोधित वेतनक्रमों की शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

सिलचर-हाफलोंग सड़क

5859. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सारा वर्ष चालू रहने योग्य सिलचर हाफलोंग सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने तथा इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए इस सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रति-रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) मोटरों के योग्य ढ़ाल पर सिलचर हाफलोंग सड़क को हर मौसम का मार्ग बनाने के लिए इसका सुधार सीमा मार्ग विकास बोर्ड के फोरी कार्यक्रम में शामिल है। इस सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर वर्गीकरण चौथी योजना के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों से संबन्धित राज्य सरकार के प्रस्तावों में शामिल नहीं है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान की ढुलाई

5861. श्री गणेश : क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च से जून, 1967 तक की, अवधि में अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से मुख्य भूमि तक प्रतिरक्षा संबन्धी सीमान्त की ढुलाई के लिए एक गैर सरकारी जहाज भाड़े पर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ढुलाई किये गये माल का कुल भार कितना था, यह जहाज कुल कितने दिन भाड़े पर रखा गया तथा इस पूरे कार्य के लिए कुल कितना भाड़ा दिया गया ;

(ग) क्या कोई माल खो गया था और यदि हां, तो उसका मूल्य कितना था ; और

(घ) माल की ढुलाई में विलम्ब के क्या कारण थे ?

प्रति-रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : कार निकोबार से देश की रक्षा सामान के परिवहन के लिए इंडियन शिपर नाम के एक भार लादने वाले पोत को चार्टर किया गया था।

(ख) परिवहित सामान का कुल भार 1172 मीट्री टन था। पोत को कार निकोबार में 46 दिन के लिए रोका गया था और पोत की डिलीवरी की तिथि से कलकत्ता में उसकी पुनः डिलिवरी तक ओप्रेशन का कुल खर्च 7.70 लाख रुपथे था।

(ग) गुम हो गए रक्षा सामान में है केवल 64 क्रेन टर्न टेबल सहित 3 टन लारी जिसकी खाते में लागत लगभग 75,000 रुपये है। उसके अतिरिक्त 150 रुपये की लागत के अलावा संयत्र के सहायक पुरजे, और दो 6 टन वायर स्लिंग तथा 2850 रुपये मूल के 4 वायर नेट स्लिंग भी, जो शिपग कम्पनी के थे, गुम हैं।

(ग) मुख्य कारण हैं :—

(1) अतीव खराब मौसम जिसमें एक पौत से दूसरे पर सामान लादना कठिन हो गया ;

(2) असैनिक प्रशासन द्वारा काम पर लगाए गए असैनिक सेविवर्ग का, नौकाभरण अवधि में जब उन्होंने सामान उतारा चढ़ाया. अर्थात् 23 अप्रैल से 18 मई और पुनः 1 जून से 7 जून तक, सामान उतारने चढ़ाने में अनुभव का अभाव।

(3) नौकाभरण कार्य के लिए असैनिक प्रशासन का पर्याप्त साजसामान का अभाव।

(4) कार निकोबार में ताजा पानी की गमी, जिस कारण ताजा पानी लाने के लिये पोर्ट ब्लेलर दो बार जाना पड़ा ।

Use of Hindi in Official Work Question

5862. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Extenal Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3647 on the 26th June, 1967 and state :

(a) the names of the two Sections in which the entire work is done in Hindi and the other Sections in which a part of the work is done in Hindi ;

(b) whether it is ensured at the time of making fresh recruitment that the candidates possess a fair knowledge of Hindi ; and

(c) the number of Officers who were not confirmed during the last 3 years on account of their not learning Hindi ?

The Ministry of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : In the reply given to the Ustarred Question No. 3647 on the 26 June, 1967, oniy **one** Section was mentioned where entire work is being done in Hindi and not two as suggested in this Question. The name of that Section is Hindi Section. The names of other two Sections where work is being done partially in Hindi are SE and PE Sections.

(b) No, Sir

(c) Two.

सेवा मुक्त किये गये सैनिक हवलदार/क्लर्क

5863. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना ही 1953 में बहुत से सैनिक हवलदार/क्लर्क सेवामुक्त किये गये थे ;

(ख) क्या सेवामुक्त किये गये इन कर्मचारियों को लगभग 5 वर्ष की अवधि के बाद नियमित करना पड़ा था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कितने थे तथा अनियमित रूप से सेवामुक्त किये जाने के कारण किस रूप में उनकी क्षतिपूर्ति की गई ; और

(घ) क्या इस मध्यावधि के लिये उन्हें उनके वेतन तथा भत्ते दे दिये गये हैं ?

प्रति-रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, डिस्चार्ज सम्बन्धित यूनिटों के कमांडिंग अफसरों द्वारा सरकार के व्यापक आदेशों के अनुसार तथा निम्नतर पद पर सेवा में रहने के स्थान उन व्यक्तियों द्वारा डिस्चार्ज के स्वतः चयन के आधार पर आदिष्ट किए गए थे । उस समय लागू नियमों के अन्तर्गत डिस्चार्ज सम्बन्धित ब्रिगेडों या सब-एरिया कमांडरों द्वारा आदिष्ट किए जाने चाहिये थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) 846 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे। उनमें से 461 व्यक्तियों को पिछले वेतन और भत्तों का भुगतान कर भी दिया गया है। जब मामला सरकार के समक्ष आया, फैसला किया गया कि शेष व्यक्तियों को कोई अदायगी न की जाय, क्योंकि पहले ही वह समय पूर्वनिवृत्ति रियायतें प्राप्त कर चुके थे, डिस्चार्ज पर जाने के चयन अधिकार का प्रयोग कर चुके थे, और मूल डिस्चार्ज की तिथि से लेकर डिस्चार्ज आदेशों के वेलिड होने की तिथि तक की अवधि में उन्होंने कोई सैनिक कार्य न किया था।

करनाल में आकाशवाणी केन्द्र

5864. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरयाना सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि करनाल में एक ट्रांसमीटर लगाया जाय ;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) वहां पर कब तक ट्रांसमीटर लगाये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) करनाल राज्य के बीच में स्थित प्रतीत नहीं होता और इसलिये ट्रांसमीटरों के लिये संतोषजनक स्थान नहीं है। आकाशवाणी द्वारा किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार ट्रांसमीटरों के लिये रोहतक ज्यादा अच्छा स्थान मालूम होता है।

(ग) ट्रांसमीटर के लगभग तीन साल में तैयार हो जाने की आशा की जा सकती है, बशर्ते कि टेलीफोन लाइनें, उपयुक्त जगह, आदि उपलब्ध हो जायें।

बहरामपुर (उड़ीसा) में आकाशवाणी केन्द्र

5865. **श्री अ० त्रि० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना और प्रसारण उप मंत्री को उनके बहरामपुर के पिछले दौरे के समय बहरामपुर के लोगों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के सन्दर्भ में बहरामपुर (उड़ीसा) में एक आकाशवाणी केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : किसी उपयुक्त स्थान पर उच्च शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाकर गंजम् जिले में, जहां कि बहरामपुर स्थित है, रेडियो सेवा में सुधार करने का प्रस्ताव है। स्थान का निर्णय उड़ीसा के अन्य जिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

अध्ययन के लिये लन्दन भेजे गये प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारी

5866. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री नायनार :**
श्री ब्रह्म : **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री भगवानदास :

क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में काम करने वाले कुछ सैनिक अथवा असैनिक अधिकारियों को इन्स्टीटयूट आफ स्ट्रेटेजिक लन्दन में भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने जिन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रति-रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

A. I. R., Darbhanga

5867. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the estimated total expenditure on the setting up of the proposed Darbhanga Radio Station ; and

(b) the amount of foreign exchange that would be required ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) The Fourth Five Year Plan includes a provision of Rs. 33 lakhs with a foreign exchange component of Rs. 7.3 lakhs for the installation of a radio station in the Darbhanga area.

Image of Indian Culture Abroad Question

5868. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the measures adopted by Government of project in foreign countries the image of the Indian culture ; and

(b) whether the Ambassadors, before being sent to the foreign countries, are made familiar with the Indian culture and civilisation ?

The Minister os External Affair (Shri M. C. Chagla) : (a) Cultural Agreements have been signed between India and eighteen countries and programmes are arranged annually envisaging exchange of professors, scientists, artists, writers etc. as well as books, objects of arts; organisation of exhibitions film festivals; and grand of scholarships.

In regard to the countries with which there are no Cultural Agreements there exist also similar annual programmes arranged directly with the foreign organisations concerned. The Ministry of Education is responsible for the external cultural relations programmes, which are formulated in consultation with the Ministry of External Affairs and our Missions abroad.

(b) Yes, Sir.

सैनिक स्कूलों की स्थापना

5869. श्री प्र० रं० ठाकुर :
श्री अ० कु० किस्कु :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष क्षेत्र में सैनिक स्कूल खोलने की प्रक्रिया क्या है ;

(ख) किसी विशेष क्षेत्र अथवा बस्ती में ऐसी संस्था स्थापित करने के बारे में निर्णय लेने के लिये क्या कोई मार्ग दर्शक सिद्धान्त अथवा बुनियादी आधार हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सैनिक स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है :—

(1) संबन्धित राज्य सरकार को भूमि की कुल लागत, भवनों और साजसामान के लिये तथा प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिये छात्रवृतियां पर उठने वाले खर्च को सहन करने की पेशकश सहित सैनिक स्कूल समिति को मिलना चाहिये । स्थायी भवनों के निर्माण तक उन्हें स्कूल चालू करने के लिये कोई अस्थाई वास्य स्थान चुनना चाहिये ।

(2) (रक्षा मंत्री भाग लेने वाले राज्य के मुख्य शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों पर सम्मिलित) सैनिक स्कूल समिति के गवर्नरों का बोर्ड तब विचार करता है और तब फैसला करता है कि आया पेशकश स्वीकार करली जाए ।

(ख) और (ग) व्यापक नीति है एक राज्य में एक स्कूल रखना । अगर राज्य के संसाधन हो तो उसके लिए दूसरा सैनिक स्कूल स्थापित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । गवर्नरों का बोर्ड, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के इनटेक को सामने रखते हुए, जिसके लिए सैनिक स्कूल पोषक संस्थाओं का काम देते हैं, प्रस्ताव पर विचार करेगा ।

खनन परियोजना के लिये सहायता का नेपाल द्वारा अनुरोध

5870. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या नेपाल ने अपनी उन खनिज परियोजनाओं जिनकी हाल ही में चीन ने सर्वेक्षण के पश्चात आर्थिक रूप में अव्यवहारिक होने के कारण छोड़ दिया था, के लिये सहायता का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

रुद्रप्रयाग के निकट ट्रक दुर्घटना में मारे गये सैनिक कर्मचारी

5871. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री आत्म दास :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जून, 1967 को कोटद्वार जोशीमठ सड़क पर रुद्रप्रयाग के निकठ 16 सैनिक कर्मचारियों की उनकी मोटरगाड़ी के एक खड्ड में गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और यदि इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है तो क्या ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 27-6-67 को ऋषिकेष जोशीमठ मार्ग के 97वें मील पर एक सैनिक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई; 1 जे० सी० ओ० और 9 अवर श्रेणी सैनिकों पर सम्मिलित निधन प्राप्त सेना सेविवर्ग की संख्या 10 है ।

(ख) और (ग) जांच के विस्तार सेना अधिकरणों से प्रतिक्षित हैं ।

A. I. R. Stations in U. P.

5872. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Akashwani Stations in Uttar Pradesh and the places whether they are located;

(b) whether Government propose to increase their number; and

(c) if so, the names of places where they would be started ?

The Minister of Information and Boardcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The State of Uttar Pradesh has Six Akashvani Centres at Lucknow, Allahabad, Mathura, Varanasi, Rampur and Kanpur.

(b) Yes, Sir.

(c) Gorakhpur. The 4th Five yearPlan also includes provisions for the installation of Radio Stations at Kumaon/Garhwal region, Faizabad, Pithoragarh and Jhansi, and streng-

thening of Allahabad Transmitter and Station, besides conversion of Auxiliary Centre, Varanasi into a partial Programme-originating Station. These projects will be taken up for implementation subject to the availability of resources.

जामनगर के निकट हुई विमान उड़ान दुर्घटना

5873. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जून, 1967 को जामनगर के निकट हुई विमान उड़ान दुर्घटना में भारतीय वायु सेना के दो पायलेट मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी;

(ग) वे किस प्रकार के विमान में उड़ान कर रहे थे; और

(घ) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) दुर्घटना में अन्तर्गस्त विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था वायु सेना के नियमों के अनुसार घटना की जांच के लिये एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आदिष्ट कर दी गई है । दुर्घटना का कारण और समस्त विस्तार कोर्ट आफ इन्क्वायरी की कार्यवाही प्राप्त होने पर ही पता चल सकेंगे ।

भारतीय विदेश सेवा के बारे में पिल्ले समिति का प्रतिवेदन

5874. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश सेवा के बारे में पिल्ले समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) यह रिपोर्ट 23 नवम्बर, 1966 को सभापटल पर रख दी गई थी ।

अमरीका और ब्रिटेन से चलचित्र

5875. श्री पार्थसारथी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में चलचित्र देखने वाले बहुत से लोगों ने अमरीका और ब्रिटेन से घटिया किस्म की और कलारहित चलचित्रों का आयात किये जाने पर आपत्ति और आलोचना की है; और

(ख) यदि हां, तो अमरीका और ब्रिटेन से ऐसे चलचित्रों के आयात पर जो विदेशी मुद्रा जमा हो रही है उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) विदेशों से आयात की गई कुछ विदेशी फिल्मों की इस आधार पर आलोचना की गई है कि वे देश में चलचित्र देखने वाले लोगों के सदाचार पर प्रभाव डालते हैं। शिकायतों की जांच की गई और जहां भी जरूरी समझा गया फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अप्रमाणीकृत कर दिया गया था। इनमें से कुछ फिल्मों को पहले की एक्सपोर्ट प्रामोशन योजना के अन्तर्गत आयात किया गया था। तो भी, पिछले अप्रैल से इस योजना के अन्तर्गत एक्सपोज्ड फिल्मों का आयात बन्द कर दिया गया। इस वित्तीय वर्ष में केवल अमरीका से फिल्में आयात की जा रही हैं और वर्तमान प्रबन्ध को जारी रखने के प्रश्न पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

चलचित्रों का वर्गीकरण

5876. श्री पार्थसारथी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चलचित्रों को 'यू', 'ए' और 'एक्स' प्रमाणपत्रों के लिए वर्गीकृत करने का है जैसा कि ब्रिटेन में किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्गीकरण के लिए क्या कसौटियां बनाई गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) यह सिफारिश, चौथी लोक सभा की प्राक्कलन समिति 1967-68 ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में की है और इस पर सरकार विचार करेगी।

वाणिज्य सम्बन्धी प्रसारण

5877. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री राज बहादुर वाणिज्य सम्बन्धी प्रसारण का अध्ययन करने के लिये कुछ समय पहले अमरीका गये थे;

(ख) क्या उन्होंने सरकार का अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) कुछ समय पहले भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मन्त्री, श्री राजबहादुर यूनाइटेट स्टेट्स इनफार्मेशन एजेन्सी के डायरेक्टर, जो संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के मन्त्री के दर्जे के हैं, के निमन्त्रण पर अमरीका गये थे। वे वहां व्यावसायिक प्रसारण के अध्ययन के लिये नहीं गये थे, परन्तु वर्तमान सूचना और प्रसारण मन्त्री ने उनसे अनुरोध किया था कि वे उस देश में प्रचलित व्यावसायिक प्रसारण पद्धति की भी जानकारी प्राप्त कर लें।

(ख) उनसे अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विदेशी सैनिक प्रशिक्षणार्थी

5878. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इन्डियन मिलिटरी अकादमी, देहरादून में कितने विदेशी सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं ;

(ख) वे प्रशिक्षार्थी किस किस देश के हैं ;

(ग) क्या कुछ भारतीय प्रशिक्षणार्थी भी विदेशों में सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी संख्या क्या है तथा वे किस किस देश में प्रशिक्षण ले रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 6।

(ख) कभी कभी बर्मा, लंका, घाना, मलेश्या, नाइजीरिया, नेपाल, यूगण्डा, और यमन के प्रशिक्षार्थियों ने भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण का लाभ उठाया है।

(ग) जी हां।

(घ) सशस्त्र सेनाओं के 110 सेविवर्ग आस्ट्रेलिया ,कनाडा, फ्रान्स, यू० के०, यू० एस० ए० और यू० एस एस० आर० में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

भारत-श्रीलंका करार (कार्यान्विति) अधिनियम

5879. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वीरेन्द्र नाथ :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री म० माझी :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री अजमल खां :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत श्रीलंका करार (कार्यान्वित) अधिनियम को श्रीलंका में लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम के अन्तगर्त भारत मूलक कितने व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता दी जायेगी तथा कितने ऐसे लोगों के भारत वापस भेजे जाने की सम्भावना है ; और

(ग) भारत में वापस आये भारत मूलक लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : भारत-श्रीलंका करार श्रीलंका और भारत दोनों देशों में 30 अक्तूबर 1964 को लागू हुआ। इस दिन भारत और श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों ने इस पर दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे। श्रीलंका की सरकार ने करार पर अमल करने के लिए हाल ही में कानून बनाया है। जहा तक हमारा संबंध है, करार के अन्तगर्त हमारे दायित्व को निभाने के लिये किसी खास कानून की आवश्यकता नहीं है।

करार के अन्तर्गत श्रीलंका में रहने वाले 300,000 भारत मूलक राज्यविहीन लोगों को और उनके साथ प्राकृतिक रूप से बढ़ने वालों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जायगी; भारत सरकार 5,25,000 व्यक्तियों तथा उनके साथ प्राकृतिक रूप बढ़ने वाले लोगों को भारत में पुनर्देशावर्तन के लिए स्वीकार करेगी।

(ग) आने वालों को फिर से बसाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 1070/67**]

हिण्डन हवाई अड्डे के भारतीय वायुसेना के अधिकारियों पर आक्रमण

5880. श्री मरंडी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिण्डन हवाई अड्डे के भारतीय वायु सेना के पांच अधिकारियों पर हाल ही में आक्रमण किया गया था तथा उनको छुरा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : 28 जून 1967 को वायुसेना स्टेशन हिंडन के 5 आई० ए० एफ० अफसर गाजियाबाद के एक भोजनालय में खाना खा रहे

थे, चूंकि वह खाद्य से सन्तुष्ट न थे वह वहां से उठ कर एक दूसरे भोजनालय में चले गये। जब वह दूसरे भोजनालय में खाना खा रहे थे, उन पर कुछ व्यक्तियों द्वारा आक्रमण किया गया। 5 में से एक अफसर को छुरा घोंप दिया गया, तथा उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, और उसकी दशा अभी तक गम्भीर है।

वायुसेना के नियमों के अनुसार दुर्घटना की जांच के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आदिष्ट कर दी गई है, और उसके निष्कर्ष प्रतीक्षित है।

असैनिक पोलीस ने एक मामला भी रजिस्टर किया है, और जांच प्रगतिशील है। तीन संदिग्ध व्यक्ति असैनिक पोलीस द्वारा पकड़े जा चुके हैं, और शेष अपराधियों को खोजने के यत्न किए जा रहे हैं।

परमाणु बिजली

5881. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु बिजली संबंधी प्रशुल्क की नीति वही होगी जो जल तापीय और डीजल प्राइम मूवर्स से पैदा होने वाली बिजली के संबंध में है;

(ख) देश में आरम्भ की गई परमाणु बिजली परियोजनाओं की प्रगति किस प्रक्रम में है; और

(ग) ये परियोजनायें किस तारीख तक चालू हो जायेंगी ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अणु शक्ति सम्बन्धी प्रशुल्क नीति विचाराधीन है।

(ख) और (ग) तीन अणु शक्ति परियोजनाओं, अर्थात्, तारापुर, राजस्थान और मद्रास का काम आरम्भ कर दिया गया है। तारापुर का कारखाना 1968 में चालू हो जायेगा। आशा है कि राजस्थान परियोजना का पहला भाग वाणिज्यिक संचालन के लिए 1969 के उत्तरार्द्ध तक तैयार हो जायेगा। आशा है कि राजस्थान परियोजना का दूसरा भाग और मद्रास परियोजना का पहला चरण क्रमशः 1971 और 1972 तक चालू हो जायेंगे।

Agreement between an Indian Publisher and Cehinese Embassy

5882. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.4347 on the 3rd July, 1967 and state :

(a) Whether Government have fully investigated into the matter regarding the alleged agreement between the publishing concern and the Chinee Embassy;

(b) Whether the said publshing concern has explained to the Government in writing that they had not entered into any such agreement with the Chinese Embassy;

(c) Whether any enquiry was made from the Chinese Embassy in this connection; and

(d) If so, reply received in this behalf ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Ghagla) : (a) Since no agreement s reported to have been reached between the Chinese Embassy and the publishing concern, the question of making any investigation into the matter does not arise.

(b) and (c) No, Sir.

(d) Does not arise.

अमरीका भारत मैत्री समिति (यू० एस० फ्रैंड्ज आफ इंडिया कमेटी)

5883. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 3 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4349 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 'पी' फार्म व्यवस्था लागू होने से पहले तथा उसके बाद अमरीका भारत मैत्री समिति के निमंत्रण पर अमरीका में गये मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : संबद्ध सूचना इक्कट्ठी की जा रही है ।

सैनिक प्रयोजनों के लिये भूमि का लिया जाना

5884. श्री रमानी : **श्री चक्रपाणि :**
श्री ज्योतिर्मय वसु : **श्री अब्राहम :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए ली गई भूमि किराया न दिये जाने के बारे में कोयम्बतूर जिले (मद्रास राज्य) के मदुक्कनाई ग्राम के भू-स्वामियों से सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने एकड़ भूमि ली गई तथा उससे भूस्वामियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या अब तक कोई किराया दिया गया है और कितना किराया दिया गया है तथा कितना किराया दिया जाना शेष है; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया किराया दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) : जी हां । गांव में किराये पर लिए गए 91.02 एकड़ क्षेत्र के सम्बन्ध में किराये की गैर अदायगी के लिये शिकायतें प्राप्त हुई हैं । शीघ्र अदायगी के लिये निदेश आरी कर दिये गये हैं, और कुछ अदायगिएं कर भी दी गई हैं । 91.02 एकड़ के सम्बन्ध में किराया पाने वाले भूस्वामियों की संख्या; और अभी तक शेष दी जाने वाली राशि मालूम की जा रही है, और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारतीय समाचार पत्र

5885. **श्री पार्थसारथी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन समाचार पत्र प्रकाशकों का हाल में दिल्ली में सम्मेलन हुआ था उन्होंने समाचार पत्रों की समस्याओं के बारे में जांच करने और भारतीय समाचार पत्रों के विकास के लिये योजनाओं का सुझाव देने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाने के लिये सरकार से अनुरोध करने का संकल्प किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1952 में जो प्रेस कमीशन स्थापित किया गया था, उसकी और 1964 में छोटे समाचार पत्रों की जांच करने के लिये स्थापित समिति, इन दोनों की सिफारिशों से सरकार ने लाभ उठाया है, समाचार पत्रों की जो समस्यायें हैं उनके सम्बन्ध में कई सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है और कई दूसरी सिफारिशों पर आवश्यक कारवाई का काम हाथ में ले लिया गया है ।

इन हालात में, सरकार यह जरूरी नहीं समझती कि एक और समिति इस काम के लिये दुबारा नियुक्त की जाए जिसको पहिले किया जा चुका है । तो भी, यह मन्जूर कर लिया गया है कि प्रकाशन सम्मेलन के प्रतिनिधियों से इस बारे में 22 जुलाई, 1967 को विचार विमर्श किया जाए और देखा जाए कि किसी और कार्रवाई की जरुरत तो नहीं ।

प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन पर प्रतिरक्षा व्यय

5886. **श्री पार्थसारथी ;** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे कुल प्रतिरक्षा व्यय में से कितने प्रतिशत धन हमारे प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन के लिये नियत किया जाता है;

(ख) यह धन ब्रिटेन, अमरीका, रूस, जापान और फ्रांस में नियत किये जाने वाले धन की तुलना में कम है अथवा अधिक; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसे बढ़ाने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 1967–68 में 1.3 प्रतिशत

(ख) यू० के०, यू० एस० ए० और यू० एस० एस० आर० में तदनुरूपी प्रतिशत 12 से 15 तक विभिन्न हैं। जापान और फ्रांस के लिए आंकड़े प्राप्य नहीं है :

(ग) जी हां। रक्षा आर० एंड डी० संगठन 1958 से आहिस्ता आहिस्ता प्रवर्धित करके स्थापित किया गया है, और आर० एंड डी० बजट को प्रगतिशीलता से 1963–64 में 7.09 करोड़ रुपये से 1967–68 तक 12.8 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है।

प्रधान मंत्री की श्रीलंका यात्रा

5887. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रंगा :
श्री गणपत सहाय :
श्री गिरिराज शरण सिंह :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री का विचार अगस्त, 1967 में श्रीलंका जाने का है;

(ख) यदि हां, तो किस कार्य के लिये; और

(ग) क्या उनकी यात्रा के सम्बन्ध में कोई कार्य सूची तैयार की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री अगस्त या सितंबर 1967 में श्रीलंका की सद्भावना यात्रा पर जाने का विचार कर रही है। इस यात्रा का निमंत्रण श्रीलंका के प्रधान मन्त्री ने उन्हें बहुत पहले दिया था और अभी हाल में फिर आमन्त्रित किया है। यह यात्रा एक पड़ोसी मित्र देश में सद्भावना यात्रा होगी। कोई विषय सूची निश्चित नहीं की गई है।

वायुसीमा के उल्लंघन के बारे में विरोध–पत्र

5888. **श्री मरंडी :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का बार बार किये गये उल्लंघनों के बारे में भारत के विरोध पत्रों के उत्तर में सरकार को पाकिस्तान से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) ऐसा समझा जाता है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय रक्षा मंत्री के उस वक्तव्य से है जो कि उन्होंने 28 और 29 जून 1967 को पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाकिस्तान विमान द्वारा भारतीय वायुक्षेत्र का उल्लंघन किए जाने के बारे में 4 जुलाई, 1967 को सदन में दिया था। हमारे विरोध पत्र का पाकिस्तान सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जवानों का परिवार पेंशन और बाल-भत्ता

5889. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री जैना :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने जवानों की परिवार पेंशन और बाल-भत्ते की दरों में संशोधन करने और उन्हें बढ़ाने के सम्बन्ध में हाल में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो दरें कितनी बढ़ाई जायेंगी तथा संशोधित दरें कितनी होगी;

(ग) संशोधित दरों के अन्तर्गत जवानों के परिवारों को कम से कम कितनी पेंशन और कम से कम कितगा बाल-भत्ता मिलेगा; और

(घ) जब ये दरें पिछली बार निर्धारित की गई थीं तब से लेकर अब तक दरों में यह वृद्धि निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि के कहां तक अनुसार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जवानों (अर्थात् सिपाहियों से लेकर सूबेदार मेजरों तक) के संबंध में आवश्यक सूचना इस प्रकार है;—

कुटुम्ब पेन्शन बच्चा भत्ता	पुराने दर	शंशोधित दर	
		कम से कम 7 वर्षों की निरंतर अर्ह सेवा कर लेने के पश्चात, जवानों की दशा में अधिकाधिक 7 वर्षों की अवधि के लिये	3(क) कालम में उद्धृत हालतों में वाद में और निरंतर अन्य हालतों में
(1)	(2)	3(क)	3(ख)
(पेंशन में तदर्थ वृद्धि समेत) न तो सैनिक सेवा के कारण और न उस द्वारा प्रवर्धित मृत्यु की हालतों में देय साधारण कुटुम्ब पेन्शन	कम से कम 25 अधिकाधिक 60	कम से कम 47.50 अधिकाधिक 120	हाल में कोई संशोधन नहीं किया गया । कालम 2 के दर अभी लाने हैं ।

(पेन्शन में तदर्थ वृद्धि समेत)	कम से कम 27.50	कम से कम 47.50	कम से कम 47.50
अगर मृत्यु सैनिक सेवा के कारण, या उस द्वारा प्रवधित हो, विशेष देय कुटुम्ब पेंशन	अधिकाधिक 88.50	अधिकाधिक 120	अधिकाधिक 98
विशेष कुटुम्ब पेंशन के अतिरिक्त देय बच्चा भत्ता प्रति बच्चा	(अवर श्रेणी सैनिकों के लिए 5 (जे० सी० ओज के लिए) 7	कम से कम 5 अधिक से अधिक 7	

(घ) जीवन खर्च के कारण पेंशन की मूल दरों में परिवर्तन नहीं किया गया, कि जिसके लिए तदर्थ वृद्धिएं अलग की गई हैं। उपरोक्त वृद्धिएं सरकार के असैनिक सेवकों के लिए लागू आदेशों के आधार पर की गई हैं।

कोचीन नौसैनिक अड्डे में कर्मचारियों की छंटनी

5890. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नायनार :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में कोचीन के नौसेनिक अड्डे में कितने कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई;

(ख) क्या उन्हें सेवा समाप्ती के लाभ दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) सूचना इक्टठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इण्डियन रेयर अर्थस

5891. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नायनार :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से श्रमिकों को पुलिस शनाखत के नाम पर इण्डियन रेयर अर्थ्स, एल्लूर, केरल में नौकरी नहीं दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो जून 1967 तक कितने ऐसे व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी गई थी ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख) जी, नहीं। 1963 में केवल एक ही मामला था जिसमें इण्डियन रेयर अर्थ्स में एक पद के लिए एक उम्मीदवार को, उस पर पुलिस शनाखत प्रतिवेदन को देखते हुए नहीं लिया गया था।

बिना विभाग के मन्त्री का उड़ीसा का दौरा

5893. **श्री यशपालसिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या बिना विभाग के मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उड़ीसा की खाद्य स्थिति का अध्ययन करने के उद्देश्य से हाल में उस राज्य का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

बिना विभाग के मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल को चावल संभरण करने के प्रश्न पर उड़ीसा सरकार से बातचीत करने के लिए मैंने हाल ही में उड़ीसा का दौरा किया था।

(ख) कोई औपचारिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था, परन्तु प्रधान मन्त्री को एक पत्र भेजा गया है और खाद्य विभाग को अग्रेतर कार्यवाही के लिए उसकी प्रति भेजी गई है। पत्र की एक प्रति को सभा पटल पर रखने का विचार नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम के पुनर्गठन सम्बन्धी-वार्ता का असफल होना

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon.

"Failure of talkhs on the Reorganisation of Assam."

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन, जिसमें गारो पहाड़ियां, संयुक्त खासी और जयन्तियां पहाड़ियां, मिजो तथा संयुक्त मिकिर तथा उत्तरी कछार पहाड़ी जिले सम्मिलित है, अब संविधान की छठी अनुसूची के विशेष उपबन्धों के अधीन, जिनके द्वारा इन क्षेत्रों को कुछ स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, किया जाता है। इन क्षेत्रों के अधिकांश लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई है कि उनकी जायज आकांक्षाओं

को संतुष्ट करने और इन क्षेत्रों का उत्तरोतर विकास करने के लिए वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है ।

इस प्रश्न पर कि वर्तमान व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन किये जाने चाहिये गत कई वर्षों से विचार किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में कई प्रस्तावों पर विचार किया गया था तथा पहाड़ी क्षेत्रों में राजनैतिक दलों प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई थी । अक्तूबर, 1963 में एक ऐसी योजना की रूप रेखा बनाई गई थी जिसमें आसाम राज्य की एकता को कायम रखते हुए पहाड़ी जिलों को पूरी स्वायत्तता देने का प्रयत्न किया गया था । बाद में श्री एच. वी. पाटस्कर की अध्यक्षता में बनाये गये आयोग ने योजना का ब्यौरा तैयार किया था । मुख्य मुख्य राजनैतिक दलों ने आयोग की सिफारिशों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये थे । इसलिये एक मंत्रिमन्डलीय उप-समीति ने इस मामले पर आगे विचार किया और पहाड़ी क्षेत्रों के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की । इस प्रयास से भी कोई हल नहीं निकला ।

इस वर्ष जनवरी में हमने सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के प्रतिनिधियों से आगे बातचीत की थी । हमने इस मामले के बारे में दिल्ली में आसाम के मुख्य मन्त्री से भी बातचीत की थी । इस बातचीत के दौरान हमने एक प्रस्ताव रखा था कि इस पुनर्गठन का आधार एक संघीय ढाँचा होना चाहिये जिसमें संघकारी एकक हों, जिसका समान दर्जा हो और जो एक दूसरे के अधीन न हो । यह प्रस्ताव उस पूर्वोत्तर क्षेत्र की भूगौलिक स्थिति तथा सुरक्षा की आवश्यकता और समन्वित विकास को समान रूप से ध्यान में रखते हुए तथा यह आशा करते हुए बनाया गया था कि बाद में इस क्षेत्र के अन्य प्रशासनीक एकक प्रादेशिक संघ में शामिल हो जायेंगे । इस प्रस्ताव में प्रादेशिक संघ को समान हित के कुछ सीमित अत्यावश्यक विषय सौंपने, तथा शेष राजकीय काम संघकारी एककों पर छोड़ने, जो अपनी निजी विधान सभायें, मंत्रि परिषद बना सकते थे, की कल्पना की गई थी ।

इस योजना को सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया था । आसाम के मुख्य मन्त्री ने इस योजना को न तो स्वीकार किया और न अस्वीकार किया परन्तु यह महसूस किया कि इसकी छानबीन की जा सकती है । तथापि ऐसा प्रतीत होता था कि आसाम घाटी के लोग तथा पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ लोग इस योजना से प्रसन्न नहीं हैं । इस वर्ष मई में आसाम का दौरा करते समय मेंने विभिन्न राजनैतिक दलों तथा सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ फिर बातचीत की थी । इस बातचीत के दौरान मैंने यह महसूस किया कि लोग प्राय: यह महसूस करते हैं कि आसाम के पहाड़ी जिलों के प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था को, उन क्षेत्रों के लोगों की जायज आकाक्षाओं को पूरा करने के लिये, बदला जाना चाहिये परन्तु जब नई व्यवस्था की बात आई तो कोई सर्वसम्मत हल नहीं निकला । तब यह सुझाव दिया गया था कि इस विषय पर संयुक्त रुप से बातचीत करके दलों के प्रतिनिधियों और विभिन्न विचारधारा वाले क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति ली जाये ।

तब हमने 8 और 9 जुलाई, 1967 को संयुक्त चर्चा की, परन्तु फिर भी कोई सर्वसम्मत हल नहीं निकल सका । लेकिन चूंकि अधिकतर सदस्य यह चाहते थे कि इस मामले पर आगे

विचार किया जाये इसलिए आसाम के मुख्य मन्त्री और विभिन्न राजनैतिक दलों के कुछ अन्य ऐसे सदस्यों की, जो सभा में उपस्थित थे, एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष योजना, पेट्रोलियम, रसायन और समाज कल्याण मन्त्री थे ताकि वह सर्वसम्मत हल ढूंढने के लिये कार्यवाही करती रहे। यह समिति अपना काम 31 अगस्त 1967 तक पूरा कर लेगी। सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के सिवाय सभी दल इस समिति को सहयोग देने के लिए सहमत हो गए हैं और मुझे आशा हैं कि वह भी इस समिति की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करेगा तथा समिति भी इस विकट समस्या का सर्व सम्मत हल निकाल लेगी।

Shri Madhu Limaye: Sir, this is not a new issue. It is going on for the last so many years. Many a suggestion have been put fourth in this connection. I want to suggest that an early solution should be found out to solve this issue because there have been five fold interferences in this area-from foreign missionaries, foreign tea planters, Americans engaged in political activities, China and Pakistan

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम जिस लगन से पिछले दो महिनों से इस मामले की पैरवी कर रहे हैं उससे पता चलता है कि हम इस मसले का हल निकालने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। मुझे आशा है कि इस मामले की और तेजी से पैरवी करने के लिए मुझे इस सभा की सहानुभूति और समर्थन मिलेगा।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं यह नहीं जानता कि योजना मन्त्री की अध्यक्षता में गठित यह समिति सरकारी है अथवा गैर-सरकारी। सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के दो नेताओं ने यह पहले ही घोषणा कर दी है कि वह इस समिति में भाग नहीं ले रहे हैं। अतः मै यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अब भी, जब कि उसे सहयोग नहीं मिल रहा है, यह चाहती है कि वह समिति काम करती रहे। यदि वह नहीं चाहती है तो क्या मन्त्री महोदय श्री मधु लिमये द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार अपना निर्णय देना चाहेगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण मेरे विचार से समिति को अपना काम करते रहना चाहिये। दूसरे सदस्य आते है या नहीं उनके विचारों से समिति पहले ही अवगत है। इसके अलावा वह समिति उन सदस्यों को शामिल होने के लिए आग्रह कर सकती है। यदि वे शामिल नहीं भी होते हैं तो भी कोई बात नहीं क्योंकि उन्होंने कोई आन्दोलन करने का निश्चय नहीं किया है। इसलिये मैं समझता हूँ कि समिति को अपना काम जारी रखना चाहिए।

यह समिति अर्द्ध-सरकारी समिति है। इसमें मन्त्री तथा सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी दलों के प्रतिनिधि है।

समिति के जो सदस्य यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे सर्व सम्मत दल निकालने का प्रयत्न करें।

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

आसाम और मनीपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों को विद्रोही नागाओं के आक्रमणों से सुरक्षित रखने में सरकार की कथित असफलता

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ चाहते हैं कि उन्हें निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमती दी जाये ।

'आसाम और मनीपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में सरकार की घोर असफलता; जिसके परिणाम-स्वरुप तामैंगलौंग डिवीजन में नागा विद्रोहियों के दो लगातार आक्रमणों में सशस्त्र पुलिस के क्रमश; 23 और 3 सिपाही मारे गये ।"

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के लिए सभी की अनुमती चाहता हूँ । मेरे विचार से किसी को कोई आपत्ति नहीं है ।

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : हमें आपत्ति है क्योंकि इस मामले पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और अब पुनः चर्चा होने वाली है ।

अध्यक्ष महोदय : जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाये ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि 50 से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होगये हैं इसलिए अनुमति दे दी गई है । अब इस प्रस्ताव को 4 बजे शाम को लिया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

आसाम मेल के पटरी से उतर जाने के बारे में विवरण

रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा) : मैं 11 जुलाई, 1967 को आसाम मेल के पटरी से उतर जाने के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1063/67]** ।

डा० धर्म तेजा के स्वदेश प्रत्यावर्तन के बारे में विवरण

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं डा० धर्म तेजा के स्वदेश प्रत्यावर्तन के बारे में 23 जून 1967 को डा. राममनोहर लोहिया द्वारा उठाई गई आधे

घण्टे की चर्चा के उत्तर में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 19 के अन्तर्गत एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1064/67]**

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : Sir, I rise on a point of order. You had given this direction to the Minister Under Direction 19. It is written in Direction 19 that such direction can be given in case the Minister might not have got a time to given the answer. But the fact is that such was not the case.....

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के लिए समय नहीं था और आप चाहते हैं कि मन्त्री के विवरण पर चर्चा होनी चाहिये। अतः आप लिखकर मुझे दे दें मैं उस पर विचार करूंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia : It has now taken about twenty days to bring this matter for discussion. Now I would like that the date for discussion should be fixed now otherwise it may take twenty days more.

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखिये मैं समय निश्चित करूंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia : But Kindly fix an eary date otherwise the whole importance of this issue will be lost.

अध्यक्ष महोदय : पांच दस दिन तो लग ही सकते हैं। परन्तु मैं आपको अवश्य अवसर दूंगा। इसमें मन्त्री का दोष नहीं था, सभा में गणपूर्ति नहीं की तथा सभा को स्थगित करना पड़ा था।

चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) तीसरा संशोधन, नियम 1967

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : श्री के० के० शाह की ओर से मैं चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) तीसरा संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 1 जुलाई 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 976 में प्रकाशित हुए थे. सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1065/67]**

योजना आयोग के विषय में प्रशासन सुधार आयोग की शिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. GOVERNMENT DECISIONS ON ADMINISTRATIVE REFORMS COMMISSION'S RECOMMENDATIONS RELATING TO THE PLANNING COMMISSION

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सरकार कुछ दिनों से योजना की मशीनरी के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही थी। अभी हाल ही में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ और सरकार को उनकी राय जानने का भी मौका मिला। अब सरकार ने इस विषय में अंतिम रूप से फैसले किए हैं।

2. प्रशासन सुधार आयोग ने देश की सामाजिक और आर्थिक खुशहाली के लिए राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता को मंजूर किया और इस बात पर विचार किया कि योजना आयोग के समुचित कार्य और भूमिका क्या हों। उन्होंने महसूस किया कि योजना आयोग मुख्यतः योजनाओं को कायदे से शुरू करने और उनकी प्रगति के मूल्यांकन का काम देखे। आयोग पर कार्यकारी जिम्मेदारी का बोझ नहीं होना चाहिये। सरकार इस बात से सहमत हैं। मुख्यमन्त्री सम्मेलन में भी इस विचार का अनुमोदन किया।

3. सरकार इस सिफारिश से भी सहमत है कि योजना आयोग अपनी योजनाओं की प्रगति पर एक वार्षिक रिपोर्ट दे और वह रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिये।

4. मुख्यमन्त्री सम्मेलन की आम राय यह हुई कि प्रधानमन्त्री को योजना आयोग का अध्यक्ष बना रहना चाहिये। सरकार इस विचार से सहमत है।

5. दूसरे केन्द्रीय मन्त्रियों के योजना आयोग से सम्बन्धित रहने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है। मुख्य मन्त्री सम्मेलन की यह आम राय थी कि वित्तमन्त्री को भी योजना आयोग का सदस्य रहना चाहिए। सरकार इस विचार से सहमत है। दूसरे केन्द्रीय मन्त्री आयोग के सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से सम्बन्धित नहीं होंगे फिर भी आवश्यकता होने पर प्रधान मन्त्री उन लोगों को विचार–विमर्श में शरीक होने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

6. सरकार ने फैसला किया है कि योजना आयोग को मार्ग-दर्शन देने के लिए एक पूर्ण-कालिक उपाध्यक्ष होना चाहिये. जिसका केन्द्रीय मन्त्री होना आवश्यक नहीं है। प्रशासन सुधार आयोग ने उपाध्यक्ष को लेकर पांच पूर्णकालिक सदस्यों तथा यदि आवश्यक हो तो अशंकालिक सदस्यों के रखे जाने की सिफारिश की। सरकार की यह राय है कि अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति आवश्यक नहीं। सरकार यह सोचती है कि सदस्यों की संख्या के बारें में दृढ़ होना कोई जरूरी नहीं है और वह इस बात से सहमत है कि आयोग पूर्णकालिक सदस्यों की एक छोटी और सुगठित संस्था हो। सरकार का यह विचार है कि आयोग के लिए अशंकालिक नियुक्तियां करना आवश्यक नहीं होगा।

7. योजना के बारे में जो बातें संसद में उठेंगी उन्हें सम्बन्धित मन्त्री सम्हालेंगे। वित्तीय, प्रशासनीक और आम प्रश्नों को जब जैसा मामला हो. वित्त मन्त्री या प्रधान मन्त्री सम्हालेंगे।

8. सरकार ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका अध्यक्ष प्रधान मन्त्री बनी रहेंगी, उसमें मन्त्रिमण्डल स्तर के सभी केन्द्रीय मन्त्री, राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमन्त्री तथा आयोजना आयोग के सदस्य रहने चाहिये। परिषद में दिल्ली प्रशासन का प्रतिनिधित्व उपराज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद और बाकी केन्द्रीय क्षेत्रों के प्रशासन करेंगे।

9. राज्य या निम्न स्तर पर योजना की क्या व्यवस्था हो, इसके सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें स्वयं विचार करें। समय समय पर इसके बारे में केन्द्रीय राज्य सरकारें विचार विमर्श कर तय करती रहेंगी।

जमा बीमा निगम संशोधन विधेयक

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (AMENDMENTS) BILL

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी-देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : इन मांगों की चर्चा के लिये हमारे पास 3 घन्टे और 15 मिनट हैं। अब हमें स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा करनी है इस तरह हमारे पास दो घन्टे ही बचेंगे। इसलिये यह चर्चा कल भी जारी रहेगी।

श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित (फूलपुर) ; सरकार की विभिन्न नीतियों की, विशेषकर उसकी पश्चिम एशिया के संकट सम्बन्धी नीति की आलोचना की गई है। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे विचार व्यक्त करना चाहूंगी जो मेरे अनुभव पर आधारित हैं। जिस समय राष्ट्रपति नासर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था उस समय निराशा के कारण पश्चिमी देशों में विशेषकर लन्दन में ऐसी उत्तेजना उत्पन्न हो गई थी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि फ्रांस और इंगलैंड ने मिलकर किस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप इस संकट को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया जिससे उस

क्षेत्र में दूसरा युद्ध शुरू हो गया। उसी वजह से ही तीसरा युद्ध आरम्भ हुआ है। इस बार खुले रूप से इसराईल को प्रोत्साहन नहीं दिया गया परन्तु नैतिक समर्थन दिया गया जिसके कारण उसने युद्ध आरम्भ करने में पहल की। चाहे इस बार फ्रांस ने समर्थन नहीं दिया परन्तु उन देशों ने समर्थन दिया जिन्हें अब भी आशा थी कि जब कभी भी अवसर आया तो वे स्थिति को अपने हित के अनुकूल बदल लेंगे। उन्होंने इसलिये भी समर्थन दिया ताकि वे अवसर आने पर पश्चिम एशिया में एक नया शक्ति संतुलन कायम कर सकेंगे।

पश्चिमी देश हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान के बनने का हमारे दिल में दुख है। परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने कभी कोई कार्यवाही नहीं की है कि हमने पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है।

कुछ दिन पहले श्री मसानी ने यह कहा था कि संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा अकाबा की खाड़ी की नाकाबन्दी किये जाने का काम भी एक आक्रमण ही है परन्तु मेरे विचारसे आक्रमण का रास्ता तब ही बन गया था जबकि अरब भूमि पर यहूदी बसाये गये थे। यह काम इसलिये किया गया था ताकि वहां पर हमेशा संकट बना रहे। जब 1947 में इसराईल बना था, तो मैं समझता हूं कि उस समय भारत सहित बहुत से देशों को यह मालूम था कि इसराईल की स्थापना से एक ऐसे बम की स्थापना की जा रही है जो समय आने पर फूट जायेगा। यह बम अब एक बार नहीं तीन बार फूट चुका है और किसी को इस बात का पता नहीं है कि आयिन्दा यह बम कितनी बार फूटेगा।

बहुत से लोगों ने इस बात की बहुत निन्दा की है कि भारत ने यह मांग की थी कि इसराईली सेना को पीछे हटना चाहिये केवल तभी शान्तिपूर्वक बातचीत हो सकती है। मेरे विचार से उन लोगों को यह समझाया जाना चाहिये कि आक्रमण करना ठीक नहीं है इससे कभी फायदा नहीं उठाना चाहिये अन्यथा हम विश्व में ऐसी स्थिति में कभी नहीं पहुंच सकेंगे जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर शान्तिपूर्वक विचार किया जा सके। आक्रमण की निन्दा अवश्य की जानी चाहिए और इसका लाभ उठाने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। भारत को अरब देशों को इस बात पर राजी करने का यत्न करना चाहिए कि वे इसरायल की सुरक्षा की गारंटी दें। परन्तु इसरायल के साथ सम्बन्ध न होने के कारण भारत ऐसा नहीं कर सकता। इसमें सन्देह नहीं कि इसरायल के निर्माण के समय भारत ने इसको मान्यता प्रदान की थी तथा उसके लिये शुभ इच्छा प्रकट की थी। परन्तु हमने ऐसी नीति अपनाई जिस कारण हमारा उस पर कोई प्रभाव नहीं रहा। यही कारण है कि समान हितों का विकास हो सकता।

ऐसा कहा जाता है कि हम गुट निरपेक्षता तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखते हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हाल ही के संकट तथा इसरायल द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को खाली कराने के पश्चात सरकार को अपनी नीति के कुछ पहलुओं पर पुनः विचार करना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्दर तथा बाहर पश्चिमी एशिया के बारे में जो नीति अपनाई है उसको देखने से ऐसा स्पष्ट होता है कि भारत इसरायल को अरबों के निकट लाने में योगदान दे सकता है। अरबों के साथ मित्रता बनाये रखते हुए,

उनकी प्रगति की इच्छा करते हुए भारत को ऐसा करने का साहस करना चाहिए । अन्ततः इससे इसरायल अरब देशों तथा सम्भवतः विश्व को भी लाभ होगा ।

वियतनाम में हो रही घटनाओं की हमने निन्दा की है परन्तु इतने जोर से नहीं जिससे कि उसका कुछ प्रभाव हो सकता । इसलिए हमें केवल निन्दा करने के अतिरिक्त कुछ अधिक कार्यवाही भी करनी चाहिए। हमें अपने हितों में आगे बढ़ दूसरे के हितों की भी सहायता करनी चाहिए ।

समाचारपत्रों में मैंने पढ़ा है कि हमारे वैदेशिक-कार्य मन्त्री पश्चिमी एशिया पर बातचीत करने के लिए बेल्ग्रेड तथा काहिरा जा रहे हैं । भारत ने पहले जो भाग अदा किया है तथा भविष्य में जो भाग अदा करना है यह उसके विपरीत है । लोग हमसे परामर्श करने तथा हमारी बुद्धिमत्ता से लाभ उठाने के लिए हमारे देश में आते थे । यदि अब भी लोग हमारा परामर्श लेने तथा बुद्धिमत्ता से लाभ उठाने के लिए हमारे देश में आये तो हमें उनका स्वागत करना चाहिये न कि हमारे वैदेशिक कार्य मन्त्री दूसरे लोगों से परामर्श करने के लिए घुमते रहें। जिस दृष्टिकोण से हम अपने हितों को देख सकते हैं दूसरे लोग वैसा नहीं कर सकते ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : The countries of the world can be grouped under the different heads, stronger and the weaker ones. The strong countries may interfere with the problems of other countries because they are not warried about their internal problems such as economic and security problems. They may mould their attitude to suit the needs of the time and also to maintain balance in the world. But it does not suit to a weak nation like ours to involve itself in the affairs of other countries. Whenever discussion on the foreign affairs had taken place we had focussed our attention on the current problems. The weak nations should first pay their attention to their defence and only then they should think of the welfare of the world. In the sphere of foreign affairs for the past twenty years we had followed an indealistic policy instead of realistic one. We have ignored our defences and kept ourselves busy as a peace maker.

It is quite possible that China and Pakistan may attack India in the coming rainy season. People are well aware that I am against any kind of war. But I would say that on being attacked we should face the aggression with determination. First and foremost requirement is the determination to fight aggression. Then covers the industrial base and then only covers the military might. Our foreign policy has been weak and that is doing us great harm. Actually we have been placed in a situation of no return. Now there is no other alternative except to have patience and to decide to end the aggression with determination irrespective of its cost. Himalayas are part aud parcel of India continent. But how China has its eye on it and we should defend it with full force and determination.

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

We have been committing mistakes over mistakes, I would rather say that the present mistakes are the outcome of the earlier mistakes. We failed to secure our diplomatic relations with China when she attacked us and captured large chunks of our territory in 1962. Even now we have not severed our diplomatic relations with that country although our diplomats had to suffer all sorts of insults.

We should not repeat our mistakes if attacked once again by China or Pakistan We should retaliate immediately and should not wait for the reaction of Britain, America or Russia. If any time in future Pakistan dares to attack us, we should exploit the discontental of the East Pakistan people against their western counter part.

We should do away with the practice of having a separte Flag for the President National Flag should be hoisted over the Presidents' Eastate buildings,

We should try to rais the question of poverty among the masses in the United Nations alongwith the question of non-prolifecation of armaments. All steps should be taken to improve the condition of the poor. I would also request that the present economic imbalance in the world should be removed.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकदराबाद) : ऐसा कहा गया है कि हम गुटों से अलग नहीं रहे हैं और कि हमारा कोई मित्र नहीं है । स्थिति यह है कि एक ओर तो रूप तथा दूसरी ओर फ्रांस हमारा समर्थन कर रहा है । अतः हमारी नीति युक्तियुक्त तथा विश्व के हित में ही है ।

कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि पश्चिम एशिया में कोई आक्रमण हुआ ही नहीं है । यह भी कहा गया है कि अकाबा की खाड़ी बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप ही इसरायल ने आक्रमण किया है और उसको ऐसा करने का अधिकार है । इसकी तुलना पाकिस्तान द्वारा 1965 में हम पर किये गये आक्रमण से भी की गई है । परन्तु मैं आपका ध्यान बम्बई में इसरायल के वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी किये गये एक दस्तावेज की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि वह अपनी सीमाओं से आगे गये बिना अपनी रक्षा नहीं कर सकता था । इसमें इस बात को भी स्वीकार किया गया है शत्रु को आरम्भ में अत्यधिक हानि पहुंचाने के लिए अचानक हवाई आक्रमण करना आवश्यक था । इस लिए मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान का मामला इससे अलग था । पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया था और हमने आत्म-रक्षा के निमित्त ही कार्यवाही की थी । परन्तु इसरायल ने जानबूझकर तथा योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण किया था । श्री मसानी ने मि० टायनबी का उल्लेख किया है । परन्तु वह यह भूल गये कि उसने स्वयं कहा है कि इस संघर्ष के लिये विभाजन जिम्मेदार है । अब ब्रिटेन तथा अमरीका ने एक योजना प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत इसराइल को मान्यता देना तथा उसके लिए स्वेज नहर तथा अकाबा की खाड़ी में अबाध आवागमन को सुनिश्चत करना है । एक योजना में शरणार्थियों के लिए भी कुछ करने को कहा गया है । शरणार्थियों की समस्या को छोड़ इसराइल के भी यही लक्ष्य हैं । इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई नीति ही ठीक है ।

जहां तक मान्यता देने का सम्बन्ध है हमें याद रखना चाहिए कि इसरायल को ग्रेट ब्रिटेन ने ही बनाया है। ग्रेट-ब्रिटेन ने 20वीं शताब्दी में देशों को धर्म के आधार पर विभाजन की नीति को अपनाया है। संयुक्त अरब गणराज्य ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया और अपने देश में राष्ट्रपति नासिर ने 'मुस्लिम ब्रदरहुड' पर रोक लगा दी है। अतः अरब देश हमारी सहानुभूति और समर्थन के अधिकारी हैं।

जनरल डोयन ने कहा है कि इसरायल अधिकृत क्षेत्रों से नहीं हटेगा। यह रवैया उचित नहीं है और इसकी निन्दा की जानी चाहिए।

इस समय मानवजाति की आशाएं संयुक्त राष्ट्र संघ पर लगी हुई है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ असफल हो जाता है तो मानवजाति की आशाएं भंग हो जायेंगी। यदि बड़ी शक्तियों का मामला हो तो समझौता हो जाता है। यदि छोटे देशों का मामला होता है तो बड़े राष्ट्र स्थिति को अपने अनुकूल बनाने का यत्न करते हैं। हमने काश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया था। परन्तु परिणाम यह निकला कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान के आक्रमण की निन्दा न कर दोनों को बराबर जिम्मेदार घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आ। जनरल 'ओड बुल' को स्वेज नहर के दोनों ओर निगाह रखने के लिये भेजा जा रहा है। परिणामस्वरूप युद्ध विराम रेखा तो बनी ही रहेगी परन्तु उसके साथ साथ शेष मामले भी ज्यों के त्यों बने रहेंगे। चीन तथा पाकिस्तान के सहयोग तथा गठबन्धन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस गठबन्धन का सामना करने के लिए हमने अपनी प्रतिरक्षा के लिये क्या राजनैतिक तथा सैनिक कदम उठाये हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव नहीं है कि अमरीका पाकिस्तान को पेकिंग में एक 'विन्डों' के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो। अन्यथा क्या कारण है कि पाकिस्तानी की इस सांठ गांठ पर अमरीका में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई जबकि अमरीका अन्य स्थानों पर घटने वाली ऐसी ही घटनाओं पर क्षुब्ध हो जाता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चीन के विस्तारवाद को शान्ति द्वारा ही रोका जा सकता है।

श्री जो० मा० कृपलानी (गुना) : हमारी विदेश नीति की परिभाषा सदा यह दी जाती है कि यह गुट निरपेक्षता की नीति है। मेरा निवेदन यह है कि गुट-निरपेक्षता किसी भी राष्ट्र की नीति नहीं हो सकती। यह तो केवल एक सिद्धान्त ही हो सकता है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति में नीति, कुशलता तथा कूटनीति का होना आवश्यक है। हमें बताया गया है कि गुट-निरपेक्षता एक नकारात्मक सिद्धान्त नहीं बल्कि एक सक्रिय सिद्धान्त है। परन्तु मेरे विचार में यह कायरता का ही एक सक्रिय रूप है क्योंकि इन सभी वर्षों में हमने जो भी कदम उठाया है वह डर के कारण ही उठाया है। उदाहारणतः हम चीन के डर के कारण ही फारमोसा से कोई सम्बन्ध नहीं बनाना चाहते हैं। अरब देशों, पाकिस्तान तथा भारत में मुस्लिम मत से डर कर हम इसरायल से अच्छे सम्बन्ध नहीं बनाना चाहते।

तिब्बत के बारे में मैं कई बार बोल चुका हूं। अब भी मेरा निवेदन है कि तिब्बत पर चीन का दावा केवल वहां उसका अधिराज्य होने के आधार पर है। परन्तु यह साम्राज्यवादी विचार है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पश्चिमी एशिया के बारे में हम सब का विश्वास है कि जब इसरायल को अरबों द्वारा अधिकृत फिलस्तीन में एक राष्ट्र के रूप में बनाया गया तो इसको एक अनुचित कार्यवाही कहा गया था। परन्तु यह अन्याय इसरायल के लोगों ने नहीं किया। उनका तो सदा से यह विचार था कि वे एक दिन अपनी भूमि में वापिस आ जायेंगे। इसके लिए पश्चिमी राष्ट्रों अर्थात अमरीका, इंगलैंड तथा फ्रांस ने अवसर प्रदान कर दिया। उसका कारण यह है कि यहूदियों के प्रति उनकी आत्मा दोषी थी। यहूदियों को कहीं न कहीं बसाया जाना था वे जहाजों में इधर उधर घूम रहे थे। इस समस्या को हल करने के लिए फिलस्तीन में यहूदियों का इसरायल नामक देश बनाया गया।

अरबों ने सर्वप्रथम स्वेज के अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग को उनके लिए बन्द कर दिया। 1948 के युद्ध विराम के पश्चात भी अरब यह कहते रहे कि उनका इसरायल से युद्ध चालू है। कई बार यह भी कहा गया कि वे इसरायल को सत्ता समाप्त करना चाहते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि आक्रामक कौन है।

मेरे विचार में संयुक्तराष्ट्र के महासचिव ने केवल अरबों के कहने पर वहां से शान्ति सेना हटाकर एक भारी भूल की है। जहां तक जान पड़ता है उन्होंने इसरायल से इस बारे में विचार विमर्श भी नहीं किया था। अब पुनः शान्ति बनाये रखने के लिए वह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को वहां रखना चाहते हैं।

अरबों ने अकाबा की खाड़ी को बन्द करके अपने सेनायें सिंचाई के मरुस्थल की ओर बढ़ाई। यदि इसरायल ने कार्यवाही न की होती तो उसका अस्तित्व ही मिट गया होता। इसलिये यह कहना व्यर्थ है कि इसरायल आक्रामक है और उन पर इसलिये यह आरोप लगाना निर्थक है कि उन्होंने शीघ्र कार्यवाही की। हमें केवल यह घोषणा करनी चाहिये थी कि अरब देश विक्षेषतया संयुक्त अरब गणराज्य हमारा मित्र है। परन्तु हमने इसरायल को आक्रामिक घोषित कर दिया। यह मूर्खतापूर्ण नीति है।

जब हम रेडियो से इसरायल तथा अरबों के बारे में प्रसारण सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यह प्रसारण दिल्ली के नहीं बल्कि काहिरा से हो रहे हैं। मालूम नहीं हम अरब देशों के अधिवकता क्यों बन गये हैं, मैंने सुना है कि भारत सरकार ने अरब देशों को मिग विमान देने का वचन दिया है। यदि यह ठीक है, तो हमें गुट निरपेक्ष नहीं रह सकते। संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत अन्न लाने वाले जहाज को किसी भी रास्ते से जाने नहीं दिया। हमारी सरकार ने यह भी कहा है कि संयुक्त अरब गणराज्य विपत्ति में है। इसलिये, यह खाद्यान्न उसे दे दिया जाये।

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य ने जो तीन बातें कही हैं, वे सभी निराधार तथा गलत हैं।

श्री जी० भा० कृपलानी : आरम्भ से ही हम विश्व के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भाग लेते रहे है। हमारी शक्ति अथवा आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कहना उचित नहीं है। जो लोग विश्व के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, उनमें आत्म शक्ति होती है, हमारे पास वह शक्ति नहीं है। हमें अपने सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिये। हमें बढ़ चढ़ कर बात नहीं करनी चाहिये।

हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि इस विश्व में कोई राष्ट्र कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह आत्म रक्षा के लिए अपने साधनों पर निर्भर नहीं कर सकता। हमें यह भी जान लेना चाहिये कि इस विश्व में अकेले रह कर हमारा कोई स्थान नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि हम सैनिक गुटों में शामिल हों परन्तु कुछ देशों के साथ कोई न कोई समझोता जरुर करना चाहिये।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : There is difference of opinion in the country and among the Members of Parliament on the West Asia problem. One section of our population is of the opinion that we have not done justice to the people of Israel while the other supports Arab countries. Previously too foreign policy was discussed and resolutions were passed with near unanimiety, but now the situation is altogether different. Whole of the country is divided on this issue. This isvery unfotunate.

It will have to be considered whether it was due to any fault of the jews that they were persecute d is large numbers in a number of European countries and they were compelled to leave their countries and whether it was due to any fault of the Arabs that Isreal was created in their midst. As a matter of fact certain nations are responsible for such things. If the Minister of External Affairs had not used the expressions he used in his first statement pertaining to the situation in West Asia, the country would not have been divided the way she s divided now.

It is a fact that Israel has been in existance and will continue to exist. We con also understand the point of view of Arab countries. Such a situation has been created by U. S. A. and other countries, We should not decide about the agreessor at this stage since it is very difficult to decide about it now. It will be better if the Government concentrates on the question of refugees.

The closure of suez is causing inconvenience to us and not to U. S. A. and other countries. Therefore we should take steps to see that the canal is opened as soon as possible.

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : हमारा दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम न तो रूस समर्थक है, न ही अमरीका समर्थक है बल्कि हमारा हित तो भारत के हित के साथ है। भारत सरकार की विदेशी नीति के बारें में बहुत कुछ कहा गया है। उस पर अनिश्चयात्मक नीति अपनाने का दोष दिया जा रहा है, यह ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लम्बी चौड़ी बातें करते हैं। परन्तु काम बहुत कम करते हैं यही कारण है कि विश्व के देशों में हमारा एक ऐसा चित्र बन गया है कि हमें नीचा देखना पड़ रहा है, यदि हम आर्थिक पुनर्निर्माण पर अधिक ध्यान देते तो हम बहुत प्रगति कर सकते थे। जापान ने यही तरीका अपनाया है तथा 15 वर्ष की अवधि में ही वह एक उन्नत तथा सम्पन्न देश बन गया है।

इसराइल आज एक ऐसा खतरनाक क्षेत्र बन गया है जो कभी भी विश्वयुद्ध आरम्भ कर सकता है। विश्व के उस क्षेत्र में इसराइल बनने से ही तनाव पैदा हो गया था। उसके कारण अरब देशों में गलतफहमी उत्पन्न हो गई। गोरे लोगों का अरब देशों के बीच संघर्ष पैदा करने का एक ऐसा निश्चित उद्देश्य रहा है जिससे अरबों में उनका प्रभाव बनाये रखा जा सके।

इसराइल का दावा है कि फिलस्तीन हजारों वर्षों से उनकी जन्म भूमि रही है परन्तु वे यह बात भूल रहे हैं कि जब हजारों वर्ष पहले इसराइल बना था तब फिलस्तीन अरबों की जन्म भूमि थी। इसलिये, इसराइल का बनाया जाना ही अरब क्षेत्र पर एक आक्रमण है।

भारत सरकार ने इसराइल को पहले ही मान्यता दे दी है। भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि वह यह प्रयत्न करे कि संयुक्त अरब गणराज्य भी आगे आये और इसराइल को मान्यता देकर उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करे। उसके अतिरिक्त संयुक्त अरब गणराज्य के अधिकृत क्षेत्रों में तैनात इसराइली सेना को भी वहां से पहले की स्थिति पर वापिस बुला लिया जाना चाहिये। मतभेद दूर करने के लिये कोई व्यवस्था की जानी चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के प्रस्ताव को अस्वीकृत किये जाने के कारण गुट निरपेक्ष देशों में अपने संगठन के बारे में ही एक गलतफहमी उत्पन्न हो गई है। संयुक्त अरब गणराज्य को यह मान लेना चाहिये कि इसराइल के अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता।

हमारी विदेश नीति वास्तविकता तथा व्यवहारिकता पर आधारित होनी चाहिये और उसे अफ्रीकी एशियाई मित्रता के दर्शन की ठोस चट्टान के आधार पर बनाना चाहिये। चीन के मामले में यह सिद्ध हो गया है कि अब कोई भी देश माओ साम्राज्य की तथाकथित सांस्कृति क्रान्ति का अनुसरण करने के लिये तैयार नहीं है। चीन ने अपने आसपास के कई देशों को शत्रु बना लिया है। उसे बिल्कुल अलग छोड़ देना चाहिये।

श्री चागला ने कहा है कि 1956 में तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता भारत ने स्वीकार की थी। यह भारत सरकार की एक ऐतिहासिक गलती थी। कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत कभी स्वतंत्र देश नहीं रहा है। परन्तु यह बात इसी से गलत सिद्ध हो जाती है कि 1956 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था और तिब्बतियों को वहां से भगा दिया था।

मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह पुराने वायदों को भूल जाये। अब स्थिति भिन्न है। अब तिब्बत के लोग दलाई लामा के सेतृत्व में सहायता के लिये हमारे पास आये हैं। भारत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह तिब्बत के लोगों को मुक्त कराये। मुझे आशा है भारत सरकार इस सम्बन्ध में पुनः विचार करेगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

वियतनाम के मामले में हमने भारत सरकार का समर्थन किया है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे वियतनाम के लोगों को मैं बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वह दिन अवश्य आयेगा जब वियतनाम विदेशी शासन के चंगुल से मुक्त होगा।

भारत सरकार ने लंका के साथ एक समझौता किया है। सिरिमावो-शास्त्री समझौते को क्रियान्वित करने के लिये विधेयक पारित किया गया है परन्तु इसे क्रियान्वित करने से से पहले वे उस देश से 5,25,000 लोगों को भारत वापिस भेज रहे हैं। इससे बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी। सरकार इस बात का आश्वासन दे कि यह प्रत्यावर्तन कम से कम कष्ट प्रद होगा।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेगी।

प्रधान मंत्री और अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आज भी हमारी यह नीति है कि हम विश्व के मध्य देशों में घटने वाली घटनाओं से अलग नहीं रह सकते। कई बार यह कहा जाता है कि दूसरे देश में घटने वाली घटनाओं की हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। परन्तु इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ जबकि एक देश दूसरे देशों से बिल्कुल अलग रहा है। छोटे देशों के लिये यह ठीक हो सकता है कि वह दूसरे देशों से अलग रह सकें। परन्तु भारत के लिये तथा इस सरकार के लिये सम्भव नहीं है कि वह अपने आपको संसार की घटनाओं से पृथक रख सकें।

निरपेक्षता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है।

जब दो मुख्य पक्ष हों तो पक्ष निरपेक्षता का ध्येय उनके परस्पर वैमनस्य का अन्त करना था। सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह दो महान राष्ट्रों के परस्पर वैमनस्य को दूर करने में बाधा डाल रही है। परन्तु आज उनमें परस्पर निकट आने की प्रवृति है तो वह मुख्यतया गुट निरपेक्षता की नीति के कारण ही है। जिसका अनुसरण न केवल भारत द्वारा किया जा रहा है बल्कि और बहुत देश भी इसका अनुसरण कर रहे हैं।

आज केवल यही प्रश्न नहीं है कि राष्ट्र परस्पर निकट आ रहे हैं। हम अब भी शान्ति की आवश्यकता में विश्वास रखते हैं जब कभी युद्ध होता है, उससे हम प्रभावित होते हैं हमारी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। इससे न केवल सरकारी नीति पर प्रभाव पड़ता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इससे जनता के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। यह बात नहीं कि हम केवल ऊंचे आदर्श की बात कर रहे हैं बल्कि यह बात हमारे विकास के लिये आवश्यक है।

भारत और अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश लम्बे समय से विदेशी शासन से निकले हैं। अभी हम उससे सम्भल नहीं पाये हैं। हमारी प्रभुसत्ता को समाप्त करने वाले किसी भी आन्दोलन को हमें समाप्त करना होगा।

सन्धि में शामिल होने का परिणाम यह होगा कि इससे हमारी नीति पर प्रतिबन्ध लग जायेगा।

आज कोई राष्ट्र युद्ध जीत लेता है। लेकिन बहुत समय बाद इसका क्या परिणाम होगा? हम जानते हैं कि युद्ध के कारण काफी कटुता पैदा हो गई है। यदि हम किसी व्यक्ति का पक्ष लेते हैं या समर्थन का आश्वासन देते हैं तो यह केवल कोई रवैया अपनाने या ऊंचा बोलने के लिये नहीं है। लेकिन इसका कारण यह है कि हम समझते हैं कि बोलने से एक विशेष स्थिति पैदा करने और कटुता कम करने में सहायता मिलेगी।

सब मिलाकर हमारी नीति सफल रही है। ऐसा हो सकता है कि हमारे से कुछ गलतीयां हुई हों। लेकिन अन्त में हम सफल हुए हैं और हम अपने प्रयासों के फल स्वरूप उचित वातावरण बनाने में सफल रहे हैं।

मैं पश्चिमी एशिया के संकट के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं इस संबंध में पहले कह चुकी हूं। परन्तु कुछ सदस्यों ने जिस ढंग से छोटे से इसराइल को आकमण अरबों द्वारा धमकी देने की बात कही उससे मुझे पाकिस्तान द्वारा भारत को दी गई धमकी स्मरण हो आती हैं। अपना रवैया निर्धारित करते समय हमें इन समस्याओं का इतिहास, लोगों का मनोविज्ञान और खतरनाक सैनिक संस्थानों का विशाल स्वतन्त्र पड़ोसियों के विरुद्ध दुखान्त प्रयोग आदि बातें दृष्टि में रखनी चाहिये।

हाजीपीर को और स्थानों से अलग नहीं किया गया है। हम उस पर पाकिस्तान का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते।

हम आणविक अस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिये प्रयत्नशील हैं। परन्तु इससे ही समस्या का समाधान नहीं होता। हम पूर्ण निरस्त्रीकरण में विश्वास रखते हैं और हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिये।

यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि हमने आणविक संरक्षण के प्रश्न को बढ़ावा नहीं दिया है। वास्तव में हमने इस सम्बन्ध में पहल की थी और श्री एल. के. झा इस सम्बन्ध में कई जगह गये। श्री जॉनसन ने जो वक्तव्य दिया था। वह केवल एक पक्षीय घोषणा थी और वह हम पर लागू नहीं होती। राष्ट्रपति जौनसन के वक्तव्य का हम स्वागत करते हैं परन्तु हम यह भी निश्चित करना चाहेंगे कि सभी आणविक राष्ट्र या उनमें से यथासम्भव कम से कम कुछ राष्ट्र यह गारण्टी दें कि यदि आणविक शक्ति सहित राष्ट्रों के विरूद्ध आणविक शस्त्रों का प्रयोग किया गया तो वे अणुशस्त्र विहीन राष्ट्रों का पक्ष लेंगे।

हमारे लिये हमेशा पहल करना उचित नहीं। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री समर गुह : ना तो आप एटमबम बनायेंगे ना ही आप आणविक संरक्षण ही स्वीकार करेंगे। आप क्या निश्चित नीति का अनुसरण करते हैं?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है सेना का बहुत महत्व है पर इसके साथ साथ उसमें यह भावना पैदा करना भी हम सब भी सेना के साथ है, उतना ही महत्वपूर्ण है।

स्थगन प्रस्ताव
ADJOURNMENT MOTION

आसाम और मनीपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों को विद्रोही नागाओं के आक्रमणों से सुरक्षित रखने में सरकार की कथित असफलता

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'सभा अब स्थगित हो'। तामेंगलोग इम्फाल सड़क पर मारे गये सशस्त्र देश भक्त सिपाहियों को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते है क्योंकि वे इस कठिन समय में स्वतंत्र भारत के झण्डे को ऊंचा उठाये हुए थे। प्रधान मंत्री द्वारा उनके लिये उनके परिवारों के लिये दी गई 24000 रु० की धन राशि बहुत थोड़ी है। माननीय गृह मंत्री को इसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।

माननीय गृह कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की तीन मुख्य बातें यह है:—

1. युद्ध विराम समझौते को मनीपुर के क्षेत्रों में, खासकर तामेंगलोंग डिविजन पर, जो पहले नागा विद्रोहियों की गतिविधियों की पहुंच से बाहर था, लागू करना एक गलत कदम है।

2. इस कार्यवाही में नागा विद्रोहियों द्वारा प्रयोग किये गये स्वचलित अस्त्र

3. देश में हुई इन घटनाओं के सम्बन्ध में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है।

1954 में नागा विद्रोहियों ने भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। 1954 से मनीपुर क्षेत्र में कोई घटनाएं नहीं घटी हैं। तथाकथित युद्ध विराम समझौते को मनीपुर के उन क्षेत्रों पर भी लागू करके गृह मंत्री महोदय ने वहां पर विद्रोह की आग भड़काने की अनुमति दे दी थी और इसी कारण वहां पर सिपाही मारे गये। मुझे आशा है कि गृह मंत्री महोदय को पूरे मामले पर फिर से विचार करना चाहिये और यह आश्वासन देना चाहिये कि ऐसी घटना फिर से घटित न हो।

इस युद्ध विराम समझौते की आड़ में नागा विद्रोहियों ने दूसरे क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। वे उन क्षेत्रों में से ही स्वयं सेवक भर्ती कर रहे हैं और एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न नागालैंड के गठन के लिये उनका समर्थन मांग रहे हैं।

तामेगलोंग और तूमेनसांग भी वह यही कर रहे हैं

ऊपरी बर्मा के लोगों, नागालैंड और आसपास के लोगों को मिलाकर वे एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न ईसाई राज्य का गठन करना चाहते हैं। ऐसा सरकार द्वारा गलत नीति अपनाने के ही कारण हुआ है।

मैं यह चाहता हूँ कि नागालैंड में शान्ति स्थापित हो, परन्तु जिस तरीके से सरकार शान्ति स्थापित करना चाहती है उससे नागालैंड में अन्ततः शान्ति स्थापित नहीं होगी।

युद्ध विराम समझौते के अन्तर्गत यह व्यवस्था हैं कि कोई पक्ष भी चाहे वह भारतीय सेना का हो या नागा विद्रोही हो, अपने शिविरों में 100 गज से आगे शस्त्र लेकर न जाना चाहिये। भारतीय सैनिक अपने शस्त्रों के साथ अपने शिवरों में ही रहते हैं जबकि नागा विद्रोही अपने शस्त्रास्त्रों को लिये हुए घूमते फिरते हैं और जहां चाहे उनका प्रयोग भी करते हैं। यह नागा विद्रोहियों द्वारा स्पष्ट युद्ध विराम समझौते का उल्लघंन है और हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

युद्ध विराम समझौते की आंड़ में संघीय सरकार कहे जाने वाले संगठन की नागा विद्रोहियों ने शक्ति बढ़ा ली है।

यह कहना कि नागा विद्रोहियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अस्त्रों का उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा छोड़े गये हथियारों के ढेर से प्राप्त हुए है ठीक नहीं है। समाचारों से पता लगता है कि चीन और पाकिस्तान से उन्हें शस्त्रास्त्र प्राप्त हो रहे हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था असफल रही हैं।

कुछ समय पूर्व दो प्रतिनिधि मंडल एक विद्रोही नागाओं का और दूसरा विद्रोही मिजो का चीनी विदेश मंत्री से मिलने ढाका गया। दुर्भाग्य से हमारी सरकार इस सम्बन्ध के कुछ भी जानकारी नहीं है। असम नागालैंड सीमा पर या मनीपुर में शान्ति नहीं है। वे एक चाल चल रहे हैं वे नागालैंड में शान्त है परन्तु अपने गतिविधियों के क्षेत्र को आसाम की सीमावर्ती क्षेत्र और मनीपुर के कुछ क्षेत्रों की और बढ़ा रहे हैं। ये क्षेत्र युद्ध विराम समझौते के अन्तर्गत आते हैं। वे मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। प्रधान मंत्री को उनसे कहना चाहिये कि आप यह निर्णय हमेशा के लिये करलें कि आप भारतीय सघ में रहना चाहते हैं। इनके साथ बातचीत केवल इसी शर्त के अनुसार की जा सकती है।

Sari Bibhuti Mishra (Motihari) : The is not the proper subject for adjournment motion. The correct approach in this matter would be that representatives of all the parties sit together and try to find out a solution. There is nothing worng in the demand by the people of Nagaland autonomy and such other rights as are enjoyed by the people of other States. These rights must be given to them. But if they want to have absolute independence, it is a serious matter and the Government should adopt stiff attitude in this matter. The claim of the Government that they are fully vigilant and that adequate security measures have been taken, is not supported by the facts. It has already been reported in the press that some Nagag have been receiving training in China. Had Government taken adequate security measures to check these Nagas crossing over to China ? It appears that our Intelligence Department is not working in an effective manner. Its activities should be intensified.

Government should adopt a firm policy and need not yield to any pressure. It the demand for division of the State is accepted, it will encourge similar demand in Bihar also. Therefore, the Government should think over this matter seriously before taking any decision to decide the state.

The assistance given to the families of the deceased armed personnel from the Prime Ministers' Relief Fund is not sufficient and the Home Minister should also give some assistance.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri V.C. Shukla) : More will be given afterwards.

Shri Bibhuti Mishra : Special vigil should be kept on the activities of the Christian missionaries operating in that area.

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : यदि केवल पुलिस कर्मचारियों के मारे जाने और सतर्कता की कमी पर चिन्ता व्यक्त करने की बात है तो सारी सभा इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करेगी। हमें भी इन घटनाओं पर उतना ही दुख है जितना कि अन्य माननीय सदस्यों को। परन्तु दुर्भाग्यवश स्थगन प्रस्ताव में चर्चाधीन घटना को नागा लोगों को प्रसन्न करने की सरकार की गलत नीति का परिणाम बताया गया है। मेरा दल इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि हमारा विश्वास है कि इस मामले में समझौते की नीति ठीक है। हमारा विश्वास है कि गोलीबारी की अपेक्षा बातचीत अच्छी है चाहे उसमें अधिक समय लगे और कठिनाइयां भी आयें। मैं समझता हूं कि मनीपुर पर गोलीबारी बन्दी सगझौता लागू नहीं होता।

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : यह मनीपुर के कुछ मागों पर लागू होता है।

श्री मी० रू० मसानी : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बातचीत का सिलसिला बहुत अधिक लम्बा होता जा रहा है और समयसीमा निर्धारित करने की बात ठीक लगती है। समय सीमा बीतने पर आखिर हमें बातचीत का सिलसिला ही बन्द करना होगा। हम नागा लोगों को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत संघ के महान परिवार में उनके लिये भी स्थान है हमारी सभा पहाड़ी आदिम जातियों और सीमावर्ती लोगों के लिये हमारे संघ में स्थान है। वे सभी इस समय एकता की भावना को नहीं समझते। आज काश्मीर से लेकर मनीपुर तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में असंतोष व्याप्त है और जो कार्य-वाही हम नागालैंड में करते हैं उसका प्रभाव हमारी सीमा के अन्य भागों पर पर भी पड़ना स्वाभाविक है।

यह बात साफ है कि यदि हमने कोई अवधि निर्धारित कर दी तो इसका परिणाम यह होगा कि हमें गोलीबारी चालू करनी पड़ेगी। नागालैंड की दुखद स्थिति यह है कि भारत सरकार और नागालैंड दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। अतः लड़ाई सत्य और असत्य के बीच नहीं होगी अपितु दोनों ओर सत्य के बीच लड़ाई होगी। हमें उन्हें यह समझाना है कि हमारे अधिकार में ही उनका अधिकार शामिल है और उनकी स्वतन्त्रता भारतीय संघ का सदस्य होने में ही सुरक्षित है। उन बहादुर लोगों पर गोली चलाने की अपेक्षा तक या दो वर्ष और प्रतिक्षा कर लेना अधिक अच्छा होगा। इसलिये सरकार जो कुछ काम कर रही है उसके लिये हमें उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये और यह स्थगन प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिये। हमें सरकार को इस कठिन समस्या को सुलझाने के लिये समय देना चाहिये।

Shri Manubhai Patel (Dabhoi) : I am glad that hon. Member Shri Masani has opposed the Adjournment Motion. It is not proper for the opposition to bring an adjournment motion on this subject. This should be considered as a national problem and all

of us should exercise our minds together to find out its solution. It is no use saying that the Government has not been active. On the other hand what we see is that constant efforts are being made in this direction. This problem has not been understood in right perspective and that is why it has not been possible to solve it so far. It is not a political problem but a social problem and it should be tackled in the same light.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Daputy Speaker *in the Chair* }

Instead of criticising the Government, the opposition Members should pay a visit to that area and work together for the welfare and properity of those people, so that they may come at per with the people of the rest of India. Unless this is done mere police action is not likely to yield any beneficial result. With these words I would urge upon Shri Hem Barua to withdraw this adjournment motion.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर–पूर्व) : नागालैंड की समस्या एक गम्भीर समस्या है और यह दुख की बात है कि हमारे गृह–कार्य मंत्री इसकी ओर ध्यान न दे कर गैर-कांग्रेसी सरकारों में दोष निकालने नक्सलबाड़ी और घेराव के मामलों में अधिक व्यस्त हैं। 24 पुलिस सिपाहियों का मारा जाना बड़े दुख की बात है यह चिंता का विषय है कि नागालैंड और उसके आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं सैनिक कार्य-वाही से इस समस्या की हल नहीं किया जा सकता। इस समस्या के समाधान के लिये हमें एक लम्बी अवधि तक बातचीत करने की नीति पर चलना चाहिये। इसके साथ ही सरकार हमें यह भी बताये कि इस समस्या के समाधान के लिये वह क्या कुछ करने जा रही है। नागा लोग हमारे देश के ही घटक हैं, और यह खेद की बात है कि हम अभी तक उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिये उनके साथ कोई समझौता करने में सफल नहीं हुए हैं।

सरकार को चाहिये कि वह इस समस्या का हल निकालने के लिये ससंद, तथा जनता का विश्वास प्राप्त करे। सरकार को इस सम्बन्ध में राजनीतिक दलों के साथ विचारविमर्श करना चाहिये। इस तरह सरकार के विचारों का लोगों को पता लगेगा और समस्या का हल भी निकल आयेगा, परन्तु सरकारने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। अतः देश वासियों को वहां पर हुई कुछ घटनाओं के अतिरिक्त और कुछ पता नहीं है। जनता लम्बी से अवधि से इस समस्या के समाधान की प्रतिक्षा कर रही है और उसके असंतोष का भी यही मुख्य कारण है। सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता का विश्वास प्राप्त करने और जनता को संतुष्ट करने का प्रयत्न करे।

इसमें संदेह नहीं कि यदि सरकार नागाओं, मिजो और दूसरे लोगों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे तो वह उन्हें हल कर सकती है। किन्तु सरकार पहले तो बल प्रयोग करती है और फिर दबाव डालती है और ये दोनों उपाय ही निष्प्रभव सिद्ध हुए हैं। परिणाम यह निकलता है कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है और लम्बी अवधि तक गड़बड़ी चलती रहती है।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलिया वारे)। इस सभा को उस नेत्र के मामलों में अधिक जानने की आवश्यकता है क्योंकि स्थान की दूरी और संचार की कठिनाइयों के कारण मातृभीय

सदस्यों को बहुत कम जानकारी प्राप्त है। परन्तु इस मामले को स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य तरीके से भी उठाया जा सकता था। पूर्वोत्तर प्रदेश में काफी असुरक्षा की भावना है। सरकार को प्रभावशील कार्यवाही से इस असुरक्षा की भावना को दूर करना चाहिये। नागालैंड की स्थिति बड़ी जटिल है। वहां की चुनौती का बड़ी चतुराई से सामना करना होगा।

यह मामला बहुत ही पेचीदा है। इस प्रकार की स्थिति में विदेशी लोग हमेशा सहायक सिद्ध नहीं होते। श्री फिज़ो अब हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, इसलिये इस समस्या के समाधान के लिये उनको सहायक समझना ठीक नहीं है।

इसी के साथ साथ मनिपुर, मिज़ो पहाड़ियों और नागलैंड का मामला है। इन क्षेत्रों में सड़कों, दूर संचार तथा बेतार के तार के संचार साधनों की बहुत कठिनाई है। संचार का अधिकतर कार्य बेतार के तार द्वारा किया जाता है। इस संचार साधन पर और अधिक धन खर्च करके इसे प्रभावशाली बनाया जाना चाहिये जिससे हमारी जनता और हमारी सेनाओं को यह सुविधा अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके। युद्ध विराम समझौते से भी कुछ लाभ हुआ है। कुछ नागाओं ने हमें सहयोग दिया है। मैं सभा का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि असम के आसपास असुरक्षा की भावना फैली हुई है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रभावशाली कार्यवाही कर के वहां पर असुरक्षा की भावना को दूर कर दे।

Shri Jagannath Rao Joshii (Bhopal) : I support this adjournment motion. I agree that Naga problem ts a human problem. The whole nation wants that peace should be established in the Nagaland. But the point is whether peace could be established there and if not, whether Government is prepared of the reapprousal of its policies in respect of Nagaland ? Had we not followed the policy of divide and rule inherited from British, these problems would have not come into existence at all. We have not learnt any lesson from the separalist tendencies which resulted in partition of the country. Sardar Patel dealt with an iron hand when a similar situation appeared in Hyderabad and the problem was solved within a day. Had there been a policy of indecision, there would have been more bloodshed. We are depending on Michael Scott or Mr. Phizo and the problem is becoming more and more complicated. There have been cases of sabotage and disruption in Nagaland. We have to go deep this problem Inspite of an assurance that after the acceptance and implementation of the recommendations of the States Reorganisation Commission, there will not be any new State. Nagaland came into being. We should not encourage separatist tendencies otherwise other areas will also ask for separate units. Had we implemented our policy in the right earnest, there would have been no problem in the Nagaland. We should not deal with the rebels leniently. We should not mind ever if we had to disband Peace Mission. We can give solutions to the world problems but we cannot solve our own small prooblems. We shall have to deal with the separatist tendencies firmly only then we can achieve success.

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : It is the duty of the Government to maintain law and order in Nagaland and there should be some way out to solve this problems. But this problem cannot be solved if we censure the Government. There have been several problems which came up after the achievement of independence and Nagaland is one of them,

Now one Section of the inhabitants of Nagaland wants that Nagaland should become a sovereign State. We have more that once declared that there cannot be any sovereign State

in our country. But the fact remains that foreign powers such as England and U. S. A. are behind this problem. They are helping Phizo. The rebel Nagas are also in direct contact with Pakistan and China, We should tell all of them. that we shall not tolerate this type of interference. At the same time we should keep it in mind that the people of Nagaland belong to this country but they are being mislead. Therefore we have to solve this problem peacefully. The Government have assured Nagas that their language, culture and their traditions will be safeguarded. The meetings took place between underground Nagas and the representatives of the Government have proved to be beneficial and this was a step in the right direction.

The problem of Nagaland is a national problem and we should think about it in a dispassionate matter, There cannot be any military solution to this problem. We should consider their problems more sympathetically. I agree with Shri Hem Barua that there has been felling of insecurity in Assam. The Governments should guarantee their safety and peace in that area.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : This problem relates to the entire belt of North East part of India which includes NEFA, Manipur, Tripura, Bengal and East Bengal also. I case we did not take timely action in the matter, this area will be separated from India within fifteen or twenty years because of interference by foreign powers.

The responsible factors for the difficult and complicated situation in that area area foreigner landlords of tea-gardens, foreign missionaries, influence of America in Sikkim, China and Pakistan. The interference by China and America is all the more dangerous because it is because of their influence there is a possibility of this area being separated from India. The communists should understand that none will be benefitted by sabotage because ultimately U. S. A. will have its upper hand in that area and not China.

The Government should, therefore, take this matter more seriously and adopt a well considered policy. The Governments should go deep into this problem and solve the problem of Nagaland more sympathetically. All types of foreign interference should be stopped. All the garden should be nationalised. The policy of keeping NEFA aloof from the rest of the country should be changed. There should not be any restrictions on visting that area.

श्री जे० के० चौधरी (त्रिपुरा-पश्चिम) : नागालैंड की समस्या पिछले 16 वर्षों से चल रही है। नागालैंड के नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई पृथक लैंड है और फिर इस मामले पर वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में कार्यवाही होती है। यह सब होते हुए भी हमारी सरकार को कम से कम ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे चाय बागान के विदेशी स्वामियों, विदेशी शक्तियों या विदेशी धर्म प्रचारकों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न रहे। विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। वहां पर रहने वाले ईसाइयों के लिये भारतीय धर्म प्रचारक काफी संख्या में हैं।

नागालैण्ड की अब संवैधानिक सरकार है। भूमिगत नागाओं के दो दल हैं। एक दल यहां बातचीत करने आता और दूसरा दल लोगों की जहां तहां हत्या करता रहता है। और तोड़फोड़ की कार्यवाइयां करता है। नागाओं की नीति यह है कि सभी स्थानों से नागा आकर एक स्थान पर एकत्रित हो जायें। विद्रोही नागा मनिपुर के नागाओं को डराते तथा धमकाते रहते हैं ताकि वहां के सभी नागा उनके साथ मिल जायें।

भारत सरकार की नीति बहुत नरम रही है। यह नीति अच्छी है। कोई भी भारतीय यह नहीं चाहेगा कि हम इस क्षेत्र में उनको मिटा दें। इसका विकल्प यही है कि उनके साथ बातचीत जारी रखी जाये परन्तु फिजो जैसे अन्य किसी विदेशी को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इसके साथ साथ हमें अपनी सेना को कम से कम आत्म-रक्षा के लिये तथा शिव सागर के निकट आसाम की सीमा की रक्षा करने के लिये कार्यवाही करने की छूट देनी चाहिये जिससे हमारी सेना निरुत्साहित न हो। इसी के साथ में स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : नागालैंड की समस्या के लिये बहुत से माननीय सदस्यों ने विदेशी धर्म-प्रचारकों और बैपरिस्ट मिशन को जिम्मेदार ठहराया है। इस सम्बन्ध में मैं इतना बता देना चाहता हूं कि नागालैंड में कोई विदेशी धर्म प्रचारक संस्था नहीं है। नागालैंड में जितने चर्च हैं वे बिना किसी विदेशी सहायता के चलाये जाते हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि युद्ध-विराम के फलस्वरूप विद्रोही नागाओं की गतिविधियां मैदानी इलाकों में भी सक्रिय हो रही है, यह बात गलत है। इन संघर्षों का कारण तो सीमा विवाद है।

वास्तविक स्थिति यह है कि गत पन्द्रह वर्षों से नागालैंड में गड़बड़ी चलती रही है। वहां लोगों की हत्या, लूटमार और अग्निकाण्ड की घटनाएं होती रही हैं परन्तु अब इन लोगों ने यह महसूस कर लिया है कि हिंसा से किसी को लाभ नहीं होगा। इसके बाद 1964 में बैपरिस्ट मिशन, जो काफी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ने एक शान्ति समिति बनाने का निश्चय किया जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण सदस्यों ने भी भाग लिया। यदि यह शान्ति मिशन न होता तो विद्रोही नागाओं से वार्ता सम्भव नहीं थी। यह बड़ी भारी सफलता है। भारत सरकार ने नागाओं के प्रति काफी उदार तथा सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया है और इससे काफी लाभ हुआ है।

हमारे सैनिक कार्यवाही को स्थगित करने से भूमिगत नागाओं के मन से भय और संदेह दूर हो गया है। अब भूमिगत नागाओं के नेता अन्य नागाओं के साथ उस प्रदेश की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं और अब वे अपने गांवों में ठहर सकते हैं। वे वापिस जंगलों में नहीं जाते। हम यह महसूस करते हैं कि वहां पर धीरे धीरे स्थिति शान्त हो जायेगी।

तीसरी मुख्य बात यह है कि हम नागा लोगों को अपने भाई समझते हैं। चाहे वे नागालैंड में हों या मिजो पहाड़ियों में या किसी अन्य पहाड़ी प्रदेश में हों, वे सब भारत के ही अंग हैं। इसलिये उनके विरुद्ध शक्ति के प्रयोग का सुझाव अनुचित है। हम समस्याओं के शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के पक्ष में हैं, इसलिये शक्ति का प्रयोग हमारी नीति के विरुद्ध है।

युद्ध विराम के फलस्वरूप नागालैंड में कई प्रकार के विकास-कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। हमें केवल कुछ घटनाओं की जानकारी है परन्तु नागालैण्ड में विकास कार्यों का हमें पता ही नहीं। कुछ दिन पूर्व नागालैण्ड के मुख्य मन्त्री ने सड़कों, स्कूल खोले जाने, तथा अन्य कई

रचनात्मक कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया था। इस प्रकार के काम शान्तिपूर्ण वातावरण में ही हो सकते हैं।

एक और महत्वपूर्ण बात जनता में विश्वास जागृत करना है। आज घृणा और सन्देह का स्थान विश्वास ने ले लिया है। आज हम हिंसा, शक्ति और दमन की बातें करते हैं। परन्तु हमें नागाओं को पिछड़ा हुआ नहीं समझना चाहिये। यह ठीक है कि यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से कम विकसित है। परन्तु वे बहुत ही सुसंकृत हैं और राजनीतिक दृष्टि से देश के अन्य भागों की जनता से अधिक जागरूक हैं। यदि उन्हें उचित शिक्षा दी जाये, उचित सुविधाएं और अवसर दिये जायें तो वे हमारे देश की शेष जनता से पीछे नहीं रहेंगे।

इसलिये हमें इस समस्या के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिये। हमें उन्हें अपना भाई समझना चाहिये। अब तक की हमारी नीति सही और लाभप्रद नहीं है। भूमिगत नागाओं में भी परस्पर विरोध उत्पन्न हो रहा है। फिजो का एक दल है और दूसरा दल उसके भाई का है।

उस क्षेत्र में तोड़ फोड़ की जितनी कार्यवाइयां हो रही हैं, हमें बिना प्रमाण के उनके लिये विद्रोही नागाओं पर आरोप नहीं लगाना चाहिये। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देश के अन्य भागों में भी अवांछनीय तत्व विद्यमान हैं। जब तक भारत सरकार नागाओं के प्रति ही नहीं बल्कि समस्त पहाड़ी जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाती तब तक हमारी सीमा असुरक्षित बनी रहेगी।

श्री उमानाथ (पुट्टूकोटे) : इस चर्चा के दौरान सभा के कुछ सदस्योंने यह मांग की है कि नागा प्रश्न के प्रति सरकार की नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये। यदि सरकार की नीति में परिवर्तन किया गया है तो वह परिवर्तन नागाओं के दमन के लिये सैनिक कार्यवाही वाली पुरानी नीति नहीं होनी चाहिये, हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे नागाओं में विश्वास जागृत हो।

हम यह कह सकते हैं कि सरकार की नीतियां आरम्भ से गलत रही हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि नागा लोग विद्रोही बन गये हैं। उसके बाद मिजो लोग भी विद्रोही बन गये। पता नहीं अब वे असम की पहाड़ी जनता को भी कब विद्रोही बना दें। यदि यही नीति चलती रही तो विद्रोही लोगों की संख्या और भी बढ़ जायेगी। नागा लोगों के जीवन के तरीकों और उनके क्षेत्रों के सम्बन्ध में सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिये कि जिससे जनता को संरक्षण मिले और उनके मन में सुरक्षा की भावना पैदा हो।

नागाओं ने वर्ष 1952 में भारत सरकार से मांग की थी कि भारत संघ के अन्तर्गत उनका एक पृथक राज्य बना दिया जाये। परन्तु सरकार ने यह मांग अस्वीकार कर दी। कुछ वर्षों तक सैनिक शक्ति का प्रयोग करने के बाद 1960 में यह मांग स्वीकार कर ली गई। परन्तु इस बीच नागाओं के मन में हमारे और हमारी सरकार के बारे में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न हो गये। इसी स्थिति के कारण 1960 में नागा विद्रोहियों ने कहा कि हम इस सरकार को नहीं मानते यह स्थिति हमारी सरकार की नीति का ही परिणाम है।

चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि इस मामले को राजनैतिक या किसी पार्टी का मामला न समझ कर एक राष्ट्रीय मामला समझा जाये। परन्तु जब नक्सलबाड़ी में एक पुलिस कर्मचारी मरा था और दूसरी ओर सात व्यक्ति मरे थे तो उसे राजनैतिक मामले के रूप में उठाया गया था और केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का सुझाव दिया गया था। परन्तु इस मामले में तो पुलिस के 24 कर्मचारी मरे हैं और यदि इस मामले पर उसी दृष्टिकोण से काम लिया जाये तो इसमें केन्द्रीय हस्तक्षेप अधिक आवश्यक है। सरकार की नीति में इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

हमारी पार्टी का आरम्भ से ही यह दृष्टिकोण रहा है कि नागाओं के मामले के साथ निपटते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि नागाओं के मन में पूर्ण विश्वास की भावना जागृत हो और उनके जीवन के ढंग और उनको दिये गये क्षेत्र की रक्षा की जानी चाहिये। हमारी यही धारणा रही है कि नागाओं को भारतीय संघ के भीतर पूरी स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि नागालैंड में युद्ध विराम की स्थिति बनाई रखनी चाहिये और साथ ही कठिनाइयों के बावजूद भी बातचीत का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिये।

श्री स्वैल (स्वायत्त शासी जिले) : सरकार को नागालैंड की समस्या के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या बातचीत का मार्ग छोड़ कर सैनिक बल का प्रयोग करके देश का अधिक हित हो सकता है। मेरे मित्र श्री जमीर ने सर्वप्रथम यह कहा है कि नागालैण्ड में युद्ध विराम के फलस्वरूप पैदा हुई शान्ति की स्थिति से वहां की जनता शान्ति से रहने के लाभ महसूस करने लगी है। यह बात नागालैण्ड की आम जनता के बारे में ही सही नहीं है अपितु कुछ नागा विद्रोही भी इस बात को समझने लगे हैं। नागा विद्रोहियों में पहले ही फूट पड़ चुकी है। यदि उस क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियां की गईं तो लोगों को असंख्य कठिनाइयां होंगी। इस प्रकार की कार्यवाहियों से सभी नागा लोग हमारे विद्रोही बन जायेंगे।

चीन ने बर्मा के विरुद्ध विद्रोही रवैया अपनाया है क्योंकि वह बर्मा के उस उत्तरी भाग में जिसमें नागा लोग रहते हैं अपना प्रभाव फैलाना चाहता है। यदि चीन का उद्देश्य पूरा हो गया तो वह वहां पर एक अड्डा बनाएगा। इस प्रकार नागा विद्रोही बर्मा के नागा लोगों के सहयोग से और चीन की सक्रिय सहायता से हमारे देश के लिये एक कठिन स्थिति पैदा कर देंगे। इसलिये हमें ऐसी गलत नीतियों पर नहीं चलना चाहिये जिससे नागा लोग हमारे विद्रोही बन जायें, दृढ़ तथा मैत्रीपूर्ण नीति हमारी सरकार के लिये सबसे अच्छी नीति होगी।

नागा प्रश्न पर एकेले विचार नहीं किया जाना चाहिये। सरकार को न केवल नागा लोगों को अपितु पूर्वोत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण आदिम जाति जनता को अपने पक्ष में करने के लिये भरसक प्रयत्न करने चाहिये। ढुलमुल नीति से काम नहीं चलेगा।

आसाम के पुनर्गठन का उल्लेख किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के सभी लोग अधिकांश मिजो लोग तथा नेफा के लोग इस बात की ओर देख रहे हैं कि सरकार अपने वचन को पूरा

करती है अथवा नहीं । उन सब की आंखें इस समय सरकार पर लगी हैं । इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि उन्हें इस अवसर को हाथ से नहीं खोना चाहिये और इसका लाभ उठाना चाहिये । यदि सरकार अपने वचन को पूरा कर देती है, तो उसे इस क्षेत्र की जनताका विश्वास प्राप्त हो जायेगा, अन्यथा उनका सरकार पर से विश्वास उठ जायेगा और फिर सरकार उनका विश्वास कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगी । वहां के लोगों का विश्वास प्राप्त किये बिना सरकार उस नाजुक तथा सामरिक क्षेत्र में देश के हितों की रक्षा नहीं कर सकती ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Our Government has completely neglected the border areas, kept them isolated from the rest of the country and allowed the christian misionaries to indulge in anti-national activities and mass conversions of people there. Governments' policy of appeasement and separatism is responsible for creating the present situation in Nagaland. If Government persists in such a weak policy, many problems similar to that of Nagaland will be created. The policy of appeasement towards the Naga people is encouraging other people like Mizos to adopt a similar attitude. We should be vigilant about the situation not only in the eastern sector but also in the western sector near Punjab and Himachal Pradesh,

So many army personnel and civilians have been killed in Nagaland since the hostile activities started there. The hon. Minister should tell us as to how many of our army personnel and civilians have lost their lives in the Naga operations so far. We also want to know the expenditure that has been incurred on these operations for tackling the situation created by the activities of Naga rebels there.

The nefarious activities of christian missionaries in Nagaland are bearing fruit now. After the recent decision of the Government to keep a watch over the activities of foreign missionaries, they have started sending crores of rupees to further their aims through certain people in this country. Government should keep a watch on such activities also and try to check them.

The problem of Nagaland should not be allowed to continue indefinitely. It cannot brook any more delay Government will have to adopt a firm policy for tackling this problem.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह कोई ऐसा मामला नहीं हैं जिसके लिये स्थगन प्रस्ताव लाया जाये । फिर भी इससे हमें इस विषय पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला और इस समस्या के महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आए ।

स्थगन प्रस्ताव से ऐसी भावना व्यक्त होती है कि प्रस्तावक महोदय इस प्रश्न पर सरकार की मूल नीति के पूर्णतया विरुद्ध हैं । किन्तु संसदीय प्रतिनिधि मण्डल, जिसके प्रस्तावक महोदय भी एक सदस्य थे, की रिपोर्ट में उन्होंने मिशन के प्रयत्नों की भूरी-भूरी प्रशंसा की है क्योंकि मिशन के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही इन दोनों दलों में सम्पर्क स्थापित हो सका । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय सदस्य की वह विचारधारा अब बिल्कुल बदल गई है ।

मुझे इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि नागालैण्ड में इस मेल-मिलाप की नीति के अच्छे परिणाम निकले हैं । वहां पर शांति का वातावरण है । तथाकथित विद्रोही नागाओं को भी

शांति में कोई निहित स्वार्थ दिखाई देने लगा है और यह अवश्य ही एक अच्छी बात है। यद्यपि इन लोगों को नागालैण्ड में शांति बनाए रखने में निहित स्वार्थ दिखाई दिया है तथापि मनीपुर क्षेत्र में उनकी गतिविधियां समझौते के प्रतिकूल हैं। यह उस समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है। हम इसे गम्भीर चिन्ता का विषय समझते हैं। हमने विद्रोही नागा नेताओं से कह दिया है कि उन्हें अविलम्ब कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यदि इसका कुछ परिणाम नहीं निकला तो हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या कुछ करना चाहिये। सरकार ने जब उन लोगों से बातचीत शुरू की थी तो उसे अपने दृष्टिकोण में विश्वास था। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार को दृढ़ता से काम लेना होगा। यदि ऐसी बात हुई तो हम अवश्य ही दृढ़ता से काम लेंगे परन्तु वह दृढ़ता परिवार के मुखिया की दृढ़ता के समान ही होगी।

मार्क्सवादी साम्यवादी दल के एक माननीय मित्र ने इस सम्बन्ध में नक्सलबाड़ी का हवाला दिया है। नक्सलबाड़ी और नागा समस्या की न तो तुलना ही की जा सकती है और न ही इनके बीच कोई समानता है : यह एक बिल्कुल अलग ही समस्या है और इसके हल के लिये सहानुभूति और सूझबूझ की आवश्यकता है। परन्तु नागा विद्रोहियों द्वारा जो ज्यादतियों की जाती है उन पर भी हमें विचार करना है। इस कार्य में जो 24 सिपाही मारे गये हैं उनके जीवन हमारे लिये बहुत मूल्यवान हैं। उन्होंने राष्ट्र के लिये बलि दी है और राष्ट्र उनके इस त्याग को कभी नहीं भुला सकता।

श्री विभूति मिश्र ने पूछा है कि उनके परिवारों को केवल 1000 रुपये ही क्यों दिये गये हैं। हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे। उनके लिये कुछ सहायता तुरन्त भेजने की आवश्यकता थी और इसलिये हमने वह धनराशि भेज दी है। उनकी कठिनाइयों पर उदारता से विचार किया जायेगा और उनके उपदान, पैंशन आदि का जल्दी से जल्दी भुगतान कर दिया जायेगा। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं पर विचार करूंगा।

मैं श्री हेम बरुआ का आभारी हूँ कि उन्होंने यह प्रस्ताव लाकर हमें एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने का अवसर प्रदान किया। मुझे आशा है कि इस पर इतनी चर्चा हो चुकने के बाद माननीय सदस्य अब इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा तथा मतदान के लिये जोर नहीं डालेंगे।

श्री हेम बरुआ : मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन किया है। गृह मंत्री ने संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के बारे में जो कुछ कहा उससे मैं सहमत नहीं हूं। हमने कहा था कि इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये और मैं अभी भी अपनी इस बात पर कायम हूं। मेरा स्थगन प्रस्ताव उस बारे में नहीं है। यह उस क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षात्मक कार्यवाही करने में सरकार की असफलता के बारे में है। सरकार ने सम्पूर्ण पूर्वी भारत को युद्धलोलुप लोगों तथा हिंसात्मक तत्वों के हवाले कर दिया है। इसलिये मैंने कहा था कि गृह मंत्री को उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक कार्यवाही करनी चाहिये। सशस्त्र पुलिस में बूढ़े और भूतपूर्व सैनिक

हैं। गृह मंत्री को या तो सेना की सहायता लेनी चाहिये या कुछ नौजवान लोगों को सशस्त्र पुलिस में भर्ती करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से वहां के लोगों की सुरक्षा की जा सकेगी।

वहां पर खुफिया विभाग भी असफल रहा है। सरकार को देश के उस भाग में अपनी गुप्तचर सेवाओं को अधिक सक्रिय तथा प्रभावशाली बनाना चाहिये।

मैं यह नहीं कहता कि सरकार को विद्रोही नागाओं से आगे बातचीत समाप्त कर देनी चाहिये। मैं केवल यही चाहता हूं कि इस बार जब भूमिगत नागा विद्रोही प्रधान मंत्री से बातचीत करने के लिये आये तो प्रधान मंत्री उन्हें यह स्पष्ट स्पष्ट बता दें कि वह इस शर्त पर उनसे बातचीत कर सकती हैं कि वे लोग भारतीय संघ में रहने के लिये तैयार हों।

जहां तक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्क कायम रखने के सुझाव का सम्बन्ध है इस सुझाव पर तब तक अमल नहीं किया जा सकेगा जब तक राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकीकरण नहीं हो जाता। सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक ही हैं, परन्तु राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकता न होने के कारण हम अलग हो जाते हैं। अतः सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों की बात करने का कोई फायदा नहीं है। यह मूलतः राजनीतिक समस्या है। ऐसा मानकर ही उन्हें कुछ रियायतें दी जा सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि अब सभा स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

* बन्द कपड़ा मिलों के लिये निगम

Corporation for Closed Textile Mills

श्री दामानी (शोलापुर) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कपड़ा उद्योग की कठिन स्थिति के बारे में प्रकाश डालने का अवसर दिया।

{ **श्री गु० सिं० ढिल्लो पीठासीन हुए।** / **Shri G. S. Dhillon *in the Chair.*** }

हमारा कपड़ा उत्पादन अमरीका के बाद दूसरे नम्बर पर है। हमारे यहां कपास की खेती जितनी भूमि में की जाती है उस दृष्टि से हम प्रथम नम्बर यह हैं परन्तु हमारे यहाँ उपज दर बहुत कम है और हमें कपास का आयात करना पड़ता है। कपड़ा उद्योग में प्रत्यक्ष तथा

* आधे घण्टे की चर्चा

* Half-an-Hour Discussion

अप्रत्यक्ष रूप से 2 करोड़ व्यक्ति लगे हुए हैं। इन कपड़ा मिलों की 400 करोड़ रुपये की कपास की आवश्यकता है और ये 750 करोड़ रुपये का कपड़ा तथा सूत पैदा करते हैं। इस समय यह उद्योग कठिन समय में से गुजर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि कपास के कम उत्पादन के कारण कपास का अभाव है। कपास का मूल्य बढ़ गया है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घण्टी बजाने के बावजूद भी सभा में गणपूर्ति नहीं है। अतः सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 18 जुलाई, 1967/27 आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 18, 1967/ Asadha 27, 1889 (Saka).